मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

दिसंबर 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 5
- भूगोल 9
- भारतीय विरासत और संस्कृति 13

सामान्य अध्ययन पेपर–2 ..... **18**

- राजनीति और शासन 18
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 25
- सामाजिक न्याय 30

सामान्य अध्ययन पेपर–3 ..... **35**

- अर्थव्यवस्था 35
- जैवविविधता और पर्यावरण 38
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 41
- आपदा प्रबंधन 44

सामान्य अध्ययन पेपर–4 ..... **48**

- केस स्टडी 48
- सैद्धांतिक प्रश्न 58

निबंध **70**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजनीतिक प्रतिरोध के बीच जटिल अंत:क्रियाओं पर चर्चा कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजनीतिक प्रतिरोध के संगम पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- राजनीतिक प्रतिरोध की नींव के रूप में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के पक्ष में तर्क दीजिये।
- राजनीतिक प्रतिरोध को उजागर करते हुए सांस्कृतिक आख्यान के निर्माण पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन (19वीं-20वीं सदी) न केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि भारत की पहचान और विरासत को पुन: प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था।

- सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने दोहरी भूमिका निभाई- इसने राजनीतिक प्रतिरोध के नैतिक और भावनात्मक आधार को मज़बूत किया और बदले में राजनीतिक प्रतिरोध ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को गति दी।

मुख्य भाग:

राजनीतिक प्रतिरोध की नींव के रूप में सांस्कृतिक पुनरुद्धार

- **भारत की सांस्कृतिक विरासत की पुन: खोज:**
  - राजा राममोहन राय और तत्पश्चात् स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वानों ने भारतीय दर्शन, संस्कृत ग्रंथों एवं प्राचीन उपलब्धियों के गौरव को पुनर्जीवित किया तथा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा दिया।
  - उदाहरण: दयानंद सरस्वती (आर्य समाज) जैसे नेताओं ने वैदिक परंपराओं की ओर लौटने का आह्वान किया तथा इसे औपनिवेशिक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की अस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया।
- **बंगाल पुनर्जागरण की भूमिका:**
  - रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसी हस्तियों के नेतृत्व में बंगाल पुनर्जागरण ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को राष्ट्रवाद के साथ एकीकृत किया।
  - उदाहरण: बंकिम के आनंदमठ ने "वंदे मातरम" को राष्ट्रवादी गान के रूप में प्रयोग करने के लिये प्रेरित किया।
- पुनर्जागरण के साधन के रूप में शिक्षा:
  - मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे संस्थानों ने आधुनिक शिक्षा को भारतीय मूल्यों के साथ मिश्रित करने पर ज़ोर दिया।
  - तिलक जैसे राजनीतिक नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा का प्रयोग किया।
- **लोक संस्कृति का एकीकरण:**
  - ग्रामीण जनता को संगठित करने के लिये लोक परंपराओं के गीतों, कथाओं और प्रतीकों में राष्ट्रवादी विषयवस्तु का समावेश किया गया।
  - उदाहरण: गांधी द्वारा लोकप्रिय ***रघुपति राघव राजा राम*** जैसे भजन एक एकीकृत गान बन गए।

सांस्कृतिक आख्यान का निर्माण करने वाले राजनीतिक प्रतिरोध

- धार्मिक प्रतीकवाद का प्रयोग: राजनीतिक नेता प्राय: जनता को प्रेरित करने के लिये सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते थे।
  - **उदाहरण:** बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने के लिये गणेश चतुर्थी को सामुदायिक त्योहार के रूप में लोकप्रिय बनाया।
- ब्रिटिश सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती: सांस्कृतिक आख्यानों ने समृद्ध भारतीय विरासत पर प्रकाश डाला, ताकि ***"भारतीय असभ्य हैं।"*** जैसे ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उदाहरण:** वर्ष 1893 के शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण ने भारत की आध्यात्मिक गहनता पर ज़ोर दिया तथा भारतीय पहचान पर गर्व प्रदर्शित करके राजनीतिक प्रतिरोध को प्रेरित किया।

निष्कर्ष:

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राजनीतिक प्रतिरोध के बीच तालमेल को उजागर किया, दोनों ने एक दूसरे को सुदृढ़ किया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने राष्ट्रीय गौरव को जागृत कर राजनीतिक संघर्ष को सशक्त बनाया, जबकि राजनीतिक प्रतिरोध ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जन-आंदोलन के लिये आवश्यक तात्कालिकता और पैमाना प्रदान किया।

प्रश्न : "औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के साथ-साथ यूरोपीय उपनिवेशवाद के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया।" औद्योगिक विकास और साम्राज्यवाद के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: उत्पादन और साम्राज्यवाद पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।
- मुख्य भाग: औद्योगिक क्रांति से संबद्ध भारत के उदाहरणों का उपयोग करते हुए बताइये कि औद्योगिक विकास ने बाज़ारों, कच्चे माल और प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए किस प्रकार औपनिवेशिक विस्तार को बढ़ावा दिया।
- निष्कर्ष: औद्योगीकरण और साम्राज्यवाद के बीच संबंध का सारांश प्रस्तुत कीजिये।

परिचय:

18वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी प्रगति और बड़े पैमाने पर विनिर्माण के माध्यम से उत्पादन के स्वरूप को बदल दिया। इस औद्योगिक विकास ने न केवल उत्पादन की पद्धतियों में क्रांति ला दी, बल्कि यूरोपीय शक्तियों को कच्चे माल, नए बाज़ार और श्रम हासिल करने के लिये अपने औपनिवेशिक साम्राज्यों का विस्तार करने के लिये प्रेरित किया।

मुख्य भाग:

औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में क्रांति आई:

- **प्रौद्योगिकी प्रगति:**
  - जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार और वस्त्र उत्पादन के मशीनीकरण से विनिर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
    - फैक्ट्रियाँ पहले की तुलना में अधिक तीव्र गति से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकती थीं।
  - मशीन टूल्स और बड़े पैमाने पर उत्पादन के तरीकों ने उत्पादन लागत को कम कर दिया, जिससे वस्तुएँ अधिक किफायती और सुलभ हो गईं।
  - परिवहन में नवाचारों, जैसे स्टीमशिप और रेलवे, ने कच्चे माल के अधिक कुशलतापूर्वक परिवहन करने में सहायता मिली, जिससे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला।
- **आर्थिक संरचनाओं में बदलाव:**
  - कारखानों के उदय और पारंपरिक कुटीर उद्योगों के पतन ने कृषि अर्थव्यवस्थाओं से शहरी, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण को चिह्नित किया। कारखानों में उत्पादन के संकेंद्रण ने शहरी केंद्रों के विकास और एक नए औद्योगिक श्रमिक वर्ग के उदय को जन्म दिया।
  - कपड़ा, लौह और इस्पात जैसे उद्योगों में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रणालियों का निर्माण हुआ, जो बढ़ते वैश्विक बाज़ारों की मांगों को पूरा कर सके।
- **उत्पादकता में वृद्धि:**
  - स्पिनिंग जेनी और पावर लूम ने वस्त्र उत्पादन में क्रांति ला दी, जिससे ब्रिटेन को वैश्विक वस्त्र व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद मिली।
  - विनिर्माण में फेर-बदल योग्य भागों जैसी बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों ने मशीनरी, उपकरण एवं परिवहन वाहनों जैसे अधिक जटिल वस्तुओं के संयोजन को आसान बना दिया, जिससे औद्योगिक विकास में और तेज़ी आई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय उपनिवेशवाद के विस्तार को बढ़ावा:

- **कच्चे माल की मांग:**
  - औद्योगिक क्रांति ने कपास, रबड़, तेल और खनिजों जैसे कच्चे माल की अत्यधिक मांग बढ़ा दी।
    - यूरोपीय शक्तियों ने इन सामग्रियों की आपूर्ति के लिये भारत, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों सहित अपने उपनिवेशों की ओर रुख किया।
  - उदाहरण के लिये, भारत ब्रिटेन की वस्त्र मिलों के लिये कपास का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता बन गया, तथा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से रबड़ ने यूरोप के बढ़ते ऑटोमोबाइल एवं औद्योगिक क्षेत्रों को आधार प्रदान किया।
- **निर्मित वस्तुओं के लिये नए बाज़ार:**
  - यूरोपीय शक्तियों ने बड़े पैमाने पर अपने उत्पादित माल के लिये नए बाज़ारों की तलाश की। यूरोपीय निर्यात के लिये उपनिवेश आकर्षक/बंदी बाज़ार बन गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि औद्योगिक उत्पादन से अर्जित धन वापस साम्राज्यवादी शक्तियों के पास जाए।
  - भारत और अन्य उपनिवेशों में यूरोपीय निर्मित वस्तुओं (जैसे: वस्त्र) की बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान हुआ।
    - बदले में, साम्राज्यवादी व्यापार नीतियों के कारण उपनिवेशों को यूरोपीय उत्पाद खरीदने के लिये विवश होना पड़ा, जैसे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार।
- **तकनीकी उन्नति और साम्राज्यवादी नियंत्रण:**
  - स्टीमशिप, रेलमार्ग और टेलीग्राफ लाइनों ने यूरोपीय शक्तियों को अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने तथा दूरस्थ उपनिवेशों पर प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाया।
    - इन तकनीकी नवाचारों ने सैनिकों, आपूर्तियों और संसाधनों के आवागमन को सुगम बना दिया, जिससे शासन एवं शोषण अधिक प्रभावी हो गया।
  - मैक्सिम तोप जैसी उन्नत सैन्य तकनीक के विकास ने यूरोपीय शक्तियों को स्थानीय प्रतिरोध का दमन करने और साम्राज्यवादी शासन के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने में निर्णायक लाभ प्रदान किया।
- **श्रम-शोषण:**
  - औद्योगिक क्रांति के दौरान सस्ते श्रम की आवश्यकता के कारण यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशिक आबादी का शोषण करना शुरू कर दिया। भारत में, गिरमिटिया दासता व्यापक हो गई, जहाँ श्रमिकों को बागानों और रेलवे प्रणाली जैसी निर्माण परियोजनाओं में शोषणकारी परिस्थितियों में दीर्घकालिक श्रम अनुबंधों में रहने के लिये विवश किया जाता था।

निष्कर्ष:

औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक उत्पादन को नया रूप और यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसने ऐसी मांगें उत्पन्न कर दीं जिन्हें केवल साम्राज्यवादी नियंत्रण के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता था। औद्योगिक विकास और साम्राज्यवाद के बीच इस अंतर्संबंध ने वैश्विक असमानताओं की नींव रखी जो आधुनिक विश्व को प्रभावित करती रहती हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न : सामाजिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में संवैधानिक तंत्र की भूमिका का आकलन कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता एवं सीमाओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक असमानताओं और प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- सामाजिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक तंत्रों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- संवैधानिक तंत्र की प्रभावशीलता और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में सामाजिक असमानताएँ ऐतिहासिक जातिगत विभाजन, लैंगिक पदानुक्रम और आर्थिक विषमताओं में गहराई से निहित हैं। संविधान इन असमानताओं को दूर करने और सामाजिक सद्भाव को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बढ़ावा देने के लिये एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP) जैसे प्रावधानों का उद्देश्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है।

मुख्य भाग:

सामाजिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये संवैधानिक तंत्र:

- **मौलिक अधिकार (भाग III):**
  - **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
  - **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
    - **उदाहरण:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जैसे ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ*** (वर्ष 2018) मामला जिसने LGBTQ+ अधिकारों को वैध बताते हुए धारा 377 को अपराधमुक्त कर दिया।
  - **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता को समाप्त करता है, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
    - **उदाहरण:** ***कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता प्रथाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को बरकरार रखा।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (भाग IV):**
  - **अनुच्छेद 38(2):** राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करने का निर्देश देता है।
  - **अनुच्छेद 46:** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है।
    - **उदाहरण:** 93वें संविधान संशोधन (वर्ष 2005) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीतियाँ।
- **अल्पसंख्यकों और जनजातियों के लिये विशेष प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 29 और 30:** अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना।
  - **अनुच्छेद 244:** अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है।
    - **उदाहरण:** जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन के लिये PESA अधिनियम,1996
- **स्वतंत्र संस्थाएँ:**
  - **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338):** अनुसूचित जाति कल्याण की जाँच और निगरानी करता है।
  - **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** अल्पसंख्यक अधिकारों और सद्भाव को बढ़ावा देता है।

संवैधानिक तंत्र की प्रभावशीलता

- **सीमांत समुदायों का सशक्तीकरण:**
  - **सकारात्मक कार्यवाहियाँ:** आरक्षण नीतियों से शिक्षा और रोज़गार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
  - **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** अनुच्छेद 330 (संसद में आरक्षण) जैसे प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं।
    - **उदाहरण:** लोकसभा में लगभग 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित हैं, जिससे उन्हें विधायी सशक्तीकरण प्राप्त होता है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में कमी:**
  - **लक्षित कल्याण कार्यक्रम:** राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों से प्राप्त नीतियों से गरीबी उन्मूलन और आर्थिक उत्थान हुआ है।
    - **उदाहरण:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने वित्त वर्ष 2022-23 में 80 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान किया, जिसमें SC/ST समुदायों के महत्त्वपूर्ण लाभार्थी शामिल थे।
    - सत्र 2005-06 और सत्र 2019-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर निकले।
- **सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना:**
  - **धर्मनिरपेक्ष फ्रेमवर्क:** अनुच्छेद 25-28 जैसी संवैधानिक गारंटियाँ धर्म की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करती हैं।
    - **उदाहरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने ***एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले*** में धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को बरकरार रखा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सांस्कृतिक और शैक्षिक सुरक्षा:** अनुच्छेद 29 और 30 जैसे अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने एवं शैक्षिक संस्थान संचालन का अधिकार देते हैं।
  - **उदाहरण:** अनुच्छेद 30 के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वायत्तता अल्पसंख्यक अधिकारों की संवैधानिक मान्यता का एक उदाहरण है।

संवैधानिक तंत्र की सीमाएँ

- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिबंध के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है।
- **नौकरशाही विलंब:** कल्याणकारी योजनाओं में प्राय: प्रशासनिक अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के कारण विलंब होता है।
  - **उदाहरण:** कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का धीमा वितरण।
- **सामाजिक-आर्थिक अंतराल:** यद्यपि संवैधानिक प्रावधान समानता को बढ़ावा देते हैं, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में भारी असमानताएँ बनी हुई हैं।
  - सीमांत समुदायों में सीमित डिजिटल साक्षरता और बुनियादी अवसंरचना के कारण असमानताएँ बढ़ रही हैं।
- **राजनीतिक और सामाजिक दुरुपयोग:** OBC आरक्षण में "क्रीमी लेयर" के कथित दुरुपयोग से उन लाभों में कमी आती है, जो सबसे अधिक ज़रूरतमंदों को मिलने चाहिये।
  - जातिगत और सांप्रदायिक पहचानों का कभी-कभी राजनीतिकरण कर दिया जाता है, जिससे संवैधानिक सद्भाव के उद्देश्य कमज़ोर हो जाते हैं।
- **उभरते समूहों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले*** में मान्यता के बावजूद, LGBTQ+ समुदाय के पास विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिये स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा का अभाव है।
- **सीमित जागरूकता और अभिगम:** कई सीमांत समूहों में अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव है, जिससे कानूनी या प्रशासनिक उपाय प्राप्त करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  - कानूनी साक्षरता और प्रशासनिक अभिगम के अभाव के कारण दूर-दराज़ के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय भूमि अधिकार संरक्षण से वंचित हैं।

आगे की राह

- **कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज को कम करने के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **जागरूकता अभियान:** शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिये सीमांत समूहों के बीच अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिये।
- **न्यायिक और प्रशासनिक सुधार:** जातिगत हिंसा और लैंगिक अपराधों के मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिये।
  - संवेदनशील सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिये स्थानीय प्रशासकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- **ज़मीनी स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाना:** स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में विविध आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये पंचायती राज और जनजातीय परिषदों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।
- **अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय संवाद को बढ़ावा देना:** आपसी समझ और सम्मान बनाने के लिये 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' जैसी पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में संवैधानिक तंत्र सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं, लेकिन क्रियान्वयन, जागरूकता तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में अंतराल के कारण उनकी पूरी क्षमता का अनुभव होना अब भी शेष है। इन अंतरालों को कम करने के लिये प्रवर्तन को सुदृढ़ करने, समावेशिता को बढ़ाने और असमानताओं को कम करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : "सांस्कृतिक मानदंडों और लैंगिक रूढ़ियों से प्रभावित सामाजिक दृष्टिकोण किस प्रकार दैनिक जीवन में लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं?" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय: परिभाषित कीजिये कि सांस्कृतिक मानदंड और लैंगिक रूढ़ियाँ किस प्रकार महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आयाम देते हैं तथा असमानता को कायम रखते हैं।
- मुख्य भाग: मीडिया, कार्यस्थल और परिवार पर उनके प्रभाव पर चर्चा करते हुए समस्या के समाधान के उपायों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

महिलाओं के प्रति ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण जिनको सांस्कृतिक मानदंडों और लैंगिक रूढ़ियों से आयाम मिला है, प्राय: उन्हें निष्क्रिय, पोषण करने वाली या अधीनस्थ के रूप में चित्रित करते हैं, जो कार्यस्थलों, परिवारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख लैंगिक असमानताओं को उजागर करते हुए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट- 2023 में भारत 146 में से 127वें स्थान पर है।

मुख्य भाग:

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण

- **सांस्कृतिक मानदंड और लिंग रूढ़िवादिता:**
  - छोटी उम्र से ही लड़के व लड़कियों को अलग-अलग भूमिकाएँ निभाने के लिये समाज में ढाल दिया जाता है, जहाँ महिलाओं से प्राय: घरेलू काम-काज़ और बच्चों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ये लैंगिक अपेक्षाएँ महिलाओं की अवसरों तक पहुँच और निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करती हैं।
  - मीडिया में, महिलाओं को प्राय: पुरुष की इच्छित निष्क्रिय वस्तु या घरेलू भूमिकाओं में सहायक व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जाता है। इस तरह के चित्रण रूढ़ियों को और भी दृढ़ करते हैं जो महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता एवं करियर की आकांक्षाओं को सीमित करते हैं।
- **परिवार और कार्यस्थल पर प्रभाव:**
  - परिवार में, महिलाओं से मुख्य रूप से देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू श्रम का असमान विभाजन हो जाता है। यह प्राय: महिलाओं की पेशेवर करियर बनाने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे वे आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं।
  - कार्यस्थल में, ग्लास सीलिंग, वेतन अंतर और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह उन गहरी रूढ़ियों का परिणाम हैं जो महिलाओं की पेशेवर क्षमताओं को कम आँकती हैं। ये रूढ़ियाँ अवसरों तक समान पहुँच को रोकती हैं और महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधा डालती हैं।

इस मुद्दे के समाधान के लिये कदम उठाए गए हैं

- **सरकारी और न्यायिक उपाय:**
  - सरकार ने इन सामाजिक असंतुलनों को दूर करने के लिये विभिन्न पहल शुरू की हैं।
    - उदाहरण के लिये, ***"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"*** योजना का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और कन्या भ्रूण हत्या को कम करना है।
    - मातृत्व लाभ अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे कार्यक्रम भी कार्यस्थल पर बेहतर समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं।
  - न्यायपालिका ने लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को लागू करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महिलाओं के लिये सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
    - इसके अतिरिक्त, लिंग-संवेदनशील निर्णय, जैसे कि कानूनी कार्यवाही में प्रयुक्त अपमानजनक भाषा से

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

संबंधित फैसले, महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **मूल कारणों पर ध्यान देना:**
  - इन उपायों के बावजूद, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मूल्यों का कायम रहना यह दर्शाता है कि समस्या सांस्कृतिक प्रथाओं में गहराई से अंतर्निहित है।
    - प्रवर्तन की कमी, व्यापक भेदभाव और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएँ प्रायः लैंगिक समानता के प्रयासों को प्रभावहीन कर देती हैं।

निष्कर्ष:

एक अधिक समतामूलक समाज के निर्माण के लिये सांस्कृतिक मानदंडों और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना आवश्यक है। यद्यपि सरकार और न्यायपालिका द्वारा उठाए गए कदमों से बहुत हद तक प्रगति हुई है, फिर भी पितृसत्तात्मकता को प्रभावी ढंग से समाप्त करने और वास्तविक रूप में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये निरंतर सामाजिक जागरूकता तथा नीतियों के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

भूगोल

प्रश्न : छोटा नागपुर पठार के खनिज संसाधन और इस क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक कारकों का विश्लेषण कीजिये। **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- छोटा नागपुर पठार को 'भारत का खनिज हृदय स्थल' बताकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- छोटा नागपुर पठार के खनिज संसाधन आधार पर प्रकाश डालिये।
- धातुकर्म और विनिर्माण क्षेत्र को आयाम देने में इसकी भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- खनिज प्रचुरता के पीछे भू-वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

छोटा नागपुर पठार, जिसे प्रायः 'भारत का खनिज हृदय स्थल' कहा जाता है, लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे विविध खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इस संसाधन आधार ने भारत के धातुकर्म और विनिर्माण क्षेत्रों को आयाम देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह क्षेत्र एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है।

मुख्य भाग:

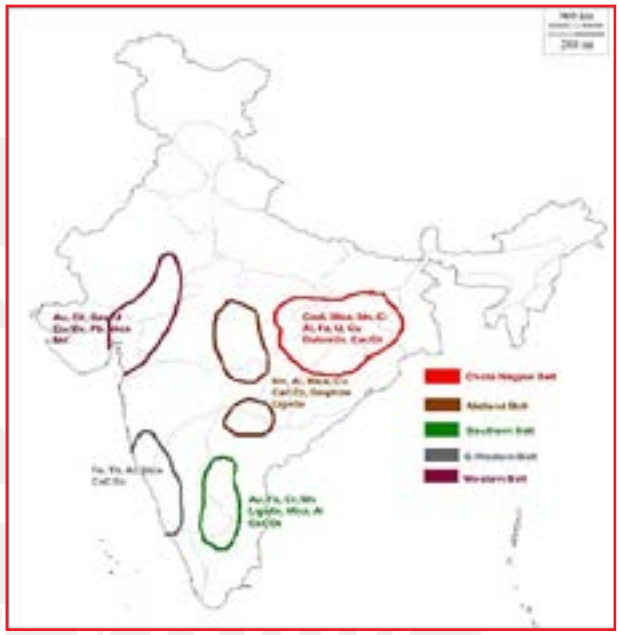

छोटा नागपुर पठार का खनिज संसाधन आधार

- **लौह अयस्क:** नोआमुंडी, गुआ (झारखंड) और आस-पास के क्षेत्रों में प्रमुख भंडार।
  - उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क से इस्पात उत्पादन को सहायता मिलती है।
- **कोयला:** दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र (जैसे- झरिया, बोकारो और रानीगंज) भारत के ताप विद्युत और इस्पात उद्योगों की रीढ़ हैं।
- **अभ्रक:** कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, जिससे भारत विश्व स्तर पर अभ्रक के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है। अभ्रक का विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **बॉक्साइट और ताँबा:** राँची और गुमला ज़िलों में प्रचुर भंडार एल्यूमीनियम एवं ताँबे के उत्पादन में योगदान करते हैं।
- **यूरेनियम:** जादुगुड़ा में यूरेनियम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ईंधन प्रदान करता है।

धातुकर्म और विनिर्माण क्षेत्र को आयाम देने में भूमिका:

- **इस्पात उद्योग:** लौह अयस्क और कोयला भंडार की निकटता के कारण प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई।
  - **उदाहरण:** जमशेदपुर में टाटा स्टील, बोकारो और राउरकेला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) संयंत्र।
- **एल्युमिनियम उत्पादन:** प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट भंडार ने हिंडाल्को जैसे उद्योगों को समर्थन दिया, जिससे भारत के एल्युमिनियम क्षेत्र को बढ़ावा मिला।
- **ताप विद्युत उत्पादन:** कोयला भंडार क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे औद्योगिक ऊर्जा मांग पूरी होती है।
  - **उदाहरण:** दामोदर घाटी निगम (DVC) उद्योगों के लिये विद्युत ऊर्जा की सुविधा प्रदान करता है।
- **रोज़गार सृजन और शहरीकरण:** खनिज आधारित उद्योगों ने जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे शहरों में शहरीकरण को बढ़ावा दिया।

खनिज प्रचुरता के पीछे भू-वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारक

- **भू-वैज्ञानिक कारक:**
  - मज़बूत आधार: इसकी नींव प्राचीन क्रिस्टलीय शैल से बनी है, जिसमें आर्कियन कायांतरित संरचनाएँ, ग्रेनाइट का निर्माण और क्रिस्टलीय संस्तर शामिल हैं, जो इसकी खनिज संपदा के लिये संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करते हैं।
  - संरचनात्मक विशेषताएँ: पठार की भू-वैज्ञानिक संरचना, जो फ्रैक्चर ज़ोन, फॉल्ट लाइनों, वलन और कायांतरण प्रक्रियाओं द्वारा चिह्नित है, खनिज भंडार को सांद्रित करने तथा संरक्षित करने में सहायक रही है।
    - ये संरचनात्मक विशेषताएँ शैल संरचनाओं के भीतर विविध खनिजों के समाविष्ट होने के लिये आदर्श स्थितियाँ प्रदान करती हैं।
- **ऐतिहासिक कारक:**
  - औपनिवेशिक विकास: औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयले और लौह अयस्क के ब्रिटिश दोहन ने औद्योगीकरण की आधारशिला रखी।
  - स्वतंत्रता के बाद का औद्योगिकीकरण: पंचवर्षीय योजनाओं में पठार के संसाधनों का लाभ उठाते हुए भारी उद्योगों पर ज़ोर दिया गया।
  - बुनियादी अवसंरचना का विकास: रेलवे और विद्युत संयंत्रों ने संसाधनों के उपयोग को सुगम बनाया।

निष्कर्ष:

अपने विशाल खनिज संसाधनों के साथ छोटानागपुर पठार भारत के धातुकर्म और विनिर्माण विकास की आधारशिला रहा है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जैसी भू-वैज्ञानिक विशेषताओं और टाटा स्टील की स्थापना जैसी ऐतिहासिक पहलों ने इस क्षेत्र को औद्योगिक केंद्र में बदल दिया है। हालाँकि दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिये संधारणीय दोहन और समान संसाधन साझाकरण आवश्यक है।

प्रश्न : "पठारों को अक्सर 'खनिजों का खज़ाना' कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख पठारों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये।" (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- पठार को 'खनिजों का खज़ाना' के रूप में परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिये।
- विश्व के प्रमुख पठारों में खनिज संपदा का अन्वेषण कीजिये।
- खनिज आधारित आर्थिक गतिविधि को दर्शाने में पठारों की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पठार, विवर्तनिक संचलनों, ज्वालामुखी गतिविधियों या अपरदन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित ऊँचे समतल क्षेत्र, अपनी खनिज समृद्धि के लिये जाने जाते हैं। 'खनिजों का खज़ाना' शब्द उपयुक्त है क्योंकि पठारों में धातु और गैर-धातु खनिजों के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं, जो वैश्विक स्तर पर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

विश्व के प्रमुख पठारों में खनिज संपदा

- **छोटा नागपुर पठार (भारत):** 'भारत के खनिज हृदय' के रूप में जाना जाने वाला यह पठार निम्नलिखित रूप से समृद्ध है:
  - **कोयला:** भारत के ऊर्जा क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है।
  - **लौह अयस्क:** इस्पात उद्योग का आधार है।
  - **मैंगनीज़ और अभ्रक:** इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण में उपयोग किया जाता है।
    - झरिया कोयला क्षेत्र और नोवामुंडी लौह अयस्क खदानें इसमें प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।
- **दक्कन का पठार (भारत):** ज्वालामुखी गतिविधि से निर्मित, यह निम्न में समृद्ध है:
  - **बॉक्साइट:** एल्युमीनियम उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण।
  - **सोना:** कोलार स्वर्ण क्षेत्र में पाया जाता है।
    - काली कपास मिट्टी (रेगुर) कपास की खेती जैसी कृषि गतिविधियों के लिये सहायक होती है।
- **कोलोराडो पठार (संयुक्त राज्य अमेरिका):** निम्नलिखित विशेषताओं के लिये प्रसिद्ध हैं:
  - **यूरेनियम भंडार:** परमाणु ऊर्जा के लिये आवश्यक।
  - **ताँबा और पोटाश:** इलेक्ट्रॉनिक्स और उर्वरकों में उपयोग किया जाता है।
    - इसमें ग्रैंड कैन्यन जैसे दर्शनीय स्थल भी हैं, जो इसके महत्त्व को बढ़ाते हैं।
- **तिब्बती पठार (चीन):** निम्नलिखित तत्त्वों से समृद्ध भंडार हैं:
  - **लिथियम:** आधुनिक बैटरी प्रौद्योगिकी के लिये महत्त्वपूर्ण।
  - **क्रोमाइट:** इस्पात और मिश्र धातु उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
    - यांग्त्ज़े और मेकांग जैसी नदियों की उपस्थिति के कारण यह एशिया के 'वाटर टॉवर' के रूप में कार्य करता है।
- **अफ्रीकी पठार:**
  - **सोना:** दक्षिण अफ्रीका अपने सोने के भंडार के लिये प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिये, विटवाटरसैंड बेसिन विश्व के सबसे बड़े सोना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।
  - **ताँबा:** कटंगा पठार (कांगो) में तांबे के विशाल भंडार हैं, जो वैश्विक तकनीकी उद्योग को शक्ति प्रदान करते हैं।
- **ब्राज़ील का पठार:** इसका एक प्रमुख स्रोत:
  - **लौह अयस्क और मैंगनीज़:** ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
  - **सोना:** वैश्विक व्यापार के लिये ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण।

खनिज आधारित आर्थिक गतिविधि को दर्शाने में पठारों की भूमिका

- **औद्योगिक आधार:** पठारों से निष्कर्षित खनिज इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र जैसे उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं। (भारत में BALCO और NALCO)
- **निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्थाएँ:** कांगो और ब्राज़ील जैसे देश पठार-आधारित खनिज निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** तिब्बती पठार से लिथियम और कोलोराडो पठार से यूरेनियम स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव को प्रेरित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

पठारों की खनिज संपदा 'खनिजों का खज़ाना' के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है, जो वैश्विक स्तर पर औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। छोटा नागपुर, कोलोराडो और कटंगा जैसे पठार ऐसे क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण हैं जहाँ खनिज संसाधन विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

प्रश्न : बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवातों का खतरा अधिक क्यों होता है? भारत में हाल ही में आए प्रमुख चक्रवातों के उदाहरण देकर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? इसके लिये उचित आँकड़ों और तर्कों के साथ उत्तर दीजिये।
- अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवाती गतिविधि के कारणों को बताइये।
- भारतीय तट पर आए हाल के प्रमुख चक्रवातों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय:

भारतीय उपमहाद्वीप, जिसकी 8,041 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक चक्रवात की घटना होती है।

- यह घटना भौगोलिक, मौसम संबंधी और महासागरीय कारकों से प्रभावित होती है तथा जलवायु परिवर्तन एवं मानवजनित गतिविधियों के कारण और भी गंभीर हो जाती है।

मुख्य भाग:

अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवाती गतिविधि के कारण:

- **भौगोलिक एवं समुद्र विज्ञान संबंधी कारक:**
  - **फनल-जैसी आकृति:** खाड़ी की अवतल संरचना भारत, बांग्लादेश और म्याँमार के तटों की ओर तूफानी लहरों को निर्देशित तथा प्रवर्द्धित करती है, जिससे उनका प्रभाव तीव्र हो जाता है।
    - यह विशिष्ट भौगोलिक स्थिति अरब सागर में अनुपस्थित या न्यूनतम है, जिसमें समान रूप से स्पष्ट फनल-जैसी आकृति का अभाव है और इस कारण तूफानी लहरों का प्रवर्द्धन कम हो जाता है।
  - **उथला तटीय जल:** ये जल तूफानी लहरों को काफी ऊपर उठने देते हैं, जिससे चक्रवातों के आने पर भयंकर बाढ़ आती है।
- **अनुकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियाँ**
  - **उच्च समुद्री सतह तापमान (SST):** बंगाल की खाड़ी में SST निरंतर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जो प्राय: 30 डिग्री सेल्सियस-32 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो चक्रवात निर्माण के लिये आदर्श है।
    - गर्म समुद्री पवनें नमी युक्त पवन और वाष्पीकरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे तूफानों को तीव्र होने के लिये ऊर्जा मिलती है।
  - **नदियों से गर्म जल का प्रवाह:** गंगा, ब्रह्मपुत्र और इरावदी जैसी प्रमुख नदियाँ खाड़ी में गर्म ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं, जिससे पृष्ठीय जल ठंडा नहीं हो पाता है।
    - अरब सागर के विपरीत, जहाँ जल ऊर्ध्वाधर रूप से मिश्रित होता है, खाड़ी की स्तरीकृत परतें उष्ण पृष्ठीय तापमान को बनाए रखती हैं।
- **वायुमंडलीय गतिशीलता**
  - **कमज़ोर पविंड शीयर:** खाड़ी में, हवा की गति में ऊर्ध्वाधर अंतर (विंड शीयर) अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे चक्रवातों को विकसित होने और चक्रवाती संरचना बनाए रखने में सहायता मिलती है।
  - **नमी युक्त पवनें:** खाड़ी के ऊपर गर्म, आर्द्र पवनें चक्रवात की तीव्रता को बढ़ाती हैं, विशेष रूप से मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात के मौसम में।
- **अन्य कारक:**
  - **मानसून के बाद का प्रभाव:** अक्तूबर-नवंबर के दौरान रिट्रीटिंग मानसून खाड़ी में चक्रवातों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, जिसमें निम्न दाब वाले क्षेत्र और स्थिर पवनें उनकी उत्पत्ति में सहायता करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए प्रमुख चक्रवात:

- **चक्रवात अम्फान (वर्ष 2020):**
  - तीव्रता: सुपर चक्रवाती तूफान
  - प्रभाव: पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी विनाश
- **चक्रवात यास (वर्ष 2021):**
  - तीव्रता: बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान।
  - प्रभाव: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़।
- **चक्रवात मोचा (वर्ष 2023):**
  - तीव्रता: अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान।
  - प्रभाव: बांग्लादेश और म्याँमार में व्यापक विनाश।

निष्कर्ष:

बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक विशेषताएँ और समुद्र की सतह का उच्च तापमान इसे चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी आवृत्ति एवं गंभीरता बढ़ रही है। हालाँकि अरब सागर पारंपरिक रूप से कम सक्रिय था, लेकिन हाल ही में आए चक्रवात जैसे तौकते (वर्ष 2021) और बिपरजॉय (वर्ष 2023) गर्म होते समुद्र के कारण बढ़ते खतरे को उजागर करते हैं।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में हस्तशिल्प और पारंपरिक कारीगर समुदायों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में हस्तशिल्प और कारीगर समुदायों की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी विविध हस्तशिल्प और कारीगर परंपराओं में गहराई से निहित है, जो देश के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सार का प्रतिनिधित्व करती है। ये शिल्प न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं बल्कि इसके संरक्षण एवं वैश्विक मान्यता के माध्यम के रूप में भी कार्य करते हैं।

मुख्य भाग:

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में हस्तशिल्प और कारीगर समुदायों की भूमिका:

- **पारंपरिक ज्ञान और तकनीकों की सुरक्षा**
  - हस्तशिल्प में पारंपरिक कौशल का समावेश होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जैसे- बनारसी रेशमी साड़ियों की जटिल बुनाई या ओडिशा में पट्टचित्र चित्रकला की कारीगरी।
  - कश्मीरी पश्मीना कारीगर और कच्छ कढ़ाई श्रमिक जैसे समुदाय अपने शिल्प के माध्यम से अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान को संरक्षित करते हैं।
- **स्वदेशी सामग्री और स्थिरता को पुनर्जीवित करना**
  - कई हस्तशिल्पों में स्थानीय रूप से उपलब्ध, पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिससे स्वदेशी प्रथाओं को जीवित रखा जाता है, जैसे कि असम के जापी बनाने में बाँस का प्रयोग या पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर के टेराकोटा शिल्प में मिट्टी का उपयोग।
  - ये टिकाऊ पद्धतियाँ भारत के प्रकृति के प्रति सम्मान को उजागर करती हैं, जो इसकी सांस्कृतिक प्रकृति का एक प्रमुख पहलू है।
- **लोककथाओं, पौराणिक कथाओं और अनुष्ठानों का संरक्षण**
  - हस्तशिल्प में प्राय: पौराणिक कथाओं और लोककथाओं की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं। उदाहरण के लिये, बिहार की मधुबनी पेंटिंग रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शाती हैं, जो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के दृश्य वर्णन के रूप में काम करती हैं।
- **त्योहारों और अनुष्ठानों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा**
  - तमिलनाडु में कोलम कला और दिवाली के दौरान रंगोली जैसे पारंपरिक शिल्प, त्योहारों से जुड़ी समुदाय-केंद्रित कला को प्रदर्शित करते हैं तथा साझा पहचान व अपनेपन की भावना को सुदृढ़ करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देना**
  - हस्तशिल्प भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे: उत्तर प्रदेश की जरदोजी कढ़ाई, पंजाब की फुलकारी और आंध्र प्रदेश की लेपाक्षी कलमकारी।
  - यह क्षेत्रीय विशिष्टता बहुलवादी राष्ट्रीय पहचान में योगदान देती है और वैश्विक रुचि को आकर्षित करती है।
- **सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक विकास में योगदान**
  - ओडिशा में रघुराजपुर या गुजरात में कच्छ जैसे कारीगर समूह सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं तथा सामुदायिक भागीदारी और गौरव को बढ़ावा देते हैं।
  - हस्तशिल्प आजीविका प्रदान करते हैं, ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करते हैं और परंपराओं को जीवित रखते हैं।
    - उदाहरण के लिये, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की सफलता समुदाय-संचालित विकास का प्रमाण है।
- **वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति**
  - चिकनकारी कढ़ाई और जयपुर ब्लू पॉटरी जैसे भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारतीय परंपराओं के संदर्भ में जागरूकता बढ़ रही है तथा वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान समृद्ध हो रहा है।

हस्तशिल्प और कारीगर समुदायों के संरक्षण में चुनौतियाँ:

- **कारीगरों की घटती संख्या:** कम पारिश्रमिक और पेशेवर सम्मान की कमी के कारण युवा पीढ़ी कारीगरों से दूर जा रही है।
- **मशीन-निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्द्धा:** बड़े पैमाने पर उत्पादन पारंपरिक हस्तशिल्प के बाज़ार को कमज़ोर करता है।
- **जागरूकता और मांग का अभाव:** कई शिल्प सीमित घरेलू और वैश्विक दृश्यता के कारण प्रभावित होते हैं (जैसे- टोडा कढ़ाई, डोकरा कला)।
- **सामग्री की कमी और बढ़ती लागत:** रेशम या मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ती लागत और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण खतरे में है।

आगे की राह

- **संस्थागत समर्थन और नीतिगत हस्तक्षेप:** वित्तीय सहायता, बुनियादी अवसंरचना और कौशल प्रशिक्षण के लिये अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करना:** युवाओं को जोड़ने के लिये NEP- 2020 के पाठ्यक्रम में स्थानीय शिल्प को शामिल किया जाना चाहिये। मधुबनी कला और कनी शॉल जैसे शिल्प के लिये डिजिटल अभिलेखागार विकसित किया जाना चाहिये।
- **बाज़ार एकीकरण:** GI टैग का विस्तार करने के साथ ही बनारसी साड़ियों और दार्जिलिंग चाय जैसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - कारीगरों तक पहुँच के लिये अमेज़न कारीगर जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता है।
- **संधारणीय अभ्यास:** चन्नपटना खिलौनों जैसे उत्पादों में प्राकृतिक रंगों एवं संधारणीय सामग्रियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। वैश्विक अपील के लिये पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **कारीगर कल्याण:** कारीगरों के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन और स्वास्थ्य लाभ का विस्तार किया जाना चाहिये।।
- **सांस्कृतिक पर्यटन:** रघुराजपुर जैसे शिल्पी गाँवों को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय शिल्प को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिये सूरजकुंड मेले जैसे और अधिक आयोजन किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के हस्तशिल्प और कारीगर समुदायों को संरक्षित करने के लिये नीति, बाज़ार एकीकरण, कौशल आधुनिकीकरण एवं जन जागरूकता से जुड़े बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संसाधनों, मान्यता और अवसरों के साथ इन समुदायों को सशक्त बनाना भारत की सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करता है, साथ-ही-साथ सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : भारतीय लघु चित्रकला के दरबारी कला से वैश्विक कलात्मक माध्यम में परिवर्तन पर चर्चा कीजिये और यह कैसे विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में सामाजिक-राजनीतिक आख्यानों को प्रतिबिंबित करती हैं, विचार कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय लघु चित्रकला के संदर्भ में जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- ऐतिहासिक काल में लघु चित्रकला के परिवर्तन पर गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- तर्क दीजिये कि वे सामाजिक-राजनीतिक आख्यानों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय लघु चित्रकला, जो अपने जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिये जानी जाती है, अब दरबार-केंद्रित कला रूपों से विकसित होकर वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुकी है।

- पाल वंश के तहत 7वीं शताब्दी में विकसित हुई इन चित्रकलाओं ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक आख्यानों को प्रतिबिंबित किया है तथा सदियों से इनमें शैलीगत और विषयगत रूप से बदलाव आते रहे हैं।

मुख्य भाग:

ऐतिहासिक काल में लघु चित्रकला का रूपांतरण:

प्रारंभिक आधार:

- **बौद्ध और जैन प्रभाव (7वीं-16वीं शताब्दी)**
  - पाल शाखा (बंगाल): बौद्ध ग्रंथों पर केंद्रित, ताड़ के पत्तों पर वक्र रेखाओं और मद्धम रंगों से चित्रित।
    - **उदाहरण:** बौद्ध धर्म से प्रभावित विषयवस्तु, ***मामकि*** (बुद्ध का स्त्री अवतार) जैसे देवताओं का चित्रण।
  - पश्चिमी भारतीय जैन शैली: गुजरात व राजस्थान में विकसित हुई, जिसमें ***कल्पसूत्र*** जैसी जैन पांडुलिपियों को चित्रित करने के लिये मोटी रेखाओं और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया।
    - विषयों में धार्मिक भक्ति और सामाजिक मानदंडों पर ज़ोर दिया गया।
- **मुगल काल (16वीं-18वीं शताब्दी)**
  - **फारसी और भारतीय शैलियों का एकीकरण:** मुगल सम्राटों के संरक्षण में, इस युग ने एक माध्यम के रूप में कागज़ और परिप्रेक्ष्य एवं छायाँकन जैसी यूरोपीय तकनीकों को पेश किया।
  - **विषय-वस्तु:** दरबारी जीवन, शिकार के दृश्य और प्राकृतिक तत्त्व।
    - **उदाहरण:** शाहजहाँ के राज्याभिषेक का लघुचित्र ***पादशाहनामा***, जो शाही अधिकार और सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाता है।
  - **प्रमुख विकास:** जहाँगीर के अधीन कलात्मक परिष्कार, भारतीय रूपांकनों के साथ फारसी परिशुद्धता का सम्मिश्रण।
    - प्रकृति और कूटनीति प्रमुख विषय थे, जैसा कि ***जहाँगीर और फारस के अब्बास प्रथम*** के मध्य देखा गया।
- **मुगलोत्तर काल: क्षेत्रीय अनुकूलन**
  - **राजस्थानी लघुचित्र (17वीं-18वीं शताब्दी):** किशनगढ़, मेवाड़ और मारवाड़ जैसे अलग-अलग स्कूल विकसित हुए।
    - विषय-वस्तु पौराणिक महाकाव्यों (जैसे- ***रामायण***, ***महाभारत***) और कृष्ण-राधा के चित्रण के इर्द-गिर्द घूमती थी।
  - **पहाड़ी शैली:** हिमाचल प्रदेश और जम्मू में विकसित हुई, जिसमें मुगल प्रभावों के साथ वैष्णव विषयों का संयोजन था।
    - **उदाहरण:** कांगड़ा शैली के ***वन में राम और सीता*** गीतात्मक प्रकृतिवाद पर ज़ोर देते हैं।
  - **दक्कनी लघुचित्र:** इस्लामी रूपांकनों और स्थानीय प्रभावों का अनूठा मिश्रण।
    - विषयवस्तु कुरानिक रोशनी से लेकर रूमानी चित्रण तक थी, जैसा कि ***राग ककुभा*** में देखा गया है।
- **आधुनिक पुनरुद्धार और वैश्विक मान्यता:** लघु कला संग्रहालयों में संरक्षित है तथा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इसका सीमित प्रचलन है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वैश्विक प्रदर्शनियों, कला संग्राहकों और डिजिटल मीडिया ने भारतीय लघु चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लाकर उनके कालातीत आकर्षण पर ज़ोर दिया है।

सामाजिक-राजनीतिक आख्यानों का प्रतिबिंब:

- **धार्मिक आदर्शों का चित्रण:** पाल और जैन शैलियों में आध्यात्मिक आख्यान तथा मध्यकालीन भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव प्रतिबिंबित होता था।
- **दरबारी जीवन का दस्तावेज़ीकरण:** मुगल लघुचित्रों में शाही घटनाओं, राजनीतिक कूटनीति और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का वर्णन किया गया है।
  - उदाहरण के लिये, अकबर और जहाँगीर के चित्रों में प्रशासनिक परिष्कार एवं महानगरीय लोकाचार को दर्शाया गया है।
- **क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय आख्यान:** राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकलाओं ने रियासतों की सामाजिक-राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला।
  - **उदाहरण:** किशनगढ़ चित्रकला ने ***राधा-कृष्ण*** विषयों के माध्यम से राजपूत मूल्यों को दर्शाया।
- **सांस्कृतिक समन्वय:** दक्कनी लघुचित्रों में इस्लामी, यूरोपीय और भारतीय शैलियों का एकीकरण किया गया, जो दक्कन सल्तनत की महानगरीय प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है।
  - **उदाहरण:** गोलकोंडा शासकों के चित्र क्षेत्रीय शक्ति का प्रतीक थे।

निष्कर्ष:

भारतीय लघु चित्रकला ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाया है, जबकि बाह्य प्रभावों तथा स्थानीय बारीकियों को अपनाया है। धार्मिक पांडुलिपियों से लेकर शाही भव्यता के चित्रण तक वे भारत के दृश्य इतिहास के रूप में काम करते हैं। आज उनकी वैश्विक प्रशंसा इस जटिल कला रूप की कालातीत अपील को रेखांकित करती है, जो परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण की विशेषता है।

प्रश्न : भारत में बौद्ध कला के विकास में मथुरा शैली और गांधार शैली की विशेषताओं तथा योगदान पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मथुरा और गांधार कला के महत्त्व को संक्षेप में बताकर उत्तर दीजिये।
- बौद्ध कला के विकास में मथुरा शाखा के योगदान पर गहराई से विचार प्रस्तुत कीजिये।
- बौद्ध कला के विकास में गांधार शाखा के योगदान पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान उभरने वाली मथुरा और गांधार कला शैलियाँ भारतीय कला में दो अलग-अलग किंतु परस्पर जुड़ी हुई परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

- जहाँ मथुरा शाखा का विकास स्वदेशी रूप से हुआ, वहीं गांधार शाखा में ग्रीक-रोमन प्रभाव सम्मिलित थे।
- दोनों शाखाओं ने बुद्ध और बौद्ध कथाओं के चित्रण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत में बौद्ध कला के विकास को आकार मिला।

मुख्य भाग:

मथुरा कला शाखा:

- **काल और केंद्र:** इसकी उत्पत्ति , मुख्यत: मथुरा (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में पहली शताब्दी ई. में हुई।
  - कुषाण साम्राज्य के तहत यह समृद्ध हुआ और गुप्त काल (4थी-6ठी शताब्दी ई.) के दौरान अपने चरम पर पहुँच गया। चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर के उपयोग के लिये उल्लेखनीय है।
- **बौद्ध कला में योगदान:**
  - **बुद्ध का मानवीय चित्रण:** प्रतीकात्मक चित्रण (जैसे- पदचिह्न, स्तूप) से मानवरूपी छवियों की ओर संक्रमण।
    - बुद्ध को आध्यात्मिक गहनता वाले एक दृढ़, ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में दर्शाया गया है।
  - **सामान्य सुविधाएँ:**
    - मुंडा हुआ सिर, मांसल धड़।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ***दाहिना हाथ अभयमुद्रा*** (आश्वासन का संकेत) में।
- ***पद्मासन*** (कमल मुद्रा) में बैठे हुए चित्रण।
- उदाहरण: बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध, जिनके तलवों और हथेलियों पर ***धर्म चक्र*** और ***त्रिरत्न*** के प्रतीक अंकित हैं।

◆ **विशिष्ट शैली:** आंतरिक आध्यात्मिकता और चेहरे के भावों पर ज़ोर देने वाली स्वदेशी शिल्पकला।
- वृत्ताकार में उकेरी गई आकृतियाँ, सभी कोणों से दिखाई देती हैं।

गांधार कला शाखा:

- काल और केंद्र: पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसवी तक विकसित हुआ।
  - ◆ **प्रमुख केंद्र:** तक्षशिला, पेशावर, बामियान और बेग्राम (आधुनिक अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत)।
  - ◆ **बौद्ध कला में योगदान:**
    - ग्रीको-रोमन प्रभाव: यथार्थवाद और कायिक सटीकता का परिचय दिया।
  - ◆ **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - लहराते बाल, चेहरे की विशेषताएँ।
    - हेलेनिस्टिक शैली में लिपटे वस्त्र।
    - बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल, ग्रीक परंपराओं से लिया गया है।
- **बुद्ध का चित्रण:** बुद्ध को शांत और ध्यानमग्न अवस्था में चित्रित किया गया है, जो प्राय: यूनानी देवता अपोलो जैसा दिखता है।
- जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाले बौद्ध पैनलों में कहानी कहने की निपुणता।
- नीले-भूरे रंग के शिस्ट का प्रयोग, मूर्तियों को विशिष्ट फिनिश देता है।
  - ◆ कलात्मक यथार्थवाद: शारीरिक सूक्ष्मता, स्थानिक गहनता और भावनात्मक अभिव्यक्तियों पर ज़ोर।
- उदाहरण: ग्रीक शैली के वस्त्र और अलंकरण के साथ खड़े बुद्ध और बैठे हुए बोधिसत्व।

निष्कर्ष:

मथुरा और गांधार शैलियों ने सामूहिक रूप से बौद्ध कला को समृद्ध किया, जिसमें स्वदेशी आध्यात्मिकता को विदेशी सौंदर्यबोध के साथ मिश्रित किया गया। मथुरा की आध्यात्मिक शक्ति और गांधार की यथार्थवादी उत्कृष्टता ने भारतीय बौद्ध कला के सार्वभौमिक आकर्षण की नींव रखी, जिससे एशिया व उसके बाहर इसकी विरासत सुनिश्चित हुई।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : भारत में राज्य विधानमंडल विचार-विमर्श करने वाले निकाय के बजाय केवल अनुमोदन कक्ष बनते जा रहे हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत में राज्य विधानमंडलों के कार्यों पर प्रकाश डालिये।
- राज्य विधानमंडलों को अनुसमर्थन कक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए साक्ष्य दीजिये।
- गिरावट में योगदान देने वाले कारकों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- राज्य विधानमंडलों को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग VI के तहत विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होता है, जिसका कार्य कानून बनाना, सार्वजनिक नीतियों पर वार्ता करना और कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना है।

- राज्य विधानमंडल, जो कभी गहन बहस और नीति-निर्माण के लिये जीवंत मंच हुआ करते थे, अब अपना विचार-विमर्शात्मक चरित्र खोते जा रहे हैं साथ ही प्राय: कार्यपालिका के विस्तार मात्र के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा न्यूनतम जाँच के साथ निर्णय पर अपनी मुहर लगा रहे हैं।

मुख्य भाग:

राज्य विधानमंडलों द्वारा जीवंत मंच के रूप में कार्यान्वयन:

ऐतिहासिक रूप से, भारत में राज्य विधानमंडलों ने बहस, नीति-निर्माण और कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिये जीवंत मंच के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में कठोर बहस:** 1950 और 1960 के दशक के दौरान, राज्य विधानसभाएँ भूमि सुधार, शिक्षा नीतियों तथा औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर गंभीर बहस के लिये जानी जाती थीं।
  - उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऑपरेशन बर्गा कार्यक्रम पर लंबी बहस हुई, जिसमें किसानों और भूस्वामियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई।
- **सहयोगात्मक विधि निर्माण:** राज्य विधानसभाओं ने परिवर्तनकारी कानूनों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया, जैसे कि केरल का भूमि सुधार अधिनियम (1963), जिस पर विधायकों के विस्तृत सुझावों के साथ गंभीर बहस हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी कार्यान्वयन हुआ।

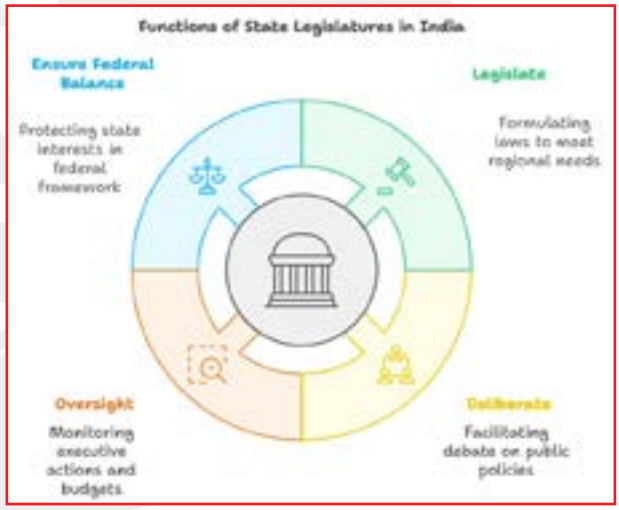

राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कक्ष के रूप में साक्ष्य:

- **बैठक के दिनों में कमी:** हाल के वर्षों में, राज्य विधानसभाओं की बैठकें सालाना कम दिनों के लिये होती रही हैं। वर्ष 2016 से 2022 तक औसत बैठक के दिनों की संख्या में लगातार कमी आई है।
  - वर्ष 2022 में 28 राज्य विधानसभाओं की बैठक औसतन 21 दिनों तक रहीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **विधेयकों का जल्दबाज़ी में पारित होना:** कई राज्य विधानसभाएँ बिना पर्याप्त बहस के विधेयक पारित कर देती हैं। उदाहरण के लिये:
  - वर्ष 2022 में, बिहार, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों ने पेश होने के एक दिन के भीतर सभी विधेयक पारित कर दिये।
- **कमज़ोर विधायी समितियाँ:** संसद के विपरीत, राज्य विधानमंडल गहन चर्चा के लिये शायद ही कभी समितियों पर निर्भर रहते हैं।
  - इससे कानूनों की विस्तृत जाँच प्रभावित होती है, जैसा कि कर्नाटक विधानसभा में देखा गया, जहाँ 5% से भी कम विधेयक समितियों को भेजे गए।
- **अध्यादेशों का अत्यधिक उपयोग:** अध्यादेश विधायी बहस को दरकिनार कर देते हैं। केरल में, सत्र समाप्त होने के दो सप्ताह के भीतर 51 अध्यादेश जारी किये गए और सत्र शुरू होने से 20 दिन पूर्व 44 अध्यादेश जारी किये गए, जो विधायी प्रक्रियाओं पर कार्यपालिका के प्रभुत्व को उजागर करता है।
- **विधायकों की कम भागीदारी:** राज्य विधायक प्राय: विधायी चर्चाओं में भाग लेने के बजाय स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - व्यवधान, स्थगन और कोरम (गणपूर्ति) की कमी के उदाहरण विधायी भागीदारी में कमी को दर्शाते हैं।

राज्य विधानमंडलों को पुनर्जीवित करने के उपाय:

- **अनिवार्य न्यूनतम बैठक दिवस:** विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए अनुसार, राज्य विधानमंडलों की वार्षिक बैठक कम-से-कम 50-70 दिनों के लिये सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक प्रावधान लागू किये जाने की आवश्यकता है।
- **समिति तंत्र को सुदृढ़ बनाना:** विधेयकों और नीतियों की विस्तृत जाँच के लिये विषय-विशिष्ट समितियों का संस्थागत गठन किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, संसद की लोक लेखा समिति का अनुकरण करना।
- **विधायकों के लिये क्षमता निर्माण:** विधायकों को प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना, जिससे सूचित वार्ता एवं नीति-निर्माण में सहायता मिल सके।
- **जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** सार्वजनिक परामर्श और विधान-पूर्व जाँच के माध्यम से विधायी प्रक्रिया में नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत के संघीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में राज्य विधानमंडलों को अपनी वर्तमान निष्क्रियता की स्थिति से बाहर निकलकर जीवंत विचार-विमर्श मंचों के रूप में अपनी भूमिका को पुन: प्राप्त करना चाहिये। संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, विधायी जवाबदेही सुनिश्चित करना और सूचित वार्ता की संस्कृति को बढ़ावा देना विचार-विमर्श के कम होते कामकाज की प्रवृत्ति में सुधार के लिये आवश्यक हैं।

प्रश्न : चुनावी शुचिता की रक्षा और संवर्द्धन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संदर्भ में जानकारी देकर उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने और चुनावी कदाचार को रोकने में RPA, 1951 के प्रमुख प्रावधानों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- यह भी सुझाइये कि इसे और किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) भारत के लोकतांत्रिक संरचना की आधारशिला है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। यह चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का पूरक है, चुनावी कदाचार को दूर करने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिये एक सुदृढ़ कानूनी तंत्र प्रदान करता है।

मुख्य भाग:

चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने में जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रमुख प्रावधान:

- **चुनाव संचालन का विनियमन:** चुनाव और उप-चुनावों के संचालन के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह विधेयक चुनाव आयोग को चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार देता है।

- प्रशासनिक कार्यप्रणाली: मतदाता सूची तैयार करने, मतदान एवं मतगणना के लिये प्रक्रियाएँ और तंत्र स्थापित करती है।
  - अधिकारियों को मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन करने का आदेश दिया जाता है, जिससे मनमानी कम होगी।
- **राजनीतिक दलों का पंजीकरण:** पंजीकरण के लिये मानदंड निर्दिष्ट कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वैध दल ही भाग लें।
  - इससे पार्टी गतिविधियों की जाँच संभव हो सकेगी तथा चुनावी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
- **उम्मीदवारों के लिये योग्यताएँ और अयोग्यताएँ:** चुनाव लड़ने के लिये योग्यताएँ निर्दिष्ट करती हैं, जैसे न्यूनतम आयु और निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताएँ।
  - कुछ अपराधों में दोषी पाए गए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करके राजनीति के अपराधीकरण को रोकता है।
- **भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध प्रावधान:** इसमें रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, छद्मवेश धारण और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग सहित भ्रष्ट आचरण को परिभाषित किया गया है।
  - इस तरह की गतिविधियों में शामिल उम्मीदवारों और दलों को दंडित करना तथा उन पर रोक लगाना शामिल है।
- **चुनावी विवादों का समाधान:** चुनाव से संबंधित विवादों को नामित अदालतों के माध्यम से निपटाने के लिये कानूनी उपाय प्रदान करता है।
  - गैर-कानूनी उम्मीदवारों को सत्ता के पदों पर आसीन होने से रोकता है।

चुनावी कदाचार रोकना:

जनप्रतिनिधि कानून, 1951 चुनावी कदाचारों को नियंत्रित करने और रोकने में अहम भूमिका निभाता है:

- **अयोग्यता प्रावधान:** यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों के लिये दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए, जोकि ***लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले, 2013*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है।
  - व्यय सीमा को अनिवार्य बनाकर वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- **पारदर्शिता उपाय:** उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपनी संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य है।
  - सूचना को छिपाने से रोकता है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- **चुनावी अपराध:** मतदाताओं को डराना-धमकाना, छद्मवेश धारण करना और मतदान केंद्र पर कब्ज़ा करना जैसे कार्यों को अपराध माना जाता है।
  - अधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- **व्यय की निगरानी:** चुनावी व्यय की सीमा सभी उम्मीदवारों के लिये समान अवसर सुनिश्चित करती है।
  - चुनावों में धन के अनुचित प्रभाव को कम करता है।

चुनावी शुचिता को और भी सुदृढ़ करने के लिये अधिनियम में सुधार किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण:** डिजिटल मतदाता सूची और ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना।
- **चुनाव सुधार:** चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति जैसी समितियों की सिफारिशों को लागू करना।
- **जन जागरूकता:** मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिये चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना।

निष्कर्ष

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावों के संचालन को विनियमित करके, कदाचारों पर अंकुश लगाकर और जवाबदेही बढ़ाकर चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने के लिये एक सुदृढ़ विधिक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना और उभरती चुनौतियों का समाधान करना भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत लागू किये गए चुनावी सुधारों की समीक्षा कीजिये। इन सुधारों ने राजनीतिक भागीदारी को कैसे बढ़ाया और साथ ही औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक प्रतिबंधों को किस प्रकार बनाए रखा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत सरकार के वर्ष 1935 के कानून के बारे में जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत हुए चुनावी सुधार बताइये।
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि इसने राजनीतिक भागीदारी को किस प्रकार बढ़ाया।
- इसकी सीमाओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में चुनावी सुधार शामिल थे, जिनका उद्देश्य राजनीतिक भागीदारी का विस्तार करना था, लेकिन इसमें कई औपनिवेशिक प्रतिबंध भी शामिल थे।

- इन सुधारों ने द्विसदनीय विधायिका, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और विभिन्न समुदायों और हितों को समायोजित करने के लिये आरक्षित सीटों की अवधारणाएँ पेश कीं।

मुख्य भाग:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत चुनाव सुधार:

- **पृथक निर्वाचिका मंडल की शुरुआत:** इस अधिनियम ने मुस्लिम, सिख और एंग्लो-इंडियन जैसे धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिका मंडल के प्रावधान को जारी रखा तथा उसका विस्तार किया।
  - इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था लेकिन इससे सांप्रदायिक विभाजन और भी बढ़ता गया।
- **आरक्षित सीटें और प्राथमिकता:** विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों और विशिष्ट समुदायों के लिये सीटें आरक्षित की गईं।
  - अतिरिक्त प्राथमिकता के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों को उन प्रांतों में अधिक प्रतिनिधित्व मिले जहाँ वे बहुसंख्यक नहीं थे।
- **द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल:** केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हो गया, जिसमें संघीय विधानसभा (निचला सदन) और राज्य परिषद (उच्च सदन) शामिल थे।
  - सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते थे, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रभाव सीमित हो जाता था।
- **प्रांतीय चुनाव और स्वायत्तता:** बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के साथ प्रांतीय विधायिकाओं की स्थापना की गई और चुनाव आयोजित किये गए।

राजनीतिक भागीदारी का विस्तार:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने निम्नलिखित तरीकों से **राजनीतिक भागीदारी को महत्त्वपूर्ण रूप से विस्तारित** किया:

- **मताधिकार का विस्तार:** संपत्ति योग्यता, आय और शिक्षा के आधार पर भारतीय जनसंख्या के लगभग 10-12% को शामिल करने के लिये निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया।
  - यद्यपि यह पूर्ववर्ती सीमित मताधिकार से एक सुधार था, फिर भी आबादी के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से गरीब और अशिक्षित लोगों को इससे बाहर रखा गया था।
- **प्रांतीय स्वायत्तता:** प्रांतीय स्तर पर भारतीय नेता अब स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार जैसे विषयों पर कानून बना सकते थे।
  - इससे भारतीय राजनेताओं को शासन में शामिल होने के लिये प्रशिक्षण का अवसर मिला।
- **महिला प्रतिनिधित्व:** पहली बार महिलाओं के लिये पृथक निर्वाचिका पेश की गई, जिससे निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई।
  - हालाँकि महिलाओं के लिये मताधिकार एक छोटे से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तक ही सीमित रहा।
- **राजनीतिक जागरूकता और पार्टी विकास:** अधिनियम के तहत आयोजित चुनावों ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को जनता को संगठित करने तथा राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिये एक मंच प्रदान किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने व्यापक निर्वाचन क्षेत्रों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का विस्तार किया, इसे औपनिवेशिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिये सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था:

- अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के लिये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का रणनीतिक रूप से प्रयोग किया।
- गवर्नरों और गवर्नर-जनरल की वीटो शक्ति सहित शक्तियों से यह सुनिश्चित किया गया कि निर्वाचित सरकारें ब्रिटिश हितों के अधीन रहें और सुधारों के लोकतांत्रिक उद्देश्यों को कमज़ोर किया।
- मताधिकार की सीमित प्रकृति ने यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक भागीदारी केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहे, जिससे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई।

निष्कर्ष:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में चुनावी सुधार के दो पक्ष थे। जबकि उन्होंने राजनीतिक भागीदारी एवं प्रांतीय शासन का विस्तार किया, उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन को भी बढ़ाया, औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखा और वास्तविक लोकतंत्र को सीमित किया। इन कमियों के बावजूद, अधिनियम ने भारत के भविष्य के संवैधानिक विकास के लिये मंच तैयार किया जो पूर्ण स्वतंत्रता के लिये आधार सिद्ध हुआ।

प्रश्न : राज्यसभा के सभापति अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके संघीय संतुलन बनाए रखने में कैसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अध्यक्ष के पद की संवैधानिकता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- संघीय संतुलन बनाए रखने में अध्यक्ष की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- संघीय संतुलन बनाए रखने में चुनौतियों को बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

संविधान के अनुच्छेद 89 में संसद के संघीय सदन की अध्यक्षता करने वाले सभापति (भारत के उपराष्ट्रपति) के लिये प्रावधान है। राज्य सभा का डिज़ाइन संविधान में परिकल्पित संघवाद के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

- अध्यक्ष राज्य के हितों की रक्षा करने तथा अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संघीय संतुलन बनाए रखने में अध्यक्ष की भूमिका

- **राज्य-केंद्रित कानूनों पर विधायी निगरानी:** प्रमुख संघीय मुद्दों पर विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करता है, जैसे:
  - अनुच्छेद 249: जब संसद राष्ट्रीय हित में राज्य के मामलों पर कानून बनाती है।
  - अनुच्छेद 312: राज्य शासन को प्रभावित करने वाली अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।
- **विवादास्पद निर्णयों में निर्णायक मत:** अनुच्छेद 100 में बराबर मत की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है, जिससे निष्पक्ष और संतुलित निर्णय सुनिश्चित हो सके।
  - **राज्य सभा के संघीय चरित्र को संरक्षित करना:** राज्य सभा के कामकाज के संरक्षक के रूप में, सभापति यह सुनिश्चित करता है कि बहस में संघवाद के संवैधानिक सिद्धांत को बरकरार रखा जाए।
  - राज्यों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों (जैसे GST) पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है।
- **तटस्थता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** बहस में निष्पक्षता बनाए रखना, छोटे और बड़े दोनों राज्यों के हितों का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
  - इससे विपक्ष और राज्य-विशिष्ट चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का अवसर मिलता है तथा केंद्र सरकार के कथन को केंद्रीय भूमिका में आने से रोका जा सकता है।
- **केंद्रीकरण के विरुद्ध शिकायतों के समाधान हेतु मंच:** यह राज्यों को केंद्रीय अतिक्रमणों, जैसे अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - इससे केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसी नीतियों की जाँच संभव हो सकेगी तथा राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता का सम्मान सुनिश्चित होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संकट प्रबंधन और संघर्ष समाधान:** विधायी गतिरोध के दौरान संतुलनकारी भूमिका निभाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के दृष्टिकोण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  - उदहारण के लिये, विवादास्पद मामलों में आम सहमति बनाने को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

संघीय संतुलन बनाए रखने में चुनौतियाँ:

- **सत्ता का केंद्रीकरण:** कराधान, कानून और व्यवस्था तथा लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सत्ता का बढ़ता केंद्रीकरण राज्यों की स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है, जिससे अध्यक्ष के लिये संघीय संरचना की प्रभावी रूप से रक्षा करना कठिन हो जाएगा।
- **राजनीतिक दबाव और संघ सरकार का प्रभुत्व:** यद्यपि अध्यक्ष को संवैधानिक रूप से निष्पक्ष रहने का आदेश दिया गया है, फिर भी उसे प्राय: राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर तब जब किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त हो।
  - अध्यक्ष की राजनीतिक संबद्धता उनकी तटस्थता को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उन संवेदनशील मामलों में जिनका संघीय निहितार्थ होता है।
- **संघीय मुद्दों में संरचनात्मक सुधार:** जटिल संघीय मुद्दे, जैसे अंतर-राज्यीय जल विवाद, संसाधन-साझाकरण और क्षेत्रीय असमानताएँ, प्रक्रियात्मक निगरानी से अधिक की मांग करते हैं, वे संरचनात्मक सुधारों की मांग करते हैं जिनको अकेले अध्यक्ष प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
- **राज्य हितों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका के बावजूद, छोटे राज्यों या विशिष्ट क्षेत्रीय चिंताओं वाले राज्यों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अभी भी एक चुनौती है।

निष्कर्ष:

राज्य सभा के सभापति निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके और राज्य के हितों की रक्षा करके भारत के संघीय संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि उनकी संवैधानिक शक्तियाँ महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप की अनुमति देती हैं, केंद्रीकरण में वृद्धि जैसी चुनौतियाँ इस भूमिका के प्रभावी कामकाज को जटिल बनाती हैं। संघवाद को सुदृढ़ करने के लिये, विधायी और संरचनात्मक सुधारों को शामिल करते हुए अधिक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।

प्रश्न : एतिहासिक न्यायिक फैसलों और समितियों की सिफारिशों के संदर्भ में, भारत में बंद (हड़ताल) के कानूनी निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अन्य अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने के लिये क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं ? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- बंद (हड़ताल) के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- बंद (हड़ताल) से संबंधित विधायी और संवैधानिक प्रावधान बताइये।
- बंद (हड़ताल) पर न्यायिक निर्णयों पर प्रकाश डालिये।
- समिति की सिफारिशों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- बंद (हड़ताल) के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए तथा विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

बंद (हड़ताल) विरोध के आक्रामक रूप हैं, जहाँ आयोजनकर्त्ता बंद (हड़ताल) को लागू करते हैं, जिससे सार्वजनिक जीवन, व्यवसाय और आवश्यक सेवाएँ बाधित होती हैं। जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत विरोध से संबंधित कुछ अधिकारों की गारंटी देता है, बंद (हड़ताल) प्राय: नागरिकों के आवागमन, आजीविका और सार्वजनिक व्यवस्था की स्वतंत्रता का उल्लंघन करके इन अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।

मुख्य भाग:

बंद (हड़ताल) को नियंत्रित करने वाली विधिक संरचना

- **विधायी प्रावधान:** लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984, सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान करता है।
  - ऐसे मामलों में नागरिक या संगठन न्यायिक कार्रवाई के लिये जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 19(1)(a):** वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    - विरोध प्रदर्शन को अभिव्यक्ति के एक रूप के रूप में मान्यता दी गई है।
    - हालाँकि अनुच्छेद 19(2) के तहत, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के हित में प्रतिबंधों के अधीन है।
  - **अनुच्छेद 19(1)(b):** शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार
    - शांतिपूर्ण सभाओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित नहीं करना चाहिये या दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये।
  - **अनुच्छेद 19(1)(c):** संघ बनाने का अधिकार
    - यद्यपि यह अधिकार नागरिकों को यूनियन बनाने की अनुमति देता है, परंतु न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि इसमें हड़ताल करने या बंद (हड़ताल) के आह्वान का अधिकार शामिल नहीं है।

बंद (हड़ताल) पर न्यायिक निर्णय:

- **कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य (वर्ष 1962):** स्पष्ट किया गया कि संघ बनाने के अधिकार में स्वाभाविक रूप से हड़ताल करने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का अधिकार शामिल नहीं है।
- **भारत कुमार के. पालीचा बनाम केरल राज्य (वर्ष 1997):** बंद (हड़ताल) को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसमें बंद (हड़ताल) की बलपूर्वक प्रकृति पर बल दिया गया तथा आवागमन की स्वतंत्रता और व्यापार के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया।
- **टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (वर्ष 2003):** स्पष्ट रूप से कहा गया कि हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिये।
- **जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य (वर्ष 2004):** न्यायालय ने माना कि बंद (हड़ताल) के आयोजकों को सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
  - विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया गया।
- **सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (वर्ष 2009):** क्षति के लिये आयोजकों पर कठोर दायित्व लगाने की सिफारिश की गई तथा विरोध प्रदर्शनों पर बेहतर नियंत्रण के लिये विधायी उपायों का प्रस्ताव रखा गया।

समिति की अनुशंसाएँ:

- **न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और फली एस. नरीमन समिति:** अपराधियों की पहचान के लिये विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी का प्रस्ताव।
  - क्षति के लिये आयोजकों पर कठोर दायित्व लागू करने का समर्थन किया गया।

बंद (हड़ताल) का प्रभाव:

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नागरिकों की आवागमन की स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - यह आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के अधिकार को प्रभावित करता है, जो अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
- **आर्थिक परिणाम:** व्यवसायों, दैनिक मज़दूरी श्रमिकों और समग्र आर्थिक उत्पादकता को नुकसान।
  - व्यापार एवं उद्योग में व्यवधान, विशेषकर शहरी केंद्रों में।
- **सार्वजनिक व्यवस्था को ख़तरा:** बंद (हड़ताल) के कारण प्राय: हिंसा, संपत्ति को नुकसान और सामाजिक अशांति फैलती है। इससे कानून प्रवर्तन के लिये प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण:** ज़बरदस्ती और धमकी से विरोध की स्वैच्छिक प्रकृति कमज़ोर होती है तथा लोकतांत्रिक मूल्य कमज़ोर होते हैं।

विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के सुझाव:

- **विधिक संरचना को मज़बूत करना:** विरोध प्रदर्शनों के लिये अनुमेय सीमाओं को परिभाषित करने वाला व्यापक कानून बनाए जाने चाहिये।
  - बलपूर्वक या हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिये कठोर दंड लागू किये जाने चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शांतिपूर्ण विरोध को प्रोत्साहित करना:** व्यवधान को न्यूनतम करने के लिये निर्दिष्ट विरोध क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - विरोध प्रदर्शनों की पूर्व सूचना और अनुमोदन के लिये तंत्र सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- **जवाबदेही और मुआवज़ा:** बंद (हड़ताल) के दौरान होने वाले नुकसान के लिये आयोजकों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। सार्वजनिक और निजी नुकसान को दूर करने के लिये मुआवज़ा निधि की स्थापना की जानी चाहिये।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:** सार्वजनिक जीवन पर बंद (हड़ताल) के प्रभाव को उजागर करने के लिये अभियान चलाए जाने चाहिये। विरोध के गैर-विघटनकारी रूपों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हों।
- **संवाद और मध्यस्थता:** शिकायतों को रचनात्मक ढंग से सुलझाने के लिये प्राधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद हेतु संस्थागत मंच तैयार किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष:

बंद (हड़ताल), विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार में निहित होते हुए भी, प्राय: संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करते हैं और आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान पहुँचाते हैं। न्यायिक हस्तक्षेप और विधायी उपायों ने इन प्रभावों को कम करने का प्रयास किया है। जवाबदेही सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने और शांतिपूर्ण विरोध को बढ़ावा देने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण व्यापक आबादी के अधिकारों एवं कल्याण के साथ असहमति के अधिकार को सुसंगत बना सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : यूरोपीय संघ की उभरती व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव का आकलन कीजिये तथा साथ ही सहयोग एवं संभावित संघर्ष के क्षेत्रों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- यूरोपीय संघ के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- यूरोपीय संघ की उभरती व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों का भारत के सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- सहयोग और संघर्ष के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यूरोपीय संघ (EU), एक प्रमुख आर्थिक ब्लॉक और प्रौद्योगिकी एवं व्यापार में एक वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में, वैश्विक भूराजनीति तथा अर्थशास्त्र को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसकी विकसित व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों का भारत के लिये दूरगामी प्रभाव है, जो द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना, डेटा शासन तथा स्संधरणीयता जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

मुख्य भाग:

यूरोपीय संघ की विकासशील व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव:

- **द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध:**
  - **अवसर:** यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापार बाधाओं को कम करने और बाज़ार पहुँच बढ़ाने जैसे नीतिगत बदलावों से फार्मास्यूटिकल्स, IT और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **चुनौतियाँ:** पर्यावरण, श्रम और उत्पाद गुणवत्ता पर यूरोपीय संघ के कड़े मानकों के कारण भारतीय निर्यातकों के लिये अनुपालन लागत बढ़ सकती है।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल संप्रभुता:**
  - **अवसर:** भारत का IT क्षेत्र AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग से लाभान्वित होगा।
    - प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने वाली यूरोपीय संघ की नीतियाँ भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ कर सकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **चुनौतियाँ:** यूरोपीय संघ के सख्त डेटा संरक्षण नियम (GDPR) और डिजिटल संप्रभुता नीतियाँ सीमा पार डेटा प्रवाह व स्थानीयकरण में भारत के हितों के साथ संघर्षरत हो सकती हैं।
  - प्रौद्योगिकी अंतरण पर प्रतिबंध भारत के स्वदेशीकरण प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **हरित परिवर्तन और स्थिरता:**
  - **अवसर:** भारत स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिये हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा पर यूरोपीय संघ के फोकस का लाभ उठा सकता है।
  - **चुनौतियाँ:** यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर भारत के इस्पात और सीमेंट जैसे कार्बन-गहन उद्योगों को प्रभावित कर सकता है।
    - जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं पर मतभेद से टकराव उत्पन्न हो सकता है।

सहयोग के संभावित क्षेत्र

- **डिजिटल अवसंरचना विकास:** सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित सुरक्षित और अंतर-संचालनीय डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणालियों में साझेदारी।
- **हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा:** हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी का सह-विकास, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और यूरोपीय संघ की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- **स्वास्थ्य देखभाल और औषधि सहयोग:** किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधान के लिये भारत के जेनेरिक दवा उत्पादन और यूरोपीय संघ की अनुसंधान क्षमता का लाभ उठाना।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** उपग्रह विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण तथा आपदा प्रबंधन एवं कृषि में अनुप्रयोगों पर सहयोग करना।

संघर्ष के संभावित क्षेत्र

- **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM):** इसे एक व्यापार बाधा के रूप में देखा जाता है, जो भारत के इस्पात और सीमेंट जैसे कार्बन-गहन निर्यातों को प्रभावित करता है।
- **डेटा और डिजिटल संप्रभुता:** यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) बनाम भारत की डेटा स्थानीयकरण नीतियों के कारण सीमा पार डेटा प्रवाह पर टकराव हो सकता है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** जबकि भारत नियंत्रण चाहता है, यूरोपीय संघ चीन के साथ महत्त्वपूर्ण आर्थिक संबंध बनाए रखता है, जिससे हिंद-प्रशांत रणनीतियों में संभावित असंगतता उत्पन्न हो सकती है।
- **प्रौद्योगिकी पहुँच और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी अंतरण पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध और कठोर IPR मानदंड, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास के लिये भारत के प्रयासों के साथ असंगतता उत्पन्न कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यूरोपीय संघ की उभरती व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियाँ भारत के रणनीतिक हितों के लिये अवसर एवं चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती हैं। प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और सागरीय सुरक्षा जैसे आपसी हितों के क्षेत्रों का लाभ उठाकर, व्यापार व डेटा नीतियों में मतभेदों को दूर करते हुए, भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ कर सकता है।

प्रश्न : हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी के रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। यह भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और भू-राजनीतिक हितों के साथ कैसे संरेखित होती है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के महत्त्व को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी के रणनीतिक निहितार्थों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ इसके संरेखण पर प्रकाश डालिये।
- भारत की समुद्री भागीदारी से संबंधित चिंताएँ बताइये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) अपने भू-आर्थिक महत्त्व, सुरक्षा गतिशीलता और सामरिक भौगोलिक स्थिति के कारण भारत की समुद्री रणनीति के लिये केंद्रीय है। मैरीटाइम इंडिया विज़न- 2030 और SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) सिद्धांत जैसी पहल भारत की अपनी समुद्री उपस्थिति को सुदृढ़ करने की मंशा को दर्शाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी के सामरिक निहितार्थ:

- व्यापार मार्गों और आर्थिक हितों को सुरक्षित करना: मात्रा की दृष्टि से हिंद महासागर भारत के 95% से अधिक व्यापार और मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार का प्रबंधन करता है।
  - व्यापार के लिये विदेशी जहाज़ों पर भारत की निर्भरता उसे कमज़ोर बनाती है, जैसा कि लाल सागर संकट में देखा गया था, जहाँ वैश्विक शिपिंग व्यवधानों ने जोखिमों को रेखांकित किया था।
  - बंदरगाह आधुनिकीकरण (जैसे- सागरमाला कार्यक्रम) सहित समुद्री बुनियादी अवसंरचना का विकास, व्यापार मार्गों पर भारत के नियंत्रण को बढ़ाता है।
- **समुद्री सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना:** भारत की बढ़ती नौसैनिक क्षमताएँ एवं साझेदारियाँ समुद्री मार्गों की निगरानी में सुधार करती हैं, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं और समुद्री डकैती, आतंकवाद तथा अवैध मत्स्यन जैसी चुनौतियों का समाधान करती हैं।
  - सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) जैसी पहल समुद्री क्षेत्र में रियल टाइम जागरूकता प्रदान करती है।
- **नीली अर्थव्यवस्था और सतत् विकास को बढ़ावा देना:** भारत तटीय शिपिंग, मत्स्यिकी और समुद्री पर्यटन सहित आर्थिक विविधीकरण के लिये अपने समुद्री बुनियादी अवसंरचना का लाभ उठा रहा है।
  - हरित सागर पहल जैसे कार्यक्रम समुद्री विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ते हैं तथा भारत की COP28 प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।
- **रोज़गार सृजन और घरेलू जहाज़ निर्माण:** भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और स्थानीय जहाज़ निर्माण को बढ़ावा देना है।
  - सागरमाला कार्यक्रम और कोचीन शिपयार्ड के स्वायत्त जहाज़ों जैसी पहल रोज़गार के अवसर उत्पन्न करती हैं जो समुद्री कार्यबल को बढ़ावा देती हैं।

भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखण:

- **समुद्री संप्रभुता सुनिश्चित करना:** भारत का लक्ष्य अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की रक्षा करना तथा संसाधनों को अवैध दोहन से बचाना है।
  - EEZ विक्रांत जैसे विमानवाहक पोतों सहित नौसैनिक परिसंपत्तियों का विस्तार भारत की समुद्री प्रतिरोध क्षमता को प्रबल करता है।
- चीन के समुद्री प्रभाव का मुकाबला करना चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और वैश्विक जहाज़ निर्माण में इसकी प्रमुख स्थिति (46.6% बाज़ार हिस्सेदारी) भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों को चुनौती देती है।
  - सबंग बंदरगाह (इंडोनेशिया), सित्तवे बंदरगाह (म्याँमार) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) में भारत का निवेश चीन के समुद्री रेशम मार्ग के प्रतिकार के रूप में कार्य करता है।
  - नौसेना की उपस्थिति को मज़बूत करने और महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना के विकास से मलक्का जलडमरूमध्य तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे अवरोध बिंदुओं पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा।
- **भारत-प्रशांत साझेदारी को सुदृढ़ करना:** भारत की समुद्री भागीदारी इसकी 'एक्ट ईस्ट नीति' और भारत-प्रशांत रणनीति के अनुरूप है, जिससे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका व ASEAN देशों जैसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ेगी।
  - क्वाड पहल (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) का ध्यान स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देने तथा आधिपत्यवादी खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित है।
  - बंदरगाहों और शिपिंग केंद्रों में भारत के बुनियादी अवसंरचना के निवेश से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और इसकी अग्रणी भूमिका मज़बूत होगी।

भारत की समुद्री भागीदारी से संबंधित चिंताएँ:

- **वित्तपोषण और बुनियादी अवसंरचना का अंतराल:** प्रतिस्पर्द्धी वित्तपोषण का अभाव और बुनियादी अवसंरचना के रूप में जहाज़ का वर्गीकरण घरेलू जहाज़ निर्माण विकास को सीमित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उच्च रसद लागत और अकुशल बंदरगाह संचालन समुद्री प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालते हैं।

- **चीनी प्रभुत्व:** हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का आक्रामक समुद्री विस्तार और आर्थिक प्रभुत्व भारत के लिये रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाता है।
- **कनेक्टिविटी संबंधी बाधाएँ:** अपर्याप्त अंतर्देशीय कनेक्टिविटी और अपर्याप्त मल्टीमॉडल बुनियादी अवसंरचना के कारण बंदरगाह की दक्षता में बाधा आती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में संघर्ष भारत की समुद्री गतिविधियों में जटिलताएँ बढ़ती हैं।

आगे की राह

- **सामरिक साझेदारी बढ़ाना:** चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिये प्रमुख हिंद-प्रशांत देशों के साथ समुद्री गठबंधन को मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।
  - मालदीव और मेडागास्कर जैसे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने से क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित होगी।
  - क्वाड के भीतर गहरे संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि रणनीतिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं, सुरक्षा साझेदारियों एवं बहुपक्षीय पहलों को प्राथमिकता दी जाए।
- **समुद्री अवसंरचना और संपर्क का विस्तार:** बंदरगाह अवसंरचना के विकास में तीव्रता, दक्षता, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और अंतर्देशीय परिवहन के साथ निर्बाध संपर्क पर ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है।
  - इसमें लॉजिस्टिक्स में सुधार और उच्च लागत को कम करने के लिये सागरमाला कार्यक्रम जैसी सुविधाओं को उन्नत करना शामिल है।
- **घरेलू जहाज़ निर्माण और नवाचार को मज़बूत करना:** प्रतिस्पर्द्धी वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और अनुसंधान के माध्यम से क्षेत्र को प्रोत्साहित करके घरेलू जहाज़ निर्माण में नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - इससे विदेशी जहाज़ों पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, जिससे एक समुत्थानशील समुद्री उद्योग का निर्माण होगा।
- **पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान देना:** शिपिंग उद्योग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को तीव्र करके भारत की संधारणीयता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समुद्री विकास को संरेखित किये जाने की आवश्यकता है।
- **समुद्री सुरक्षा में सुधार:** देश के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिये निगरानी और मॉनीटरिंग क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिये।
  - क्षेत्रीय साझेदारों को रियल टाइम खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने के लिये सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) का विस्तार किया जाना चाहिये, जिससे सामूहिक समुद्री सुरक्षा में सुधार होगा।

निष्कर्ष:

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी इसकी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। भारत का उद्देश्य समुद्री बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करके, नौसेना क्षमताओं को बढ़ाकर और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को महत्त्वपूर्ण बनाना है।

प्रश्न : वि-डॉलरीकरण की अवधारणा पर चर्चा कीजिये और भारत के लिये इससे उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों पर गहन विचार कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- डी-डॉलराइज़ेशन/वि-डॉलरीकरण के संदर्भ में जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- वि-डॉलरीकरण के चालकों को बताइये।
- भारत के लिये वि-डॉलरीकरण के अवसरों पर प्रकाश डालिये।
- भारत के लिये वि-डॉलरीकरण की चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वि-डॉलरीकरण से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन-देन के लिये अमेरिकी डॉलर पर वैश्विक निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया से है।

- अमेरिकी डॉलर वैश्विक भंडार का 59% हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं खनिज तेल जैसी वस्तुओं पर इसका प्रभुत्व है, इसलिये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

वि-डॉलरीकरण पर विशेष रूप से भारत सहित BRICS देशों के बीच चर्चाओं में तेज़ी आई है।

मुख्य भाग:

वि-डॉलरीकरण के चालक:

- **भू-राजनीतिक प्रतिबंध और आर्थिक दबाव:** अमेरिका ने डॉलर का उपयोग प्रतिबंध लगाने के लिये एक उपकरण के रूप में किया है (उदाहरण के लिये, रूस और ईरान पर), जिससे SWIFT जैसी वैश्विक वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच सीमित हो गई है।
- **बहुध्रुवीयता की ओर बदलाव:** चीन, रूस और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय डॉलर पर निर्भरता कम करने और अधिक संतुलित वैश्विक आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार का विविधीकरण:** विश्व भर के केंद्रीय बैंक आर्थिक जोखिमों से बचाव के लिये सोने और चीनी युआन जैसी अन्य मुद्राओं के पक्ष में डॉलर की होल्डिंग कम कर रहे हैं।
- **डिजिटल और क्षेत्रीय मुद्रा नवाचार:** केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) का उदय देशों को डॉलर पर निर्भर हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है।

भारत के लिये वि-डॉलरीकरण के अवसर:

- **व्यापार में संवर्द्धित संप्रभुता:** रुपया-बिजकीकरण को बढ़ावा देने से भारत को डॉलर से उत्पन्न कमज़ोरियों, जैसे विनिमय दर में अस्थिरता और प्रतिबंधों जैसे भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाया जा सकता है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 में रुपया आधारित व्यापार निपटान की अनुमति देने का निर्णय जैसी पहल इस प्रयास को रेखांकित करती है।
- **रुपए को मज़बूत बनाना:** डॉलर पर निर्भरता कम करने से वैश्विक व्यापार मुद्रा के रूप में रुपए की भूमिका बढ़ सकती है, जिससे इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद मिलेगी।
  - रुपए की अधिक स्वीकार्यता से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता कम हो सकती है।
- **लागत बचत और आर्थिक स्थिरता:** घरेलू मुद्राओं में व्यापार करके, भारत लेन-देन लागत को कम कर सकता है और खनिज तेल जैसी वस्तुओं में डॉलर की कीमत में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है।
- **रणनीतिक गठबंधन:** वैकल्पिक व्यापार तंत्र विकसित करने के लिये BRICS देशों और अन्य वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग करने से बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था को आयाम देने में भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ सकता है।

वि-डॉलरीकरण में भारत के लिये चुनौतियाँ:

- **वैश्विक डॉलर प्रभुत्व:** डॉलर अपनी तरलता, स्थिरता और व्यापक स्वीकृति के कारण पसंदीदा वैश्विक रिज़र्व एवं लेन-देन मुद्रा बना हुआ है।
  - डॉलर पर निर्भरता कम करने से सहयोगी देशों के अलग होने का खतरा है और डॉलर-प्रधान व्यापार पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से तेल एवं सोने जैसी वस्तुओं के मामले में।
- **भू-राजनीतिक दबाव:** अमेरिकी प्रतिबंध और टैरिफ विकल्प तलाशने वाले देशों को निशाना बना सकते हैं, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प की BRICS देशों के खिलाफ धमकियों से उजागर होता है।
  - BRICS जैसे गैर-डॉलर व्यापार ब्लॉक के साथ जुड़ने से अमेरिका और अन्य पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को खतरा हो सकता है।
- **रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना:** RBI के प्रयासों के बावजूद, रुपए में डॉलर जैसी वैश्विक स्वीकृति और विश्वास का अभाव है।
  - सीमित वित्तीय साधन और वैश्विक रुपया-मूल्यवर्गित व्यापार केंद्रों की कमी इसके अंगीकरण में बाधा उत्पन्न करती है।
- **चीनी युआन का उदय:** वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका के बावजूद, युआन (चीनी मुद्रा) का उपयोग करने में भारत की अनिच्छा, चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव को उजागर करती है।
- **आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** तीव्रता से डॉलर पर निर्भरता समाप्त करने से बाज़ार अस्थिर हो सकते हैं, व्यापार बाधित हो सकता है तथा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार एवं ऋण दायित्वों पर असर पड़ सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के लिये आगे की राह:

- **रुपया व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना:** रुपया बिजकीकरण का विस्तार करने के लिये विशेष रूप से दक्षिण एशिया, अफ्रीका और खाड़ी क्षेत्र के व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।
- **घरेलू मुद्रा अवसंरचना को मज़बूत करना:** रुपए की तरलता बढ़ाने के लिये रुपया-आधारित वित्तीय साधन और वैश्विक व्यापार केंद्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
  - निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय रुपया लेन-देन का समर्थन करने के लिये नियामक फ्रेमवर्क में सुधार किया जाना चाहिये।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता:** स्वर्ण भंडार बढ़ाये जाने और डॉलर जोखिम को कम करने के लिये मुद्राओं की व्यापक टोकरी में निवेश की आवश्यकता है।
- **बहुपक्षीय सहयोग में संलग्न होना:** भारत के हितों की रक्षा करते हुए साझा मुद्रा जैसे विकल्पों को आयाम देने के लिये BRICS के भीतर कार्य करना चाहिये।
  - डॉलर-संरेखित अर्थव्यवस्थाओं के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने के साथ गैर-डॉलर व्यापार ब्लॉक में भागीदारी को संतुलित किया जाना चाहिये।
- **क्रमिक परिवर्तन रणनीति:** वि-डॉलरीकरण के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे व्यापार और आर्थिक स्थिरता में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित हो।
  - वि-डॉलरीकरण प्रयासों को पूरक बनाने के लिये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) जैसी डिजिटल मुद्रा पहल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

वि-डॉलरीकरण भारत को व्यापार संप्रभुता बढ़ाने, भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता कम करने और रुपए की वैश्विक स्थिति को मज़बूत करने का मार्ग प्रदान करता है। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देकर, घरेलू मुद्रा अवसंरचना को सुदृढ़ करके तथा क्रमिक परिवर्तनों को आगे बढ़ाकर, भारत वि-डॉलरीकरण के अवसरों का लाभ उठा सकता है और साथ ही इसके जोखिमों को कम कर सकता है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं की गुणवत्ता और अभिगम में सुधार लाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। कौन-से शासन तंत्र जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं और आवश्यक सेवाओं के वस्तुकरण को नियंत्रित कर सकते हैं? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक क्षेत्र की सेवाएँ प्रदान करने में PPP की ताकत पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं को बेहतर बनाने में PPP की भूमिका बताइये।
- PPP से जुड़ी चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये शासन तंत्र का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं की गुणवत्ता एवं अभिगम बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है।

- PPP का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की शक्तियों– निजी क्षेत्र की दक्षता एवं नवाचार और सार्वजनिक क्षेत्र के सामाजिक अधिदेश का लाभ उठाकर संसाधन अंतराल तथा सेवा वितरण चुनौतियों का समाधान करना है।

मुख्य भाग:

सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में सुधार लाने में PPP की भूमिका:

- **संसाधन अंतराल को कम करना:** PPP निजी निवेश लाता है, जिससे सरकारों पर बजटीय बाधाएँ कम होती हैं।
  - **उदाहरण:** आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य देखभाल पहुँच का विस्तार करने के लिये निजी अस्पताल नेटवर्क का लाभ उठाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्यकुशलता और नवाचार को बढ़ावा:** निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता सेवा वितरण और प्रौद्योगिकी अंगीकरण में नवाचार को बढ़ावा देती है।
  - **उदाहरण:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये निजी संस्थाओं के साथ सहयोग करता है।
- **सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार:** सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं और गुणवत्ता मानकों को लागू करने में सक्षम बनाती है।
  - **उदाहरण:** विभिन्न राज्यों में मॉडल स्कूल योजना के तहत सरकारी स्कूल संचालन के प्रबंधन में निजी संस्थाओं को शामिल किया गया है।
- **अभिगम का विस्तार:** सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से वंचित क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक सेवा कवरेज का विस्तार होता है।
  - **उदाहरण:** डिजिटल इंडिया पहल के तहत कॉमन सर्विस सेंटर योजना PPP का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान करना है।

PPP से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **जवाबदेही के मुद्दे:** लाभ के उद्देश्य से सेवा की गुणवत्ता की कीमत पर लागत में कटौती हो सकती है।
  - **उदाहरण:** अपर्याप्त निधि आवंटन के बीच भुगतान में विलंब का हवाला देकर निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत के तहत सेवाएँ देने से इनकार करने के उदाहरण।
- **समानता और समावेशिता संबंधी चिंताएँ:** निजी कंपनियाँ उच्च रिटर्न वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकती हैं तथा सीमांत या दूर-दराज़ के क्षेत्रों की उपेक्षा कर सकती हैं, जहाँ सेवा वितरण की सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - **उदाहरण:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) में, कई निजी स्वास्थ्य सुविधाएँ कम लाभ मार्जिन के कारण जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन स्थापित करने से बचती रही हैं।
- **सेवा बाधित होने का जोखिम:** यदि निजी कंपनियाँ वित्तीय मुद्दों या असहमति के कारण समय से पहले बाहर निकल जाती हैं, तो आवश्यक सेवाएँ बाधित हो सकती हैं।
  - **उदाहरण:** PPP मॉडल के तहत विकसित दिल्ली-गुड़गाँव एक्सप्रेस-वे को उस समय समस्याओं का सामना करना पड़ा जब निजी ऑपरेटर ने टोल संग्रह विवादों पर पीछे हटने की धमकी दी।
- **संविदागत असंतुलन:** सरकारों में प्राय: न्यायसंगत अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और उन पर वार्ता करने की क्षमता का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक हितों की कीमत पर निजी संस्थाओं को लाभ होता है।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये शासन तंत्र

- **मज़बूत नियामक फ्रेमवर्क:** प्रदर्शन मानकों के साथ स्पष्ट अनुबंध, शिकायत निवारण तंत्र और वित्तीय पारदर्शिता।
- **स्वतंत्र निरीक्षण निकाय:** अनुपालन की निगरानी और विवादों को सुलझाने के लिये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) जैसे स्वतंत्र नियामकों की स्थापना की जानी चाहिये, जो दूरसंचार क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी हितों के बीच प्रभावी रूप से संतुलन बनाए रखें।
- **सामाजिक लेखा परीक्षा और सामुदायिक भागीदारी:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा के अनुरूप PPP परियोजनाओं के अभिगम एवं गुणवत्ता पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये नियमित लेखा परीक्षा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हुआ है।
- **समानता के लिये सब्सिडी मॉडल:** आवश्यक सेवाओं को किफायती बनाए रखने के लिये सरकार द्वारा वित्तपोषित सब्सिडी लागू किये जाने चाहिये।
- **आवधिक मूल्यांकन और पुनर्वार्ता:** उभरती चुनौतियों के अनुरूप ढलने और दीर्घकालिक संदोहन को रोकने के लिये समय-समय पर अनुबंधों की समीक्षा की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी में गुणवत्ता, दक्षता और अभिगम में सुधार करके सामाजिक क्षेत्र की/सार्वजानिक सेवाओं में क्रांतिकारी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिवर्तन लाने की अपार क्षमता है। हालाँकि यह सुनिश्चित करने के लिये कि PPP के लाभ समान रूप से वितरित किये जाएँ, आवश्यक सेवाओं के संदोहन और वस्तुकरण को रोकने के लिये सुदृढ़ शासन तंत्र की आवश्यकता है।

प्रश्न : "आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।" इस संदर्भ में विश्लेषण कीजिये कि भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने न्याय के दोनों आयामों को कैसे संबोधित किया है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों को एक साथ सुनिश्चित हेतु प्रमुख नीतियों को बताइये।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों को एक साथ सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सामाजिक और आर्थिक न्याय समानता के गहरे रूप से परस्पर जुड़े आयाम हैं। सामाजिक न्याय सामाजिक संरचनाओं और प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित करता है, जबकि आर्थिक न्याय आजीविका के लिये संसाधनों एवं अवसरों तक समान पहुँच पर केंद्रित होता है।

- भारत में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का उद्देश्य ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करते हुए सीमांत वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए इन आयामों के बीच के अंतर को समाप्त करना है।

सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों को एक साथ सुनिश्चित करने में आने वाली प्रमुख नीतियाँ:

- **शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण नीतियाँ:** अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सार्वजनिक संस्थानों एवं रोज़गार में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
  - **सामाजिक न्याय:** सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
  - **आर्थिक न्याय:** स्थायी सरकारी नौकरियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता से इन समुदायों का आर्थिक उत्थान होता है।
  - इसके अलावा, SC/ST विद्यार्थियों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के कार्यान्वयन से लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली है, जिससे उन्हें सीधे तौर पर बेहतर रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** अनुच्छेद 41 राज्य को राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के भाग के रूप में कार्य करने के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
  - **सामाजिक न्याय:** सामाजिक रूप से सीमांत समूहों, विशेषकर दलितों, जनजातीय समुदायों और महिलाओं को समान रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
  - **आर्थिक न्याय:** प्रतिवर्ष 100 दिन का वेतन रोज़गार की गारंटी देता है, जिससे वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित होता है।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** यह संविधान की प्रस्तावना और नीति-निदेशक तत्त्वों में उल्लिखित सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत 54 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं।
  - **सामाजिक न्याय:** सीमांत वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाता है, जिससे वित्तीय अपवर्जन कम होता है।
  - **आर्थिक न्याय:** बचत, ऋण सुलभता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (JAM ट्रिनिटी) को सुगम बनाता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- **स्टैंड-अप इंडिया योजना:** ऐतिहासिक अपवर्जन को दूर करते हुए अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता को बढ़ावा देती है। वर्ष 2023 तक, इस योजना ने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण स्वीकृत किये हैं।
  - **सामाजिक न्याय:** इसका लक्ष्य महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करना है।
  - **आर्थिक न्याय:** व्यवसाय स्थापित करने के लिये 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करता है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:** अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिये बाध्य करता है।
  - सामाजिक न्याय: वन्य भूमि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है, ऐतिहासिक रूप से सीमांत वर्ग के लोगों की समस्या का समाधान करता है।
  - आर्थिक न्याय: वन संसाधनों के सतत् उपयोग और कृषि के लिये कृष्ट-भूमि की सुलभता को सक्षम करके आजीविका को सुरक्षित करता है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार के हिस्से के रूप में जीवन स्तर को बढ़ावा देती है। PMAY के तहत 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया गया है।
  - सामाजिक न्याय: शहरी और ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराता है, बेघरों की संख्या कम करता है तथा उनके जीवन स्तर में सुधार कर उनका सम्मान सुनिश्चित करता है। महिलाओं के नाम पर घर पंजीकृत होने से महिला सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलता है।
  - आर्थिक न्याय: संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करता है, जो एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसंपत्ति है जो वित्तीय सुरक्षा में सुधार करती है।
- **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** अनुच्छेद 21 और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को बरकरार रखता है। AB PM-JAY के तहत 36 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है।
  - **सामाजिक न्याय:** सामाजिक रूप से वंचित समूहों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे असमानताएँ कम होती हैं।
  - **आर्थिक न्याय:** इसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना है।

सामाजिक और आर्थिक न्याय के बीच सेतु निर्माण में चुनौतियाँ:

- **नीतिगत लाभों से सीमांत समुदायों का वंचित होना:** कुछ समुदाय, जैसे विमुक्त जनजातियाँ (DNT) और खानाबदोश जनजातियाँ, प्राय: मान्यता के अभाव के कारण आरक्षण लाभों के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
- **सकारात्मक कार्रवाई योजनाओं में कार्यान्वयन अंतराल:** कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, अकुशलता और अनियमितता नीतियों के इच्छित प्रभाव को कमज़ोर कर देती है।
- उदाहरण के लिये, आयुष्मान भारत के CAG के प्रदर्शन लेखापरीक्षण से पता चला कि 7 लाख से अधिक लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे।
- **कलंक और सामाजिक भेदभाव:** कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद जाति, जनजाति और लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव जारी है, जिससे न्याय की पूर्ण प्राप्ति सीमित हो जा रही है।
- वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक- 2024 में भारत की रैंकिंग 146 देशों में से 129वें स्थान पर आ गई है, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने में जारी चुनौतियों को दर्शाता है।
- **लाभार्थियों में सीमित जागरूकता:** कई इच्छुक लाभार्थी अपने अधिकारों या सरकारी योजनाओं के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं।
- इससे भागीदारी सीमित हो जाती है और सामाजिक-आर्थिक अपवर्जन कायम रहता है।

आगे की राह:

- **वितरण तंत्र को सुदृढ़ करना:** भ्रष्टाचार को कम करने और लाभार्थियों तक अविलंब धनराशि की सुलभता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाना चाहिये।
- **समावेशिता का विस्तार करना:** विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों जैसे सीमांत समूहों की पहचान कर उन्हें सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में शामिल किया जाना चाहिये।
- **जागरूकता और पहुँच बढ़ाना:** सीमांत समूहों को उनके अधिकारों और योजनाओं की उपलब्धता के बारे में शिक्षित करने के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में लक्षित अभियान चलाए जाने चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना:** सामाजिक और आर्थिक लाभों तक पहुँच में सुधार के लिये पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- आवास, स्वास्थ्य देखभाल और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनजाति बहुल क्षेत्रों को कवर करने के लिये आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) को दोहराया जा सकता है।
- **नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन:** सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और मध्यावधि सुधारों की सिफारिश करने के लिये स्वतंत्र निगरानी निकायों की स्थापना की जानी चाहिये।
- लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की ठीक समय पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिये SECC (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) को समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

यद्यपि भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने में प्रगति की है, फिर भी क्षेत्रीय असमानताओं, समावेशिता की कमी व कार्यान्वयन अंतराल जैसी चुनौतियों से उनकी प्रभावशीलता बाधित होती है। डेटा-संचालित रणनीतियों, बेहतर शासन एवं लक्षित आउटरीच के साथ इन चुनौतियों का समाधान करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय एक समतापूर्ण समाज के पूरक स्तंभों के रूप में विकसित हो।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों पर GST कार्यान्वयन के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। उनके विकास और स्थिरता को बेहतर ढंग से समर्थन देने की दिशा में GST फ्रेमवर्क को और सरल बनाने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं? **(250 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- GST के साथ-साथ SME के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए परिचय दीजिये।
- SME पर GST के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइये।
- SME के लिये GST फ्रेमवर्क को सरल बनाने के लिये रणनीति प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लागू किये गए GST ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, जिससे एकीकृत बाज़ार का निर्माण हुआ। चूँकि छोटे और मध्यम उद्यम (SME) भारत के विनिर्माण, रोज़गार और निर्यात को आगे बढ़ाते हैं, इसलिये उन पर GST के प्रभाव का आकलन करना निरंतर आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है।

SME पर GST का आर्थिक प्रभाव:

- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - कम लॉजिस्टिक्स लागत: राज्य की सीमाओं पर प्रविष्टि करों को समाप्त करके, GST लॉजिस्टिक्स लागत और ट्रक यात्रा समय को 30% तक कम कर देता है, जिससे तेज़ी से डिलीवरी संभव हो जाती है।
    - **उदाहरण:** राज्यों के बीच वस्तुओं का परिवहन करने वाले SME अब टोल टैक्स बचा रहे हैं, जिससे आपूर्ति शृंखला दक्षता बढ़ रही है।
  - **एकीकृत बाज़ार:** GST ने विभिन्न राज्य-स्तरीय करों को समाप्त करके अंतर-राज्यीय व्यापार को सुगम बनाया है। SME अब कम लागत पर राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच सकते हैं।
    - **उदाहरण:** महाराष्ट्र में एक वस्त्र SME अब उच्च अंतर-राज्यीय कर भार के बिना उत्तरी राज्यों के साथ निर्बाध रूप से व्यापार कर सकता है।
  - **डिजिटल अनुपालन और पारदर्शिता:** GST के तहत अनिवार्य डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग ने कई अनौपचारिक SME को औपचारिक रूप दिया, जिससे ऋण और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच बढ़ गई।
    - **उदाहरण:** GST अनुपालन रिकॉर्ड वाले SME आसान ऋण सुलभता के लिये 59 मिनट में PSB ऋण जैसे साधनों का लाभ उठा सकते हैं।
  - **बेहतर निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** GST कैस्केडिंग करों को समाप्त करता है और निर्यात संवर्द्धन योजना जैसी योजनाओं के तहत निविष्टि करों की समय पर शुल्क वापसी सुनिश्चित करता है, जिससे SME की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है।
    - **उदाहरण:** तिरुप्पुर के एक छोटे परिधान निर्यातक को आसान शुल्क वापसी/रिफंड प्रक्रिया का लाभ मिला, जिससे उत्पादन में पुनर्निवेश संभव हुआ।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **अनुपालन बोझ:** SME को GST की जटिल फाइलिंग आवश्यकताओं, जैसे मासिक और वार्षिक रिटर्न को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
    - अपर्याप्त डिजिटल साक्षरता के कारण बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायों के लिये GST अनुपालन एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
  - **कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं में वृद्धि:** GST के तहत आपूर्ति के समय कर का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण खरीदारों से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे SME के नकदी प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्रावधानों के तहत विलंबित रिफंड से निर्यातकों के लिये नकदी की समस्या बढ़ जाती है, जिससे विदेशी बाज़ारों पर अत्यधिक निर्भर SME प्रभावित होते हैं।

- **बड़ी कंपनियों के साथ असमान प्रतिस्पर्द्धा:** बड़ी कम्पनियाँ अनुपालन के प्रबंधन और इनपुट टैक्स क्रेडिट/निविष्टि कर ऋण का लाभ देने में बेहतर ढंग से सक्षम हैं, जबकि SME प्राय: प्रतिस्पर्द्धात्मकता खो देते हैं।
  - वस्त्र और हथकरघा जैसे उद्योगों में, छोटे अभिकर्त्ताओं को निगमों की तुलना में कम ऋण उपयोग के कारण अधिक प्रभावी कर भार का सामना करना पड़ता है।
- **ई-वे बिल चुनौतियाँ:** लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल SME को ई-वे बिल प्रणाली में त्रुटियों या गैर-अनुपालन के कारण दंड तथा विलंब का सामना करना पड़ता है।
  - कई SME ने ई-वे बिल बनाने में तकनीकी समस्याओं के कारण शिपमेंट में विलंब की सूचना दी।

SME के लिये GST फ्रेमवर्क को सरल बनाने की रणनीतियाँ:

- **कंपोज़िशन स्कीम का विस्तार कीजिये:** कंपोज़िशन स्कीम के तहत पात्रता के लिये टर्नओवर सीमा को ₹1.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ किया जाएगा, जिससे अधिक SME को कम कर का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
  - सेवा-उन्मुख SME तक कवरेज का विस्तार किया जाना चाहिये, जिससे उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़े।
- **शीघ्र ITC रिफंड:** लिक्विडिटी/चलनिधि संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये तय समय-सीमा (जैसे- 7 दिन) के साथ रिफंड तंत्र को सरल बनाया गया है। आपूर्तिकर्त्ता के गैर-अनुपालन के कारण होने वाले विलंब से बचने के लिये स्वचालित ITC दावे की आवश्यकता है।
- **डिजिटल प्रशिक्षण और बुनियादी अवसंरचना:** SME को अनुपालन के लिये तकनीकी कौशल से लैस करने के लिये सरकार समर्थित GST साक्षरता कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये।
  - छोटे उद्यमों के लिये पहुँच बढ़ाने हेतु डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर पर सब्सिडी दिये जाने चाहिये।
- **क्षेत्र-विशिष्ट राहत उपाय:** वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे SME-प्रधान क्षेत्रों के लिये GST दरों को कम करना ताकि उनकी लाभप्रदता को बढ़ावा दिया जा सके।
- **शिकायत निवारण को मज़बूत बनाना:** GST से संबंधित प्रश्नों के लिये समर्पित SME हेल्प डेस्क स्थापित करना, ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

GST लागू होने से SME को कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि इससे कर भार कम हुआ, पारदर्शिता बढ़ी और एकीकृत बाज़ार स्थापित हुए हैं, लेकिन अनुपालन संबंधी जटिलताएँ और नकदी संबंधी बाधाएँ जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। सरलीकृत प्रक्रियाओं, डिजिटल समावेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान करने से SME को प्रतिस्पर्द्धी आर्थिक माहौल में सफल होने में मदद मिलेगी।

प्रश्न : ई-कॉमर्स के विकास और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अंतिम-मील डिलीवरी क्षमताओं में आवश्यक निवेश के बीच क्या संबंध है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ई-कॉमर्स के विकास और लॉजिस्टिक बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता के संदर्भ में जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- ई-कॉमर्स विकास और लॉजिस्टिक्स निवेश के बीच संबंधों पर गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- संवहनीय रसद विकास के लिये आवश्यक हस्तक्षेप का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

डिजिटल प्रगति और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। यह वृद्धि निर्बाध संचालन और समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिये लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट-माइल डिलीवरी सिस्टम में बहुत बड़े निवेश की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य भाग:

ई-कॉमर्स विकास और लॉजिस्टिक्स निवेश के बीच संबंध:

- **ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग:**
  - **मात्रा में वृद्धि:** बढ़ते ऑनलाइन लेन-देन और प्लेटफॉर्मों पर उपभोक्ता निर्भरता में वृद्धि के लिये कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की आवश्यकता है (उदाहरण के लिये, भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में 65.7 बिलियन UPI लेनदेन)।
  - **भौगोलिक विविधता:** टियर 2, टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश के लिये बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिये, सोशल कॉमर्स के माध्यम से छोटे शहरों में मीशो का विकास)।
  - **त्वरित वाणिज्य प्रवृत्ति:** तीव्र वितरण सेवाओं, जैसे कि उसी दिन या कुछ घंटों के भीतर डिलीवरी (उदाहरण के लिये, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट) हेतु उपभोक्ता की प्राथमिकता, के लिये नवीन लास्ट माइल सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है।
- **रसद अवसंरचना:**
  - **वेयरहाउसिंग की आवश्यकताएँ:** इन्वेंट्री प्रबंधन के लिये स्वचालन के साथ रणनीतिक वेयरहाउस विकास, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक है (उदाहरण के लिये, कई राज्यों में अमेज़न के आपूर्ति केंद्र)।
  - **मल्टीमॉडल हब:** सड़क, रेल, वायु और जलमार्गों के एकीकरण से पारगमन समय एवं लागत कम हो जाती है (उदाहरण के लिये, सरकार की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति-2022 मल्टीमॉडल हब को लक्षित करती है)।
- **अंतिम मील डिलीवरी:**
  - **लागत निहितार्थ:** लास्ट माइल डिलीवरी लागत कुल शिपिंग व्यय का 53% तक होती है, विशेष रूप से ग्रामीण और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में।
  - **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** AI-संचालित मार्ग अनुकूलन और रियल टाइम ट्रैकिंग दक्षता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं (उदाहरण के लिये, फ्लिपकार्ट डिलीवरी पूर्वानुमान के लिये AI टूल का प्रयोग कर रहा है)।
  - **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** ई-कॉमर्स की बढ़ती मात्रा कार्बन उत्सर्जन और पैकेजिंग अपशिष्ट में योगदान देती है (उदाहरण के लिये, 100% ग्रीन डिलीवरी को बढ़ावा देने के बावजूद डिलीवरी के लिये पेट्रोल बाइक का प्रयोग करने वाली ज़ोमैटो जैसी सेवाओं से त्वरित-वाणिज्य पैकेजिंग अपशिष्ट)

संवहनीय रसद विकास के लिये आवश्यक हस्तक्षेप

- **बुनियादी अवसंरचना विकास:**
  - **वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स पार्क:** मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना से लागत कम होती है और कुशल संचालन सुनिश्चित होता है (उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का ध्यान ऐसे हब विकसित करने पर है)।
  - **ग्रामीण लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप:** ग्रामीण लास्ट माइल डिलीवरी पर केंद्रित स्टार्टअप को समर्थन देने से अंतराल कम होता है और स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है (उदाहरण के लिये, डेल्हीवरी का ग्रामीण विस्तार मॉडल)।
- **तकनीकी एकीकरण:**
  - **AI और ब्लॉकचेन:** मार्ग प्रबंधन के लिये पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और जालसाज़ी की रोकथाम के लिये ब्लॉकचेन रसद दक्षता में सुधार करते हैं (उदाहरण के लिये,
  - ट्रैकिंग पारदर्शिता बढ़ाने के लिये RFID टैग)।
  - **स्थिरता प्रौद्योगिकियाँ:** डिलीवरी और पुनर्चक्रण योग्य पैकेजिंग सामग्री के लिये इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं (उदाहरण के लिये, अमेज़न के लॉजिस्टिक्स बेड़े में EV एकीकरण)।
- **सरकारी सहायता:**
  - **डिजिटल कॉमर्स के लिये खुला नेटवर्क (ONDC):** यह छोटे खुदरा विक्रेताओं और MSME को ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।
  - **लॉजिस्टिक्स में FDI:** परिवहन और भंडारण बुनियादी अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:**
  - **श्रमिक कल्याण:** स्वास्थ्य बीमा और न्यूनतम वेतन सहित गिग श्रमिकों के लिये व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपाय, श्रमिक चिंताओं को दूर कर सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सतत् अभ्यास:** पर्यावरण अनुकूल संचालन और कार्बन-शून्य वितरण पहल के लिये ग्रीन प्रमाणन पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं (उदाहरण के लिये, प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग के लिये फ्लिपकार्ट की पहल)।

निष्कर्ष

भारत में ई-कॉमर्स की तीव्रता से हो रही वृद्धि लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल डिलीवरी क्षमताओं में निवेश से जुड़ी हुई है। प्रौद्योगिकी द्वारा सरकारी हस्तक्षेप और संवहनीय प्रथाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना सुनिश्चित होगा कि ई-कॉमर्स समावेशी, कुशल तथा पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार बने रहते हुए विकसित हो।

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : "क्या एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध प्लास्टिक प्रदूषण संकट को हल करने के लिये पर्याप्त है? भारत में संवहनीय प्लास्टिक प्रबंधन के लिये वैकल्पिक रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिये।" (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे पर संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- चर्चा कीजिये कि क्यों केवल सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है।
- संवहनीय प्लास्टिक प्रबंधन के लिये वैकल्पिक रणनीतियाँ बताइये।
- सतत् विकास लक्ष्यों के साथ उपयुक्त रूप से इसे जोड़ते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 4 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 25% का ही पुनर्चक्रण या संसाधित किया जाता है। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) इस समस्या में योगदान देता है, जो कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का केवल एक अंश ही है।

- SUP (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021) पर प्रतिबंध के बावजूद, प्लास्टिक उत्पादन, पुनर्चक्रण और निपटान में प्रणालीगत समस्याएँ बनी हुई हैं, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

अकेले एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना क्यों पर्याप्त नहीं है:

- **समग्र प्लास्टिक अपशिष्ट पर सीमित प्रभाव:** SUP भारत के कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का एक छोटा-सा हिस्सा है।
- प्रदूषण में योगदान करने वाले बहुस्तरीय प्लास्टिक (MLP) और ई-कॉमर्स पैकेजिंग जैसे बड़े कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- **अप्रभावी प्रवर्तन:** SUP (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022) पर प्रतिबंध को नियामक और निगरानी अंतराल के साथ राज्यों में असंगत रूप से लागू किया गया है।
- **पुनर्चक्रण चुनौतियाँ:** पुनर्चक्रण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तकनीकी और बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण भारत में कुल एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का केवल 60% ही पुनर्चक्रित किया जाता है।
  - इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्र में यह पुनर्चक्रण प्राय: अकुशलतापूर्वक किया जाता है।
- **EPR तंत्र में गड़बड़ी:** विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तंत्र के तहत धोखाधड़ी वाले प्रमाण-पत्र इसकी प्रभावकारिता को कमज़ोर करते हैं (सत्र 2022-23 में 3.7 मिलियन टन प्रमाण-पत्र तैयार किये गए, जिनमें से लगभग 6 लाख फर्ज़ी हैं)।

संवहनीय प्लास्टिक प्रबंधन के लिये वैकल्पिक रणनीतियाँ:

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण**
  - **पुनर्चक्रणीयता के लिये डिज़ाइन को बढ़ावा देना:** उत्पादकों को ऐसे उत्पाद डिज़ाइन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिनका पुनर्चक्रण करना आसान हो।
  - **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (MRF):** शहरी क्षेत्रों में केंद्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण केंद्र (वर्तमान में कई नगर पालिकाओं में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है) स्थापित किये जाने चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक को प्रोत्साहित करना:** उपभोग चक्र को बंद करने के लिये पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग करने वाले निर्माताओं को कर लाभ प्रदान किया जाना चाहिये।

- तकनीकी नवाचार
  - **उन्नत पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियाँ:** MLP और गैर-पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक प्रबंधन के लिये पायरोलिसिस और गैसीकरण संयंत्रों (भारत में बड़े पैमाने पर ऐसी प्रौद्योगिकियों का अभाव है) में निवेश किया जाना चाहिये।
- **IoT और AI समाधान:** अपशिष्ट संग्रहण मार्गों को अनुकूलित करने के लिये IoT-सक्षम स्मार्ट डिब्बे तैनात किया जाना चाहिये। स्वचालित अपशिष्ट पृथक्करण के लिये AI का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **नीति और प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना**
  - **ग्रेडेड EPR शुल्क:** पुनर्चक्रण में जटिल प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिये उन पर उच्च शुल्क लगाया जाना चाहिये।
  - **अनिवार्य प्लास्टिक फुटप्रिंट ऑडिट:** कंपनियों को वार्षिक प्लास्टिक प्रयोग और रीसाइक्लिंग दरों का खुलासा (संभावित भौतिक मूल्य हानि: FICCI के अनुसार वर्ष 2030 तक 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान) करना आवश्यक है।
- **संवहनीय विकल्पों को बढ़ावा देना**
  - **जैव-निम्नीकरणीय प्लास्टिक:** भारतीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल खाद योग्य प्लास्टिक (वर्तमान मानक अस्पष्ट हैं) विकसित किया जाना चाहिये।
  - **पर्यावरण अनुकूल सामग्री:** खोई (गन्ने को पेरकर रस निकालने के बाद बचा ठोस अवशेष) आधारित और शैवाल-आधारित सामग्री (जैसे- शैवाल-मिश्रित EVA, जो कार्बन और जल प्रदूषकों को कम करने में भी सहायक है) का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिये।
- **जन-जागरूकता और क्षमता निर्माण**
  - **शैक्षिक अभियान:** कम उम्र से ही जागरूकता उत्पन्न करने के लिये अपशिष्ट प्रबंधन को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये।
  - **सामुदायिक कार्यशालाएँ:** संचित अपशिष्ट के कारण मच्छरों व अन्य रोग कारकों के प्रजनन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये नागरिकों को अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रथाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
  - **स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करना:** नवीन अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसायों (उदाहरण के लिये, त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की पेटेंट प्राप्त प्लास्टिक-से-निर्माण-सामग्री प्रौद्योगिकी) को वित्तपोषित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, लेकिन भारत को एक समग्र रणनीति की भी आवश्यकता है जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और जन जागरूकता शामिल हो। यह दृष्टिकोण SDG के साथ संरेखित है: SDG 12 (ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन), SDG 14 (जल में जीवन), SDG 15 (स्थल पर जीवन) और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), संवहनीयता तथा स्वच्छ भविष्य को बढ़ावा देता है।

प्रश्न : "वन न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं।" भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के निष्कर्षों के संदर्भ में भारत में वनों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR)- 2023 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- भारत के लिये वनों का महत्त्व बताइये। (पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक)
- भारत में वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में वन पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति देने में दोहरी भूमिका निभाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, वन और वृक्ष

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आवरण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो सतत् विकास में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

भारत के लिये वनों का महत्त्व

- **पारिस्थितिक संतुलन**
  - **कार्बन पृथक्करण:** वन महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, भारत का वन कार्बन स्टॉक अनुमानित 7,285.5 मिलियन टन है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है और भारत की पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।
  - **जैवविविधता हॉटस्पॉट:** वैश्विक वनस्पतियों के 7% और वैश्विक जीव-जंतुओं के 6.5% के साथ, भारत के वन विविध पारिस्थितिक तंत्रों का घर हैं।
    - उदाहरण के लिये, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में नमदाफा फ्लाइंग स्क्विरल जैसी स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - **जल विनियमन:** वन जलग्रहण क्षेत्रों को बनाए रखते हैं, भूजल का पुनर्भरण करते हैं, तथा नदी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जो कृषि और पेयजल सुरक्षा के लिये आवश्यक है।
  - **तटीय बफर के रूप में मैंग्रोव:** 4,991.68 वर्ग किमी में फैले मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों और क्षरण से बचाते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास**
  - **आजीविका सृजन:** जनजातीय समुदायों सहित 250 मिलियन से अधिक लोग जीविका के लिये वनों पर निर्भर हैं।
    - वन धन विकास केंद्र और वन अधिकार अधिनियम जैसे कार्यक्रम उनकी आय बढ़ाते हैं तथा एकसमान लाभ सुनिश्चित करते हैं।
  - **आर्थिक योगदान:** कागज़, काष्ठ और NTFP जैसे वन-आधारित उद्योग ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
    - मध्य प्रदेश में तेंदू-पत्ता संग्रहण जैसी पहल उनकी क्षमता को उजागर करती है।
    - लक्षद्वीप (91.33%) और मिज़ोरम (85.34%) में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है जो उनकी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:** वन वायु शोधन, मृदा उर्वरता सुधार के साथ-साथ परागण सेवाओं में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिनकी कीमत प्रतिवर्ष खरबों रुपए होती है।
    - पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता की अर्थव्यवस्था (TEEB) पहल ने इन सेवाओं को महत्त्व देने के लिये वन प्रबंधन नीतियों को नया रूप दिया है।
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व:** स्वदेशी समुदायों द्वारा संरक्षित पवित्र उपवन, स्थानीय जैवविविधता की रक्षा करते हैं और संरक्षण नैतिकता को बढ़ावा देते हैं।
  - जैवविविधता अधिनियम के अंतर्गत की गई पहलों से इन क्षेत्रों को अधिक मान्यता मिली है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **मैंग्रोव में गिरावट:** ISFR-2023 में 7.43 वर्ग किमी की निवल कमी दर्ज की गई है, जो पुनर्भरण की तत्काल आवश्यकता का संकेत है।
  - गुजरात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
- **निर्वनीकरण और वन क्षरण:** कृषि भूमि का विस्तार, खनन और केन-बेतवा नदी जोड़ो जैसी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।
  - ISFR-2023 में सघन वनों में कमी की रिपोर्ट दी गई है, जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** सिकुड़ते वन आवास मानव-पशु संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, जिससे जन-धन की भारी हानि हो रही है।
  - उदाहरण के लिये, मानव-पशु संघर्षों के कारण प्रतिवर्ष 500 से अधिक मनुष्य और 100 हाथियों की मृत्यु हो जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** वर्षा में परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि, कीटों का प्रकोप तथा जैवविविधता की हानि होती है।
  - वर्ष 2024 में उत्तराखंड में हुई वनाग्नि की घटना जलवायु अनुकूल वन प्रबंधन की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ:** ***लैंटाना कैमरा*** और ***सेन्ना स्पेक्टेबिलिस*** जैसी प्रजातियों का प्रसार विशेष रूप से पश्चिमी घाट एवं मुदुमलाई जैसे बाघ अभयारण्यों में स्थानीय जैवविविधता को बाधित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **एकल-फसलीय वृक्षारोपण:** वनरोपण अभियान में प्राय: एकल-फसलीय वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थानशीलता कमज़ोर हो जाता है।

आगे की राह

- **एकीकृत वन प्रबंधन:** वन्यजीव गलियारों, कृषि और शहरी नियोजन को एकीकृत (तराई आर्क लैंडस्केप) करते हुए परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिये।
- **तकनीकी प्रगति:** वन निगरानी, अग्नि प्रबंधन और वनरोपण ट्रैकिंग के लिये रिमोट सेंसिंग, ड्रोन एवं AI का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण:** संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रमों को त्वरित कर स्थायी वन-आधारित आजीविका के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जाना चाहिये। (उदहारण: महाराष्ट्र में मेंधा लेखा पहल)
- **क्षीण वनों का पुनरुद्धार:** पारिस्थितिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये, एकल-फसल वृक्षारोपण की अपेक्षा सहायक प्राकृतिक पुनरुद्धार पर बल दिया जाना चाहिये।
  - काज़िरंगा-कार्बी आंगलोंग गलियारा जैसे वन्यजीव गलियारे के जीर्णोद्धार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **नीतिगत एवं विधायी सुधार:** वन संरक्षण अधिनियम की कमियों को दूर किया जाना चाहिये तथा उसका सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - वन्यजीव गलियारों और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के लिये व्यापक राष्ट्रीय नीतियाँ विकसित की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

पारिस्थितिकी संपदा के रूप में वन, एक समुत्थानशील और समावेशी भविष्य की कुंजी हैं। नवीन नीतियों, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी के साथ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके, भारत अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है एवं अपने जलवायु तथा विकास लक्ष्यों को पूरा कर सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : हालिया घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, भारत की आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित करने में तकनीकी स्वदेशीकरण की रणनीतिक भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। **(150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- तकनीकी स्वदेशीकरण को परिभाषित करके परिचय दीजिये।
- तकनीकी स्वदेशीकरण के रणनीतिक महत्त्व पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- तकनीकी स्वदेशीकरण प्राप्त करने में चुनौतियाँ बताइये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

तकनीकी स्वदेशीकरण में घरेलू स्तर पर प्रौद्योगिकियों का विकास, अनुकूलन और उत्पादन शामिल है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है। यह भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिये आवश्यक है, जो रणनीतिक स्वायत्तता, मज़बूत राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में निहित है।

मुख्य भाग:

तकनीकी स्वदेशीकरण का रणनीतिक महत्त्व:

- **सामरिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा**
  - **आयात पर निर्भरता में कमी:** स्वदेशीकरण से रक्षा, ऊर्जा और दूरसंचार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम हो जाती है।
    - **उदाहरण:** एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलें भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करती हैं।
  - **भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करना:** महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर विदेशी नियंत्रण के जोखिम को कम करके, स्वदेशीकरण यह सुनिश्चित करता है कि भू-राजनीतिक तनावों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो।
    - **उदाहरण:** तेजस जैसे लड़ाकू विमानों और INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियों का स्वदेशीकरण रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आर्थिक संप्रभुता**
  - **घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना:** प्रौद्योगिकियों का स्थानीय उत्पादन औद्योगिक विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देता है।
    - **उदाहरण:** 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि देखी गई है, जिससे आयात में कमी आई है।
  - **आयात बिलों में बचत:** स्वदेशी क्षमताओं का विकास करके, भारत विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को रोक सकता है और अपने व्यापार संतुलन को बनाए रख सकता है।
    - **उदाहरण:** भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से अधिक स्थायी, कम लागत वाली कार्बन-आधारित पेरोवस्काइट सौर कोशिकाओं का विकास किया है, जिनमें बेहतर तापीय और नमी स्थिरता है।
- **नवाचार और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा देना**
  - **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त बनाने में सक्षम हुआ है।
    - **उदाहरण:** चंद्रयान-3 और आदित्य-L1 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में भारत की अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियाँ तकनीकी प्रगति को उजागर करती हैं।
  - **आर्थिक समुत्थानशक्ति:** स्वदेशी प्रौद्योगिकियों ने भारत को वैश्विक घटनाओं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान सेमीकंडक्टर की कमी और हाल ही में लाल सागर संकट के कारण होने वाली आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बचाने में मदद की है।
  - **स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि:** भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन, Covaxin के विकास ने जैव प्रौद्योगिकी में देश की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया।
    - स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और नैनो-टीकों में प्रगति से स्वास्थ्य सेवा में आयात पर निर्भरता कम हो रही है।
  - **डिजिटल और IT प्रौद्योगिकियाँ:** विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के घरेलू विकल्प के रूप में भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस (BOSS) का विकास साइबर सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करता है।
    - यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आधार जैसे क्षेत्रों में प्रगति भारत के डिजिटल नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

तकनीकी स्वदेशीकरण प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- **अनुसंधान एवं विकास निवेश घाटा:** भारत अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% व्यय करता है, जो अमेरिका (2.8%) और चीन (2.2%) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
- **कौशल की कमी:** अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक भारत को 30-32 मिलियन लोगों की संभावित कौशल कमी का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे कि AI, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी में, जो प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है।
- **महत्त्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता:** सेमीकंडक्टर जैसे विदेशी निर्मित घटकों पर अत्यधिक निर्भरता आत्मनिर्भरता को सीमित करती है। (भारत अपने 95% सेमीकंडक्टर चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों से आयात करता है)
- **नीति और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतराल:** शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच कमज़ोर संबंध नवाचार एवं प्रौद्योगिकी अंतरण की गति को धीमा कर देते हैं।

आगे की राह

- **अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान एवं विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% तक बढ़ाना चाहिये।
- **कौशल विकास पहल:** AI, नवीकरणीय ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों को कौशल भारत जैसी पहलों के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग को सुदृढ़ करना:** नवाचार में तेज़ी लाने के लिये शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना:** सेमीकंडक्टर मिशन के तहत निवेश को उन्नत नोड्स (10nm से नीचे) की

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ओर लक्षित किया जाना चाहिये ताकि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में प्रतिस्पर्द्धी बने रह सकें।

- **क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ:** स्वदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिये अंतरिक्ष, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये लक्षित नीतियाँ विकसित की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

तकनीकी स्वदेशीकरण भारत की आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के लिये केंद्रीय है। निरंतर प्रयासों से स्वदेशीकरण न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा बल्कि नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा देगा, जिससे एक समुत्थानशील तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति सुदृढ़ होगी।

प्रश्न : भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा इसकी संभावनाओं का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैनोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत की रक्षा और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में नैनो प्रौद्योगिकी की क्षमता पर प्रकाश डालिये।
- चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैनोटेक्नोलॉजी, परमाणु या आणविक स्तर पर पदार्थों का हेरफेर, रक्षा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में परिवर्तनकारी क्षमता प्रदान करती है। पदार्थ विज्ञान, सेंसर, संचार प्रणाली एवं ऊर्जा भंडारण में प्रगति को सक्षम करके, नैनोटेक्नोलॉजी भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकती है और मौजूदा चुनौतियों का समाधान कर सकती है।

मुख्य भाग:

भारत की रक्षा और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में नैनो प्रौद्योगिकी की क्षमता:

- **रक्षा सामग्री और कवच को मज़बूत बनाना:** लड़ाकू वाहनों, विमानों और सैनिक गियर के लिये हल्के, टिकाऊ और उच्च शक्ति वाली सामग्री का विकास।
  - **उदाहरण:** कानपुर स्थित DMSRDE ने भारत का सबसे हल्का बुलेटप्रूफ जैकेट विकसित किया है, जो BIS मानकों के अनुसार उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **उन्नत निगरानी और पूर्व-निरीक्षण:** नैनो प्रौद्योगिकी-सक्षम सेंसर और कैमरे चुनौतीपूर्ण परिवेश में भी दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में सुधार करते हैं।
  - **उदाहरण:** सीमावर्ती क्षेत्रों में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये उन्नत इमेजिंग सेंसर से लैस नैनो-ड्रोन की संभावना तलाशी जा रही है।
- **परिशुद्धता-निर्देशित हथियार:** नैनो-इंजीनियरिंग सामग्री मिसाइलों और तोपखाने प्रणालियों की परिशुद्धता एवं मारक क्षमता को बढ़ाती है।
  - **उदाहरण:** नैनोथर्माइट्स, जो तीव्र ऊर्जा विस्फोट करते हैं, पर उन्नत मिसाइल प्रणालियों में उपयोग के लिये विश्व स्तर पर शोध किया जा रहा है।
- **उन्नत कैमाफ्लाज/छलावरण और गुप्तचर प्रौद्योगिकियाँ:** नैनो-कोटिंग्स और मेटामटेरियल्स रडार दृश्यता एवं तापीय संकेतों को कम करते हैं, जिससे सैन्य संचालन में गुप्तचरता में सुधार होता है।
- **उन्नत ऊर्जा और पावर प्रणालियाँ:** नैनो-इंजीनियरिंग बैटरियाँ और सुपरकैपेसिटर रक्षा अनुप्रयोगों में ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता एवं स्थायित्व में सुधार करते हैं।
  - **उदाहरण:** लंबी परिचालन अवधि सुनिश्चित करने हेतु ड्रोन और इलेक्ट्रिक लड़ाकू वाहनों के लिये लिथियम-सल्फर बैटरी में नैनो प्रौद्योगिकी की खोज की जा रही है।
- **सुरक्षित संचार और क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ:** नैनो-फोटोनिक्स और क्वांटम डॉट प्रौद्योगिकियाँ सैन्य संचार नेटवर्क की सुरक्षा एवं गति में सुधार कर सकती हैं।

नैनो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में चुनौतियाँ:

- **अनुसंधान एवं विकास की उच्च लागत:** उन्नत नैनोटेक रक्षा परियोजनाओं के लिये सीमित वित्तपोषण।
- **आयात पर निर्भरता:** महत्त्वपूर्ण नैनो सामग्रियों का अपर्याप्त घरेलू उत्पादन।
- **नैतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियाँ गैर-राज्यीय तत्त्वों के लिये प्रसार का खतरा उत्पन्न करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह

- रक्षा अनुप्रयोगों के लिये DRDO के अंतर्गत समर्पित नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- रक्षा क्षेत्र में नैनोटेक अनुसंधान के लिये बजट आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिये।
- प्रौद्योगिकी अंतरण के लिये नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देशों, जैसे अमेरिका और जापान, के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- नैनो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में निपुण कार्यबल तैयार करने के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

नैनो प्रौद्योगिकी में भारत की रक्षा और सामरिक क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने की अपार क्षमता है। स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर और कौशल अंतराल को दूर करके, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : सतत् विकास लक्ष्यों और सेंदाई फ्रेमवर्क के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिये। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये एकीकृत दृष्टिकोण कैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सतत् विकास लक्ष्यों और सेंदाई फ्रेमवर्क के अंतर्संबंध पर संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- SDG और सेंदाई फ्रेमवर्क के बीच अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालिये।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एकीकृत दृष्टिकोणों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- सतत् विकास लक्ष्यों और सेंदाई फ्रेमवर्क को और अधिक एकीकृत करने के लिये उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आपदाएँ विकासात्मक लाभों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा हैं, जो कमज़ोर लोगों को असंगत रूप से प्रभावित करती हैं और संधारणीय प्रयासों को कमज़ोर करती हैं। सतत् विकास लक्ष्य (SDG) का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है, जबकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क (SFDRR) 2015-2030 आपदा जोखिमों को कम करने के लिये एक संरचित रोडमैप प्रदान करता है।

मुख्य भाग:

सतत् विकास लक्ष्य और सेंदाइ फ्रेमवर्क के बीच अंतर्संबंध:

- **साझा उद्देश्य:**
  - दोनों ही फ्रेमवर्क जोखिम में कमी, लचीलापन और समावेशिता को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिये:
    - SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) आपदा-संबंधी नुकसान को कम करने पर SFDRR के ज़ोर के अनुरूप है।
    - SDG 11 (संधारणीय शहर और समुदाय) सीधे तौर पर SFDRR के आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करने के अनुरूप है।
  - **उदाहरण:** भारत की प्रधानमंत्री आवास योजना में निम्न आय वाले परिवारों के लिये आपदा-रोधी आवास शामिल किया गया है, जो सतत् विकास लक्ष्य और SFDRR लक्ष्यों को पूरा करता है।
- **समन्वित सिद्धांत:**
  - जोखिम-संवेदनशील योजना, सामुदायिक सशक्तीकरण और पर्यावरणीय संधारणीयता दोनों ही फ्रेमवर्क के मूल सिद्धांत हैं।
  - **उदाहरण:** जापान द्वारा शहरी नियोजन में आपदा आघातसहनीयता को शामिल करने से SDG 11 और SFDRR के शहरी कमज़ोरियों को कम करने के लक्ष्य को प्रोत्साहन मिलता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एकीकृत दृष्टिकोण:

- **आपदा जोखिम को समझना:** जोखिम का व्यवस्थित मूल्यांकन प्रभावी नीति-निर्माण और कुशल संसाधन उपयोग को सक्षम बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- चक्रवात के लिये बांग्लादेश के तैयारी कार्यक्रम, जो विस्तृत जोखिम विश्लेषण पर आधारित है, के कारण चक्रवात से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय कमी हुई है तथा तटीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया है।

- **आपदा जोखिम प्रशासन को सुदृढ़ बनाना:** सुदृढ़ संस्थाएँ और सहभागी प्रशासन DRR रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।
  - **उदाहरण:** केरल के विकेंद्रीकृत आपदा प्रशासन फ्रेमवर्क ने बाढ़ के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्वास को सक्षम किया, अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा दिया तथा SDG 16 (शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान) के साथ संरेखित किया।
- **समुत्थानशीलन में निवेश:** आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना, कृषि और ऊर्जा में वित्तीय निवेश से कमज़ोरियाँ कम होती हैं तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
  - **उदाहरण:** वियतनाम की मैंग्रोव पुनर्भरण परियोजना मत्स्य पालन और जैवविविधता को बढ़ाने के साथ-साथ तटीय समुदायों को चक्रवातों से बचाती है (SDG 15)।
- **तैयारी बढ़ाना और बेहतर पुनर्निर्माण करना:** आपदा के बाद की पुनर्प्राप्ति से न केवल आपदा-पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिये, बल्कि उसमें सुधार भी होना चाहिये।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2004 की सुनामी के बाद, इंडोनेशिया के आचे प्रांत ने अपने पुनर्निर्माण प्रयासों में संधारणीय कृषि और पर्यावरण अनुकूल आवास को एकीकृत किया, जिससे SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के साथ दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिला।

सतत् विकास लक्ष्यों और सेंदाइ फ्रेमवर्क को और अधिक एकीकृत करने के उपाय:

- **विकास नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को मुख्यधारा में लाना:** SDG लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिये DRR सिद्धांतों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में शामिल करना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और स्थानीय सशक्तीकरण:** स्थानीय सरकारों और समुदायों को जोखिमों का आकलन करने एवं शमन रणनीतियों को लागू करने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
  - समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
- **डेटा और प्रौद्योगिकी एकीकरण को सुदृढ़ करना:** AI, IoT और GIS मैपिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित किया जाना चाहिये।
  - नीति-निर्माताओं और समुदायों द्वारा बेहतर निर्णय लेने के लिये जोखिम संबंधी आँकड़ों तक खुली पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **वैश्विक साझेदारी का लाभ उठाना:** सर्वोत्तम प्रथाओं, संसाधनों और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिये जापान जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया जाना चाहिये।
  - अनुकूलन क्षमताओं को बढ़ाने के लिये आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) जैसी वैश्विक पहलों का लाभ उठाया जाना चाहिये।
- **आपदाओं के बाद संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना:** पुनर्निर्माण परियोजनाओं को स्थिरता लक्ष्यों से जोड़ने की आवश्यकता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का अंगीकरण या पर्यावरण-अनुकूल शहरी डिज़ाइन।
  - आपदा के बाद की पुनर्प्राप्ति के प्रयासों को वित्तपोषित करने के लिये ग्रीन बॉण्ड का उपयोग किया जाना चाहिये जो SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) जैसे SDG के अनुरूप हों।

निष्कर्ष:

SDG और सेंदाई फ्रेमवर्क को एकीकृत करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत् विकास की आधारशिला बन जाए। बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाकर, सामुदायिक आघातसहनीयता बढ़ाकर और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देकर, देश में कमज़ोरियों को कम किया जा सकता है, विकास संबंधी लाभों की रक्षा की जा सकती है तथा समावेशी, आपदा-प्रतिरोधी समाज का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न : आपदा प्रबंधन के संदर्भ में खतरा, भेद्यता और जोखिम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिये और उपयुक्त उदाहरणों सहित इनके अंतर्संबंधों की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- खतरे, भेद्यता और जोखिम में अंतर को पहचानने के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर दीजिये।
- खतरे, भेद्यता और जोखिम को उनके उदाहरण सहित बताते हुए परिभाषित कीजिये।
- उपयुक्त उदाहरण के साथ तीनों के बीच अंतर्संबंध दर्शाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

आपदा प्रबंधन में, प्रभावी शमन एवं प्रतिक्रिया रणनीतियों को विकसित करने के लिये खतरे, भेद्यता और जोखिम में अंतर को पहचानना आवश्यक है। ये अवधारणाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं और एक साथ मिलकर आपदा के संभावित प्रभाव को निर्धारित करती हैं।

मुख्य भाग:

खतरा: यह संभावित रूप से नुकसानदायक भौतिक घटना, परिघटना या मानवीय गतिविधि है जो जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती है। खतरे निम्न हो सकते हैं:

- **प्राकृतिक खतरे:** भूकंप, बाढ़, चक्रवात, वनाग्नि।
  - ***उदाहरण:*** हिमालय जैसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में 7 तीव्रता का भूकंप।
- **मानवजनित खतरे:** औद्योगिक दुर्घटनाएँ, वनों की कटाई, रासायनिक रिसाव।
  - ***उदाहरण:*** वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक रासायनिक रिसाव के कारण हुई थी।
- **भेद्यता :** भेद्यता किसी समुदाय, प्रणाली या परिसंपत्ति की खतरों के प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता को संदर्भित करती है। यह निम्न के आधार पर भिन्न होती है:
- **आर्थिक भेद्यता:** सीमित वित्तीय संसाधन और कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भरता भेद्यता को बढ़ाती है। (बाढ़-प्रवण बिहार में किसान प्रत्येक वर्ष अपनी फसल खो देते हैं)।
- **भौतिक भेद्यता:** जोखिम-प्रवण क्षेत्रों में निम्न स्तरीय ढंग से निर्मित इमारतें या बस्तियाँ। (ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में समुत्थानशील बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण नियमित रूप से चक्रवातों का सामना करना पड़ता है)।
- **सामाजिक भेद्यता:** वंचित समूह, जैसे कि वृद्ध जन, बच्चे और दिव्यांग जन, असमान रूप से प्रभावित होते हैं। (वर्ष 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान दिव्यांग जनों के लिये निकासी दर कम थी)।
- **पर्यावरणीय भेद्यता:** पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण आपदा प्रभावों को बढ़ाता है। (गुजरात में मैंग्रोव के नष्ट होने से चक्रवातों के प्रति समुत्थानशक्ति कम हो रही है)।

जोखिम:

जोखिम किसी खतरे से होने वाली हानि या क्षति की संभावना है, जो खतरे और समुदाय की भेद्यता के बीच की अंत:क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसे सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है:

जोखिम = खतरे की संभावना × भेद्यता की डिग्री

जोखिम प्रबंधन के प्रकार:

- **जोखिम स्वीकृति:** ज्ञात जोखिमों के साथ निर्वहन का चयन। (किसान ज्वालामुखी विस्फोट के जोखिम के बावजूद ज्वालामुखीय मृदा पर खेती करते हैं)।
- **जोखिम से बचाव:** खतरों से बचना। (बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाना)।
- **जोखिम न्यूनीकरण:** खतरों के प्रभाव को न्यूनतम करना। (जापान में भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण)।
- **जोखिम हस्तांतरण:** बीमा जैसे तंत्रों के माध्यम से जोखिम साझा करना। (सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों के लिये फसल बीमा योजनाएँ)।

खतरा, भेद्यता और जोखिम के बीच अंतर्संबंधी तीन अवधारणाएँ जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं: एक खतरा तभी जोखिम बन जाता है जब

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

वह किसी समुदाय की भेद्यता के साथ अंत:क्रिया करता है। भेद्यता को कम करके या खतरों के संपर्क को कम करके जोखिम को कम किया जा सकता है।

उदाहरण:

- **तटीय ओडिशा में चक्रवात:**
  - खतरा: चक्रवात से उत्पन्न हवाएँ और तूफानी लहरें।
  - भेद्यता: खराब तरीके से निर्मित मकान, उच्च गरीबी स्तर।
  - जोखिम: जान-माल की भारी हानि।
  - शमन: चक्रवात आश्रयों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों ने हाल के वर्षों में जोखिम को कम कर दिया है।

निष्कर्ष:

खतरे, भेद्यता और जोखिम के बीच संबंध व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीतियों के महत्त्व को रेखांकित करता है। यद्यपि खतरे अपरिहार्य हैं, तैयारी, अनुकूल बुनियादी अवसंरचना और सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से कमज़ोरियों को कम करने से जोखिमों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : सरकारी बुनियादी ढाँचा परियोजना में वरिष्ठ प्रबंधक रवि पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिये महत्त्वपूर्ण हाईवे निर्माण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का भारी दबाव है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और ठेकेदार की अक्षमता के कारण परियोजना में हो रही विलंब पर उच्च अधिकारियों ने कड़ी आलोचना की है, साथ ही समय पर लक्ष्य हासिल न करने पर निलंबन की चेतावनी भी दी है। इसी दौरान, एक निजी सलाहकार रवि से संपर्क करता है और उससे आगामी नियामक मंज़ूरी से जुड़ी अंदरूनी जानकारी साझा करता है। सलाहकार का दावा है कि इससे मंज़ूरी प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है, बशर्ते रवि सलाहकार को अनुकूल शर्तों पर काम करने के लिये तैयार करे। साथ ही, रवि को उप-ठेकेदार के चालान में वित्तीय अनियमितताएँ पता चलती हैं, हालाँकि वह इस दुविधा में है कि अगर वह इस पर कार्रवाई करता है, तो इससे परियोजना में और विलंब हो सकती है और उसकी टीम तथा संगठन को नकारात्मक प्रचार का सामना करना पड़ सकता है।

रवि अब परस्पर विरोधी दायित्वों के बीच उलझा हुआ है— अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी को बरकरार रखना, परियोजना को समय पर पूरा करना और साथ ही अपने कॅरियर की रक्षा करना। रवि को अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा, जहाँ परियोजना की विश्वसनीयता और अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए, नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता एवं संगठनात्मक दक्षता की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

(a) इस स्थिति में अनिल कुमार को जिन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उनका अभिनिर्धारण कर विस्तार से चर्चा कीजिये।

(b) अनिल कुमार के सामने मौजूद विभिन्न कार्यवाही विकल्पों का विश्लेषण कीजिये और उनके पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये।

(c) अनिल कुमार के लिये सबसे नैतिक और व्यावसायिक रूप से उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करते हुए उनकी स्थिति का गहन विश्लेषण कीजिये।

परिचय:

रवि एक महत्त्वपूर्ण राजमार्ग निर्माण परियोजना की समय-सीमा को पूरा करने के दबाव में है, भूमि संबंधी मुद्दों और ठेकेदार की अक्षमता के कारण विलंब का सामना कर रहा है। एक निजी सलाहकार आकर्षक शर्तों के बदले विनियामक अनुमोदन के लिये अंदरूनी सूचना प्रदान करता है, जिससे रवि अपनी ईमानदारी से समझौता करने के लिये प्रेरित होता है।

- इसके साथ ही, रवि को उप-ठेकेदार के बीजकों (Invoices) में वित्तीय अनियमितताएँ भी पता चलती हैं, लेकिन उसे डर है कि इन पर ध्यान न देने से परियोजना में और विलंब हो सकता है।

(a) रवि के समक्ष नैतिक दुविधाएँ

- **ईमानदारी बनाम सुविधा:** क्या परामर्शदाता के अनैतिक प्रस्ताव को अस्वीकार करके व्यक्तिगत ईमानदारी कायम रखी जाए या परियोजना में तेज़ी लाने और समय-सीमा को पूरा करने के लिये उसे स्वीकार किया जाए।
- **पारदर्शिता बनाम संगठनात्मक दबाव:** क्या उपठेकेदार के बीजक/बिल में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करना चाहिये, जिससे विलंब और आलोचना का जोखिम उठाना पड़े या परियोजना की समय-सीमा बनाए रखने के लिये उन्हें अनदेखा करना है।
- **कॅरियर सुरक्षा बनाम नैतिक सिद्धांत:** निलंबन और कॅरियर को होने वाले नुकसान के भय को नैतिक रूप से कार्य करने एवं पेशेवर मानकों को बनाए रखने के दायित्व के साथ संतुलित करना।
- **लोक कल्याण बनाम नैतिक शासन:** नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिये परियोजना में विलंब करने से क्षेत्रीय संपर्क में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे लोक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अल्पकालिक दक्षता बनाम दीर्घकालिक विश्वसनीयता:** अनैतिक प्रथाओं में लिप्त होकर दीर्घकालिक संस्थागत और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की तुलना में तत्काल परियोजना पूर्णता को प्राथमिकता देना।
- **जवाबदेही बनाम व्यावहारिकता:** क्या प्रणालीगत मुद्दों के कारण होने वाली विलंब के लिये पूरी जवाबदेही ली जाए, दंडात्मक कार्रवाई का जोखिम लिया जाए, या व्यक्तिगत और टीम हितों की रक्षा के लिये दोष दूसरे पर डाला जाए।
- **हितों का टकराव बनाम सार्वजनिक विश्वास:** आकर्षक शर्तों पर परामर्शदाता को नियुक्त करने से सार्वजनिक विश्वास एवं पारदर्शिता से समझौता होता है, जबकि प्रस्ताव को अस्वीकार करने से परियोजना में और अधिक बाधाएँ आ सकती हैं।

(b) संभावित कार्यवाही और मूल्यांकन

विकल्प 1: सलाहकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना और अनुमोदन में तीव्रता लाना

- **लाभ:**
  - शीघ्र अनुमोदन से परियोजना की समयसीमा में तीव्रता लाई जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समय-सीमाएँ पूरी हों।
  - उच्च अधिकारी संतुष्ट हैं, जिससे रवि पर दबाव कम हो गया है और उसका कॅरियर सुरक्षित हो गया है।
- **दोष:**
  - यह रवि की नैतिक निष्ठा से समझौता है जो भ्रष्टाचार को समर्थन देने की एक हानिकारक मिसाल कायम कर सकता है।
  - यदि यह बात उजागर हो गई तो रवि की व्यावसायिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ परियोजना में जनता के विश्वास को भी अपूरणीय क्षति पहुँचेगी।
  - इसके बाद कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

विकल्प 2: वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देना और औपचारिक रूप से आगे बढ़ना

- **लाभ:**
  - यह पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति रवि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - इससे भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के खिलाफ एक ठोस संकेत मिलता है तथा संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ती है।
- **दोष:**
  - विलंबित जाँच से परियोजना में और भी विलंब हो सकता है।
  - इससे ठेकेदारों और अन्य हितधारकों के साथ तनाव बढ़ सकता है, जिससे परिचालन संबंधी अकुशलता का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
  - उच्च अधिकारी रवि को समस्या का समाधान करने के बजाय ज़िम्मेदारी से भागने वाला मान सकते हैं।

विकल्प 3: अनैतिक प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए भूमि अधिग्रहण और ठेकेदार की अक्षमताओं को सक्रियता से संबोधित करना

- **लाभ:**
  - नैतिक मानकों को बनाए रखना, रवि की प्रतिष्ठा और व्यावसायिक अखंडता की रक्षा करना।
  - प्रणालीगत समाधान और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके दीर्घकालिक हितधारक विश्वास को बढ़ाता है।
  - इससे रवि की विश्वसनीयता एक समस्या-समाधानकर्त्ता, जो नैतिक रूप से चुनौतियों का सामना कर सकता है, के रूप में स्थापित होती है।
- **दोष:**
  - इसमें बहुत प्रयास और समय की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना में विलंब हो सकता है।
  - यदि नैतिक रुख के बावजूद समय-सीमाएँ चूक जाती हैं तो रवि का कॅरियर अभी भी जोखिम में पड़ सकता है।

विकल्प 4: नैतिक समाधानों के लिये उच्च-स्तरीय समर्थन प्राप्त करना और नवीन समाधान प्रस्तावित करना

- **लाभ:**
  - संस्थागत मार्गदर्शन के साथ अपने कार्यों को संरेखित करके रवि की स्थिति को सुदृढ़ करता है।
  - यह प्रणालीगत विलंब को दूर करने के लिये अंतरिम नीतियों या तीव्र समाधान तंत्र जैसे नवीन विचारों को प्रस्तावित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उच्च अधिकारी जवाबदेही साझा करते हुए रवि को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से बचाते हैं।

- **दोष:**
  - उच्च अधिकारियों के सहयोग और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसकी गारंटी नहीं दी जा सकती।
  - संस्थागत जड़ता के कारण समाधान की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे आगे और अधिक विलंब होने का खतरा बढ़ सकता है।

(c) अनुशंसित कार्यवाही:

नैतिक विचारों, संगठनात्मक दक्षता और व्यावसायिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने के लिये रवि को विकल्प 4 के प्रमुख तत्त्वों के साथ विकल्प 3 को अपनाना चाहिये।

उठाए जाने वाले कदम:

- **परामर्शदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार करना:** परामर्शदाता से स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि अनैतिक कार्यवाहियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे एक प्रभावी व्यक्तिगत और व्यावसायिक मिसाल कायम होगी।
- **वित्तीय अनियमितताओं को रणनीतिक ढंग से संबोधित करना:** उपठेकेदारों के बीजकों की समीक्षा के लिये एक तटस्थ, समयबद्ध लेखा परीक्षा दल का गठन किया जाना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जाँच के कारण चल रहे कार्य में बाधा न आए।
  - अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये भविष्य के बीजकों के लिये कड़ी जाँच लागू किया जाना चाहिये।
- **भूमि अधिग्रहण और ठेकेदार के कार्य निष्पादन में सक्रियतापूर्वक तेज़ी लाना:** त्वरित वार्ता या मुआवज़ा पुनर्मूल्यांकन जैसे सरकारी तंत्रों का लाभ उठाकर भूमि विवादों को सुलझाने के लिये स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
  - ठेकेदारों के साथ नियमित रूप से निष्पादन समीक्षा आयोजित की जानी चाहिये, विलंब के लिये दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये तथा जहाँ संभव हो कार्यकुशलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **तीव्र अनुमोदन के लिये नवीन दृष्टिकोण:** नियामक मंज़ूरी में बाधाओं को कम करने के लिये उच्च अधिकारियों को अंतरिम समाधान जैसे: समवर्ती अनुमोदन या डिजिटल तंत्र का प्रस्ताव दिया जाना चाहिये।
- **उच्च अधिकारियों के साथ पारदर्शी संचार:** प्रगति, चुनौतियों और उनके समाधान के लिये उठाए जा रहे कदमों के संदर्भ में उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से जानकारी दी जानी चाहिये।
  - प्रणालीगत मुद्दों के रूप में चुनौतियों से निपटना चाहिये, जिनके लिये संस्थागत कार्रवाई की आवश्यकता है, न कि व्यक्तिगत कमियों की।
- **हितधारक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना:** परियोजना में विलंब के संदर्भ में खुले संचार के माध्यम से, नैतिक शासन और दीर्घकालिक लाभ पर ज़ोर देते हुए, आम जनता सहित प्रमुख हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

रवि को परियोजना को पूरा करने के लिये चुनौतियों का व्यावहारिक रूप से सामना करते हुए नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिये। अनैतिक प्रस्तावों को अस्वीकार करके, अनियमितताओं को रणनीतिक रूप से नियंत्रित करके और विलंब को सक्रिय रूप से कम करके रवि अपनी ईमानदारी एवं विश्वसनीयता की रक्षा कर सकता है। पारदर्शी संचार और अभिनव दृष्टिकोण नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाना चाहिये, परियोजना की प्रतिष्ठा तथा दीर्घकालिक संगठनात्मक लक्ष्यों की रक्षा की जानी चाहिये। यह संतुलित रणनीति सुनिश्चित करती है कि रवि नैतिक मूल्यों से समझौता किये बिना अपने पेशेवर कर्त्तव्यों को पूरा करे।

प्रश्न : हाल ही में एक नए और महत्त्वाकांक्षी ज़िला मजिस्ट्रेट (डी.एम.) को एक ऐसे ज़िले में नियुक्त किया गया, जो गंभीर जल संकट और बार-बार होने वाली किसान आत्महत्याओं से त्रस्त था। अपने प्रारंभिक क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान, उन्होंने पाया कि उद्योगों द्वारा भूजल का बड़े पैमाने पर अवैध दोहन किया जा रहा था, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में संकट को और बढ़ा दिया। अनियमित भूजल दोहन पर प्रतिबंध लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद, उद्योग संसाधनों का दोहन जारी रखते हैं, अक्सर जाँच से बचने के लिये स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

एक दिन, एक औचक निरीक्षण के दौरान, डी.एम. ने जल निकासी कानूनों का उल्लंघन करने वाले एक प्रमुख औद्योगिक संयंत्र को सील कर दिया। इसके तुरंत बाद, उन्हें प्रभावशाली उद्योगपतियों से धमकियाँ मिलनी शुरू हो गईं और यहाँ तक कि वरिष्ठ नौकरशाहों से भी अप्रत्यक्ष दबाव का सामना करना पड़ा ताकि वे अपनी कार्रवाई को वापस ले लें। डी.एम. ने यह भी पाया कि अवैध गतिविधियाँ इन उद्योगों द्वारा नियोजित कई कम आय वाले श्रमिकों की आजीविका से जुड़ी हुई थीं, जिससे सामाजिक और नैतिक संघर्ष उत्पन्न हो रहा था। प्लांट बंद होने के खिलाफ बढ़ते सार्वजनिक विरोध के बीच, डी.एम. को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा—कानून को कायम रखते हुए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना या स्थानीय श्रमिकों और उनके परिवारों पर इसके तत्काल आर्थिक प्रभाव को प्राथमिकता देना।

(a) डी.एम. के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिये।

(b) इस स्थिति में डी.एम. के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(c) औचित्य के साथ सबसे उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दीजिये।

परिचय:

पानी की कमी वाले ज़िले में एक नवनियुक्त ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) को सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध भूजल निष्कर्षण का पता चलने के बाद नैतिक और कानूनी दुविधा का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख उल्लंघनकर्त्ता को सील करने के बाद, DM को उद्योगपतियों की धमकियों और वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी कार्रवाई को वापस लेने के लिये दबाव का सामना करना पड़ता है। स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है क्योंकि अवैध गतिविधियाँ कम आय वाले श्रमिकों की आजीविका का भी समर्थन करती हैं, जिससे सार्वजनिक विरोध होता है।

मुख्य भाग:

(a) DM के सामने आने वाली नैतिक दुविधाएँ:

- **कानून को कायम रखना बनाम आर्थिक संकट का समाधान करना:** अवैध जल निकासी पर रोक लगाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करना बनाम इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की आजीविका पर विचार करना।
- **व्यावसायिक ईमानदारी बनाम राजनीतिक/नौकरशाही दबाव:** प्रभावशाली उद्योगपतियों और वरिष्ठ अधिकारियों की धमकियों एवं दबाव के बावजूद निष्पक्षता बनाए रखना तथा कानून का पालन करना।
- **पर्यावरणीय स्थिरता बनाम तत्काल सामुदायिक मांगें:** ज़िले के लिये दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना बनाम औद्योगिक नौकरियों पर निर्भर प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों की अल्पकालिक मांगों को पूरा करना।
- **लोक कल्याण बनाम औद्योगिक जवाबदेही:** कमज़ोर श्रमिकों के लिये सामाजिक स्थिरता और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना बनाम सार्वजनिक संसाधनों का शोषण करने वाले उद्योगों को दंडित करना।
- **व्यक्तिगत सुरक्षा बनाम सार्वजनिक उत्तरदायित्व:** खतरों के बीच व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देना बनाम सार्वजनिक हित की रक्षा के नैतिक कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना।

(b) DM के लिये उपलब्ध विकल्प:

- **कानूनों का सख्ती से पालन:** अवैध उद्योगों को सील करना जारी रखा जा सकता है, भारी जुर्माना लगाए जा सकते हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू किये जा सकते हैं।
  - **सकारात्मक पक्ष:** कानून के शासन को सुदृढ़ करता है और भविष्य में उल्लंघन को रोकता है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** इससे विरोध प्रदर्शन, नौकरी जा सकती है और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी बढ़ सकती है।
- **विनियमन के तहत सशर्त पुन: परिचालन:** उद्योगों का परिचालन पुन: शुरू करने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिये जब वे जल-कुशल प्रौद्योगिकियाँ स्थापित करें, कानूनी परमिट प्राप्त करें तथा भूजल निष्कर्षण सीमाओं का पालन करें।
  - **सकारात्मक पक्ष:** पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नकारात्मक पक्ष:** उद्योग अनुपालन का विरोध कर सकते हैं या उपायों को अपनाने में विलंब कर सकते हैं।

- **हितधारकों को संवाद में शामिल करना:** संधारणीय प्रथाओं पर ज़ोर देते हुए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिये उद्योगपतियों, श्रमिकों और स्थानीय नेताओं के बीच मध्यस्थता की जानी चाहिये।
  - **सकारात्मक पक्ष:** तनाव कम होता है और सहयोगात्मक शासन सुनिश्चित होता है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** कानूनों के तत्काल प्रवर्तन को धीमा कर सकता है।
- **वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना:** विस्थापित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिये मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा पहलों जैसी राज्य तथा केंद्रीय योजनाओं के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
  - **सकारात्मक पक्ष:** श्रमिकों की शिकायतों का समाधान होता है और विरोध प्रदर्शन कम होते हैं।
  - **नकारात्मक पक्ष:** समय और प्रशासनिक प्रयास की आवश्यकता होती है।
- **संस्थागत और न्यायिक सहायता प्राप्त करना:** राज्य प्राधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट की जानी चाहिये और भूजल कानूनों के सख्त कार्यान्वयन के लिये न्यायिक स्पष्टीकरण या सहायता प्राप्त की जानी चाहिये।
  - **सकारात्मक पक्ष:** यह DM को बाहरी दबावों से बचाता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** इससे समाधान में विलंब होगा तथा स्थानीय विरोधों का तत्काल समाधान नहीं हो सकेगा।
- **जन-जागरूकता अभियान:**
  - जन समर्थन प्राप्त करने के लिये जल संकट और संधारणीय प्रथाओं के लाभों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये।
  - **सकारात्मक पक्ष:** सामुदायिक समझ और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
  - **नकारात्मक पक्ष:** तनाव का तुरंत समाधान नहीं हो सकता।

(c) औचित्य के साथ सबसे उपयुक्त कार्यवाही:

चरण 1: कानून का दृढ़ता से पालन करना

- अवैध संयंत्रों को बंद रखना चाहिये तथा उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही और दंड सहित प्रत्यक्ष कार्रवाई किया जाना चाहिये।
  - यह जवाबदेही का एक दृढ संदेश देता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखता है, जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

चरण 2: बहु-हितधारक संवाद आयोजित करना

- उद्योगपतियों, स्थानीय नेताओं, श्रमिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों को एक साथ लाकर संधारणीय संचालन के लिये रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिये, जिसमें सख्त अनुपालन के तहत उद्योगों को सशर्त पुनः खोलना भी शामिल है।
  - हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करता है तथा आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों को संरेखित करता है।

चरण 3: वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम लागू करना

- प्रभावित श्रमिकों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम, मनरेगा के तहत रोज़गार और वित्तीय सहायता योजनाएँ प्रदान करने के लिये राज्य एजेंसियों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
  - इससे कमज़ोर परिवारों पर तत्काल आर्थिक प्रभाव कम होगा तथा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में कमी आएगी।

चरण 4: विनियमन लागू करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

- उद्योगों को जल-बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, भूजल उपयोग के लिये पारदर्शी निगरानी प्रणालियाँ स्थापित करने तथा स्व-रिपोर्टिंग तंत्र को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया जाना चाहिये।
  - दीर्घकालिक अनुपालन को बढ़ावा देता है और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

चरण 5: उच्च अधिकारियों से सहायता लें

- इस मुद्दे को राज्य और केंद्र स्तर तक ले जाना तथा प्रभावशाली हितधारकों के अनुचित दबाव को बेअसर करते हुए कानूनी एवं प्रशासनिक समर्थन सुनिश्चित करना।
  - DM की स्थिति को मज़बूत करता है और सुसंगत नीति प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

चरण 6: जन-जागरूकता अभियान शुरू करना

- जल संकट और संधारणीय संसाधन प्रबंधन के लाभों के बारे में समुदाय को शिक्षित किया जाना चाहिये।
  - कठिन निर्णयों के लिये जनता का समर्थन प्राप्त कर भविष्य में जल संरक्षण प्रयासों के लिये आम सहमति बनाना चाहिये।

निष्कर्ष:

DM को आर्थिक और सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिये संतुलित एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कानून को दृढ़ता से बनाए रखना चाहिये। भूजल नियमों का सख्त पालन, हितधारकों की भागीदारी, उद्योगों को सशर्त रूप से पुन: संचालन और वैकल्पिक आजीविका सहायता के साथ मिलकर तत्काल संकट का हल किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण सामुदायिक शिकायतों को दूर करते हुए पर्यावरण संसाधनों की रक्षा करता है। यह न्याय और जवाबदेही में निहित नैतिक शासन का उदाहरण है।

प्रश्न : आप एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी हैं। एक दिन, आपकी टीम की एक जूनियर सहकर्मी, जो अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिये प्रसिद्ध है, परेशान तथा चिंतित स्थिति में आपसे सलाह लेने आती है। वह आपको बताती है कि उसका छोटा भाई, जो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, को एक गंभीर बीमारी का पता चला है। उसे जानलेवा बीमारी का पता चला है, जिसके लिये तत्काल उपचार की आवश्यकता है, जिसकी लागत 8 लाख रुपए है। अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाली है, जिस कारण वह इस भारी चिकित्सा खर्च का प्रबंध करने में कठिनाई का सामना कर रही है, क्योंकि उसका सीमित वेतन केवल घर के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिये ही पर्याप्त हो पाता है।

आप उसकी स्थिति से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं। एक महीने बाद, आप देखते हैं कि उसकी मनोदशा में सुधार हुआ है और जब आप इसके बारे में पूछते हैं, तो वह बताती है कि विभाग के प्रमुख द्वारा आपातकालीन कर्मचारी कल्याण के तहत विवेकाधीन निधियों से किये गए अग्रिम भुगतान के चलते उसके भाई का उपचार अब जारी है। वह यह भी बताती है कि उसने मासिक किश्तों में राशि चुकाने का वादा किया है, जिसकी शुरुआत उसने पहले ही कर दी है।

हालाँकि जब आप कंपनी के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि विवेकाधीन निधि का उपयोग केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है और इसे व्यक्तिगत मामलों में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। विभाग प्रमुख की कार्रवाई, हालाँकि नेक इरादे से की गई थी, लेकिन इससे मानक प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है, जिससे मामले के उजागर होने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

(a) इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?

(b) स्थिति से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आप क्या कार्रवाई करेंगे?

(c) विवेकाधीन निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यापक संगठनात्मक उपाय सुझाइये।

परिचय:

सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी में एक जूनियर कर्मचारी अपने भाई की जानलेवा बीमारी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही है, जिसके लिये तत्काल उपचार की आवश्यकता है। उसे सहायता देने के लिये प्रमुख संगठनात्मक दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुए विभाग द्वारा विवेकाधीन निधि का उपयोग किया जाता है, जिसका पुनर्भुगतान किश्तों में किया जाता है। जबकि यह कार्रवाई दयालुतापूर्ण है और समय पर सहायता सुनिश्चित करती है, यह नियमों का उल्लंघन करती है, जिससे कानूनी एवं अनुशासनात्मक परिणामों का जोखिम उत्पन्न होता है।

- वरिष्ठ अधिकारी को, जिसे इस बारे में पता चला है, सहानुभूति और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाना चाहिये तथा प्रक्रियागत उल्लंघन पर कार्रवाई करनी चाहिये।

मुख्य भाग:

(a) नैतिक मुद्दे

- **करुणा बनाम नियम पालन:** किसी कर्मचारी की अत्यंत आवश्यकता में सहायता करना नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के अनुरूप है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- आधिकारिक दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने से संगठनात्मक अखंडता कमज़ोर होती है और जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं।

- **उद्देश्य बनाम परिणाम:** विभागाध्यक्ष ने संकटग्रस्त कर्मचारी की सहायता करने के वास्तविक उद्देश्य से कार्य किया।
  - धन के दुरुपयोग से संगठन और संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी तथा अनुशासनात्मक परिणाम हो सकते हैं।
- **व्यक्तिगत कल्याण बनाम संगठनात्मक अखंडता:** चिकित्सा आपातकाल से निपटने से कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत सुनिश्चित हुई।
  - प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से फंड प्रबंधन में विश्वास और उत्तरदायित्व समाप्त हो सकती है।
- **अल्पकालिक राहत बनाम दीर्घकालिक परिणाम:** तत्काल चिकित्सा उपचार से कर्मचारी के भाई की जान बच गई।
  - प्रक्रियाओं से विचलन से विभिन्न उद्देश्यों के लिये समान अनुरोधों को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे विवेकाधीन निधियों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है।
- **सहानुभूति बनाम मिसाल:** संकट के समय कर्मचारियों को समर्थन देने से सद्भावना और मनोबल बढ़ता है।
  - यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी कार्रवाइयाँ दिशा-निर्देशों से विचलन को सामान्य बना सकती हैं।

(b) कार्यवाही का तरीका:

चरण 1: स्थिति की तत्काल स्वीकृति

- **नैतिक दुविधा का अभिनिर्धारण:** कार्रवाई की मानवीय प्रकृति को स्वीकार किया जाना चाहिये लेकिन स्थापित नियमों से विचलन को भी स्वीकार करना आवश्यक है। यह सहानुभूति और पेशेवर ईमानदारी को बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलित करता है।
- **परिस्थितियों का आकलन:** निधि उपयोग प्रक्रिया, विभाग प्रमुख की भूमिका और कनिष्ठ सहकर्मी द्वारा शुरू की गई पुनर्भुगतान प्रणाली सहित सभी प्रासंगिक तथ्य एकत्र करना आवश्यक है।

चरण 2: हितधारकों के साथ जुड़ना

- **विभाग प्रमुख से चर्चा करना:** उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिये विभाग प्रमुख से निजी तौर पर मिलना आवश्यक है।
  - मानवीय उद्देश्य की सराहना करते हुए प्रक्रियागत उल्लंघन को उजागर किया जाना चाहिये।
- **कनिष्ठ सहकर्मी को आश्वासन:** कनिष्ठ सहकर्मी को निजी तौर पर आश्वस्त किया जाना चाहिये कि उसकी गोपनीयता और गरिमा का सम्मान किया जाएगा।

चरण 3: स्थिति से निपटना

- **एक संतुलित कार्य योजना की सिफारिश:** वर्तमान पुनर्भुगतान व्यवस्था को बनाए रखने का प्रस्ताव किया जाना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निधि पूरी तरह से पुन: संचित हो जाए।
  - उच्च प्रबंधन या आचार समिति से अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे सभी कर्मचारियों को निधि उपयोग प्रोटोकॉल के बारे में स्पष्टीकरण जारी करें तथा इस मामले (अनाम) को एक सीख के रूप में संदर्भित करें।
    - आचार समिति को इसमें शामिल सभी हितधारकों (विभागीय प्रमुखों और स्टाफ सदस्यों सहित) को ध्यान में रखना चाहिये तथा नैतिक मानकों के लिये एक बेंचमार्क स्थापित करना चाहिये।
- **अधिगम को प्रोत्साहित किया जाए, दंड को नहीं:** भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये विभाग प्रमुख को दंडात्मक उपायों को छोड़कर जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण देने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - इस घटना को संगठन के लिये संकट प्रबंधन फ्रेम वर्क को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिये।

दृष्टिकोण का औचित्य:

- **नियमों को करुणा के साथ संतुलित करना:** कार्य योजना, इसके पीछे के वास्तविक उद्देश्य की उपेक्षा किये बिना नैतिक उल्लंघन पर कार्रवाई करती है।
- **व्यावहारिक प्रबंधन:** अनावश्यक वृद्धि से बचा जाता है जो मनोबल को नुकसान पहुँचा सकता है, साथ ही भविष्य की घटनाओं के लिये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
- **तंत्र को सुदृढ़ बनाना:** संस्थागत सुधारों का सुझाव देने से समस्या के मूल कारण का समाधान होता है और भविष्य में इसी प्रकार की समस्याओं को रोका जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

(c) विवेकाधीन निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यापक संगठनात्मक उपाय:

- **आपातकालीन कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना:** कर्मचारियों की तत्काल व्यक्तिगत आपात स्थितियों से निपटने के लिये एक समर्पित निधि बनाए जाने की आवश्यकता है।
  - सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि यह निधि सख्त पात्रता मानदंडों के तहत संचालित हो, जिसमें निर्दिष्ट समिति से अनुमोदन भी शामिल हो।
  - मनमाने उपयोग को रोकने के लिये इसके दायरे (जैसे- जीवन-धमकाने वाली चिकित्सा समस्याएँ, दुर्घटना राहत) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।
- **सुदृढ़ शासन और निगरानी:** निधि उपयोग के लिये बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया लागू किया जाना चाहिये, जिसमें कम-से-कम दो वरिष्ठ अधिकारी और आचार समिति शामिल हो।
  - नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये विवेकाधीन निधि के उपयोग का नियमित आंतरिक ऑडिट आयोजित किया जाना चाहिये।
  - विवेकाधीन और कल्याणकारी निधियों के उपयोग का सारांश प्रस्तुत करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाना चाहिये।
- **स्पष्ट एवं अद्यतन नीति फ्रेमवर्क:** विवेकाधीन निधि उपयोग के लिये सटीक सीमाएँ निर्धारित की जानी चाहिये, जिसमें अनुमत उद्देश्यों की सूची भी शामिल हो।
  - विषम परिस्थितियों, जैसे कि कर्मचारी संबंधी आपातस्थितियों से निपटने के लिये दिशा-निर्देश प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिसके लिये वरिष्ठ प्रबंधन से पूर्व अनुमोदन आवश्यक हो।
- **डिजिटल निगरानी और निधि प्रबंधन उपकरण:** विवेकाधीन निधि आवंटन और व्यय पर नज़र रखने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - धन के अनुरोध और अनुमोदन के लिये स्वचालित प्रणालियाँ लागू की जानी चाहिये तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक लेनदेन को औचित्य के साथ दर्ज किया जाए।
- **संकट प्रबंधन समितियाँ:** कर्मचारी संकट से संबंधित अनुरोधों के प्रबंधन के लिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय निष्पक्ष, सुसंगत और अच्छी तरह से प्रलेखित हों, एक ज़िम्मेदार समिति का गठन किया जाना चाहिये।
  - नीति अनुपालन के साथ करुणा का संतुलन बनाए रखने के लिये मानव संसाधन, वित्त और नैतिकता विभागों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये।
- **जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना:** इस विचार को सुदृढ़ किया जाना चाहिये कि विवेकाधीन निधियाँ सार्वजनिक संसाधन हैं जिनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है।
  - उन कर्मचारियों और प्रबंधकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिये जो चुनौतियों का नवीनतापूर्वक समाधान करते हुए नियमों का पालन करते हैं।
- **असाधारण मामलों के लिये लचीलापन:** दुर्लभ एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में निधि उपयोग को अनुमोदन देने के लिये एक सुपरिभाषित प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये।
  - अनुमोदन के बाद निगरानी बनाए रखने के लिये बोर्ड या आचार समिति को रिपोर्ट करने के लिये धाराएँ शामिल की जानी चाहिये।
- **कर्मचारी जागरूकता को बढ़ावा देना:** अनधिकृत निधि अनुरोधों को कम करने के लिये उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं, निधियों और सहायता तंत्रों के बारे में कर्मचारियों को नियमित रूप से जानकारी दी जानी चाहिये।
  - कानूनी और नैतिक दोनों पहलुओं पर बल देते हुए, निधि के दुरुपयोग के परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

स्थिति में करुणा और नियम पालन के बीच संतुलन बनाने के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विभाग प्रमुख के मानवीय उद्देश्य को पहचानते हुए, संगठनात्मक नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये। आपातकालीन कल्याण निधि जैसे प्रणालीगत सुधारों को शुरू करने और निगरानी को दृश करने से भविष्य में ऐसी नैतिक दुविधाओं को रोका जा सकेगा। यह दृष्टिकोण संगठनात्मक अखंडता की रक्षा करता है और एक सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : आप एक युवा भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं, जो ऐसे देश में तैनात है, जहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। हाल ही में देश के एक क्षेत्र में संघर्ष छिड़ गया, जहाँ भारतीय समुदाय के कई सदस्य, जिनमें महिलाएँ एवं बच्चे भी शामिल हैं, फँस गए हैं और तत्काल निकासी की माँग कर रहे हैं। आपके दूतावास के पास सीमित संसाधन और बहुत कम कर्मचारी हैं।

निकासी का समन्वय करते समय, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संपर्क वाले एक प्रमुख स्थानीय व्यवसायी ने आधिकारिक प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए अपने परिवार के लिये तत्काल प्राथमिकता निकासी का अनुरोध किया। यदि आप उसकी मांग से सहमत हैं तो वह निकासी मिशन का समर्थन करने के लिये एक बड़ी राशि दान करने का प्रस्ताव करता है। हालाँकि उसके अनुरोध को प्राथमिकता देने से अन्य परिवारों की निकासी में विलंब होगी जो अधिक अनिश्चित परिस्थितियों में हैं।

जटिलता को और बढ़ाते हुए, आप पर स्थानीय सरकार का दबाव है कि आप निकासी अभियान को कम-से-कम करें क्योंकि उन्हें डर है कि इससे तनाव और बढ़ सकता है। आपको नैतिक विचारों, संसाधनों की कमी एवं कूटनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाते हुए इस संकट से निपटने का निर्णय करना होगा।

(a) इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

(b) दी गई परिस्थितियों में, निकासी के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

(c) आपके समक्ष कौन-सी नैतिक दुविधाएँ हैं?

परिचय:

एक युवा भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को विदेश में संघर्ष क्षेत्र में फँसे भारतीय नागरिकों को निकालने की देखरेख का कार्यभार सौंपा गया है। अधिकारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सीमित संसाधन, स्थानीय सरकार द्वारा संचालन को गुप्त रखने का दबाव तथा एक प्रमुख व्यवसायी द्वारा दान के बदले में तरज़ीही व्यवहार की मांग करना शामिल है। अधिकारी को नैतिक दुविधाओं, कूटनीतिक संवेदनशीलताओं और रसद बाधाओं से निपटने के लिये यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्य निष्पक्ष हों तथा कमज़ोर समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्य भाग:

(a) शामिल हितधारक:

हितधारक	भूमिका/रुचि
फँसे हुए भारतीय समुदाय के सदस्य	जिनकी सुरक्षा और निकासी दूतावास का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। वे निष्पक्षता की अपेक्षा करते हैं।
महिलाएँ और बच्चे	कमज़ोर समूह जिन्हें तत्काल सुरक्षा और निकासी की अत्यधिक आवश्यकता है।
प्रमुख व्यवसायी	दान के बदले में परिवार के लिये प्राथमिकता से निकासी की मांग करता है, जिससे नैतिक एवं परिचालन संबंधी दुविधाएँ उत्पन्न हो गईं।
स्थानीय सरकार	क्षेत्र में तनाव को बढ़ने से रोकने के लिये दूतावास पर दृश्यता न्यूनतम करने का दबाव डालती है।
दूतावास स्टाफ	सीमित जनशक्ति/संसाधन; अत्यधिक दबाव में समन्वय का बोझ।
भारत सरकार (GOI)	प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और मेज़बान देश के साथ राजनयिक संबंध सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार।
स्थानीय जनसंख्या	दृश्यमान और कथित वरीयतापूर्ण निकासी अभियानों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रतिक्रिया या आक्रोश का जोखिम।

(b) उपलब्ध विकल्प

विकल्प 1: व्यवसायी के परिवार को प्राथमिकता देना

- **कार्रवाई:** वादा किये गए दान के बदले में व्यवसायी के परिवार को प्राथमिकता के आधार पर निकासी की सुविधा प्रदान की जाए।
- **लाभ:**
  - निकासी मिशन के लिये अतिरिक्त संसाधन सुरक्षित किये जा सकते हैं, जिससे संभवत: अधिक लोगों को मदद मिलेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- किसी प्रभावशाली स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंधों को मज़बूत बनाता है, जो भविष्य के कूटनीतिक प्रयासों में सहायक हो सकता है।

- **दोष:**
  - तत्काल खतरे में न होने वाले परिवार को प्राथमिकता देकर निष्पक्षता और समानता के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है।
  - इससे प्रवासी भारतीयों के बीच विश्वास को नुकसान पहुँचेगा तथा पक्षपात के आरोप लग सकते हैं।
  - दूतावास के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों का मनोबल गिर सकता है।

विकल्प 2: प्रोटोकॉल का पालन और तात्कालिकता के आधार पर निकासी करना

- **कार्रवाई:** आधिकारिक निकासी प्रोटोकॉल का पालन करना, परिवारों को उनकी आवश्यकता और स्थिति की अनिश्चितता के आधार पर प्राथमिकता देना।
- **लाभ:**
  - निष्पक्षता और नैतिक अखंडता को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि गंभीर खतरे में पड़े लोगों को पहले निकाला जाए।
  - दूतावास की विश्वसनीयता बनाए रखते हुए प्रवासी समुदाय के बीच विश्वास को दृढ़ किया जा सकता है।
  - पक्षपात की मिसाल कायम करने या सशर्त प्रस्ताव स्वीकार करने से बचा जा सकता है।
- **दोष:**
  - अतिरिक्त संसाधन सुरक्षित करने के अवसर में चूक हो सकती है।
  - इससे एक प्रभावशाली व्यक्ति को ठेस पहुँचने का खतरा है, जिससे स्थानीय परिचालन और कूटनीति पर असर पड़ सकता है।
  - सीमित संसाधनों के कारण अन्य लोगों के लिये निकासी प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

विकल्प 3: व्यवसायी के साथ समझौता वार्ता करना

- **कार्यवाही:** व्यवसायी के परिवार को प्राथमिकता दिये बिना दान स्वीकार करना, लेकिन उन्हें आश्वस्त करना कि परिचालन क्षमता के भीतर उनकी बारी आएगी।
- **लाभ:**
  - निष्पक्षता से करार किये बिना निकासी मिशन के लिये अतिरिक्त संसाधन प्राप्त किया जा सकता है।
  - नैतिक अखंडता बनाए रखते हुए व्यवसायी की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शायी जा सकती है।
  - भावी सहयोग के लिये प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संबंधों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
- **दोष:**
  - यदि उनके परिवार को विलंब महसूस होता है तो व्यवसायी के नाराज होने का खतरा है।
  - यदि करार पारदर्शी नहीं है तो इससे दूसरों के बीच पक्षपात का संदेह पैदा हो सकता है।

विकल्प 4: सहायता के लिये स्थानीय सरकार को शामिल करना

- **कार्रवाई:** प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकासी क्षमता बढ़ाने के लिये सहायता के लिये स्थानीय सरकार से संपर्क करना।
- **लाभ:**
  - संवेदनशील वातावरण में सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए कूटनीतिक सहयोग को मज़बूत किया जा सकता है।
  - स्थानीय प्राधिकारियों की प्राथमिकताओं का पालन दर्शाता है, जिससे तनाव बढ़ने का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।
- **दोष:**
  - नौकरशाही बाधाओं के कारण निकासी प्रक्रिया में और भी विलंब हो सकता है।
  - इससे दूतावास की सीमित क्षमता उजागर होने का खतरा है, जिससे मेज़बान देश में इसकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है।

विकल्प 5: सभी गंभीर मामलों को कम-स्तरीय तरीके से निकासी करना

- **कार्रवाई:** सबसे कमज़ोर व्यक्तियों को शांतिपूर्वक रणनीतिक तरीके से बाहर निकालना और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए दृश्यता को न्यूनतम रखना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **लाभ:**
  - यह स्थानीय सरकार के निर्देश के अनुरूप है ताकि स्थिति को बढ़ने से रोका जा सके।
  - सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों के लिये समानता और प्राथमिकता बरकरार रखी जा सकती है।
  - अनावश्यक राजनीतिक प्रतिक्रिया या सामुदायिक असंतोष को रोका जा सकता है।
- **दोष:**
  - सीमित संसाधनों और छोटे कर्मचारियों के कारण रसद संबंधी चुनौतियाँ।
  - व्यवसायी सहित कुछ लोगों द्वारा इसे धीमा या अपर्याप्त माना जा सकता है।

चुना गया विकल्प: विकल्प 2, 3 और 5 का संयोजन

- **प्रोटोकॉल का पालन करना (विकल्प 2):** तात्कालिकता और आवश्यकता के आधार पर निकासी को प्राथमिकता दी जा सकती है।
  - प्रोटोकॉल का पालन करने से सबसे सुभेद्य लोगों को प्राथमिकता देकर निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, साथ ही प्रवासी समुदाय के बीच दूतावास की विश्वसनीयता और विश्वास भी बना रहता है।
- **व्यवसायी से वार्ता करना (विकल्प 3):** दान स्वीकार किया जा सकता है लेकिन स्थापित निकासी प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता भी समझाई जानी चाहिये।
  - उसे आश्वस्त किया जा सकता है कि योजना के तहत उसके परिवार को शीघ्र ही निकाल लिया जाएगा।
- गुप्त ऑपरेशन संचालित करना (विकल्प 5): स्थानीय सरकार के निर्देशों का पालन करने और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिये सबसे कमज़ोर लोगों को चुपचाप बाहर निकाला जाना चाहिये।

(c) नैतिक दुविधाएँ

- **उपयोगितावादी बनाम कर्तव्यपरायण नैतिकता:** यह स्थिति उपयोगितावादी नैतिकता (दान स्वीकार करके लाभ को अधिकतम करना) को कर्तव्यपरायण नैतिकता (कर्तव्य का पालन करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना) के विरुद्ध असंगत करती है।
  - दान स्वीकार करने से समग्र रूप से निकासी प्रयास में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के साथ समझौता होगा।
- **निष्पक्षता बनाम पक्षपात:** व्यवसायी के परिवार को तरजीह देने से निष्पक्षता और भारतीय समुदाय का विश्वास कमज़ोर होता है।
  - हालाँकि, इससे निकासी मिशन के लिये बहुमूल्य संसाधन सुरक्षित हो सकेंगे।
- **प्रोटोकॉल बनाम मानवीय आवश्यकता:** प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने से महिलाओं और बच्चों जैसे सबसे कमज़ोर लोगों को सहायता मिलने में विलंब हो सकता है।
  - प्रोटोकॉल से विचलन एक ऐसी मिसाल कायम कर सकता है जो नैतिक शासन से समझौता कर सकता है।
- **कूटनीतिक दबाव बनाम परिचालन दक्षता:** स्थानीय सरकार का दृश्यमान परिचालन को न्यूनतम करने पर बल, बड़े पैमाने पर समय पर निकासी की आवश्यकता के साथ टकराव उत्पन्न करता है।
  - उनकी मांगों को परिचालन लक्ष्यों के साथ संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

इस संकट में, एक संतुलित दृष्टिकोण निष्पक्षता और नैतिक अखंडता को बनाए रखते हुए सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दूतावास द्वारा सिद्धांतों से समझौता किये बिना अतिरिक्त संसाधनों का लाभ उठाकर और कम महत्त्वपूर्ण संचालन करके, निकासी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण कूटनीतिक संवेदनशीलता को बनाए रखता है, विश्वास को दृढ़ करता है, और दीर्घकालिक जिम्मेदारियों के साथ संरेखित करता है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "नैतिक साहस को जवाबदेही का सर्वोच्च रूप कहा गया है।" चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक वातावरण में लोक सेवकों को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है? विश्लेषण कीजिये। **(150 शब्द)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक साहस को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- लोक सेवकों के समक्ष आने वाली प्रमुख नैतिक दुविधाओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इन दुविधाओं से निपटने में नैतिक साहस के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिक साहस का अर्थ है लोक सेवकों के कॅरियर में असफलता, सार्वजनिक आलोचना या व्यक्तिगत नुकसान जैसे जोखिमों के बावजूद सही/सत्य के समर्थन में खड़े होना या दृढ होना। शासन की रीढ़ के रूप में लोक सेवकों को प्राय: नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ व्यक्तिगत ईमानदारी संस्थागत दबावों, निहित स्वार्थों या सार्वजनिक मांगों से टकराती है।

मुख्य भाग:

लोक सेवकों के समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाएँ

- **कानून और न्याय के बीच संघर्ष:** कानूनी फ्रेमवर्क को कायम रखना बनाम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
  - **उदाहरण:** झुग्गी बस्तियों में बेदखली अभियान कानूनी आदेशों का पालन कर सकते हैं, लेकिन कमज़ोर आबादी को विस्थापित कर सकते हैं, जिससे लोक सेवकों के लिये संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
- **राजनीतिक आकाओं का दबाव:** राजनेता निहित स्वार्थों या चुनावी लाभ के लिये अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं।
  - **उदाहरण:** हरियाणा के IAS अधिकारी अशोक खेमका को हाई-प्रोफाइल भूमि सौदों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण तबादला झेलना पड़ा।
- **संसाधन आबंटन:** सीमित संसाधनों के कारण कठिन विकल्पों की आवश्यकता होती है, जो प्राय: समान वितरण की कीमत पर होता है।
  - **उदाहरण:** एक ज़िला कलेक्टर को तात्कालिक आपदा राहत बनाम दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं के लिये धन को प्राथमिकता देने की दुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
- **भ्रष्टाचार के विरुद्ध सूचना देना:** प्रशासन के भीतर अनैतिक प्रथाओं की सूचना देने से अलगाव या प्रतिशोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - **उदाहरण:** सत्येंद्र दुबे नामक एक युवा सिविल इंजीनियर ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद अपनी जान गँवा दी।
- **सार्वजनिक अपेक्षाएँ बनाम प्रशासनिक वास्तविकताएँ:** जनता प्राय: तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा रखती है, जो प्रक्रियागत या संसाधन बाधाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है।
  - **उदाहरण:** प्रशासन के समक्ष मौजूद रसद संबंधी चुनौतियों के बावजूद बाढ़ राहत प्रयासों में विलंब को लेकर सार्वजनिक आलोचना हो सकती है।

इन दुविधाओं से निपटने में नैतिक साहस का महत्त्व:

- **लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा:** नैतिक साहस को कायम रखना शासन के लोकतांत्रिक ताने-बाने को सुदृढ़ करता है।
  - **उदाहरण:** IAS अधिकारी हर्ष मंडे ने सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपने करियर की अपेक्षा मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी।
- **प्रणालीगत क्षय को रोकना:** साहसी कार्य भ्रष्टाचार और अकुशलताओं को उजागर करते हैं, तथा प्रशासन में अनैतिक प्रथाओं के सामान्यीकरण को रोकते हैं।
  - **उदाहरण:** IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने स्थानांतरण और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा किया।
- **नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना:** सिद्धांतबद्ध आचरण के उदाहरण स्थापित करके, नैतिक रूप से साहसी लोक सेवक सहकर्मियों और अधीनस्थों को नैतिक व्यवहार अपनाने के लिये प्रेरित करते हैं।
  - **उदाहरण:** 'भारत के मेट्रो मैन' ई. श्रीधरन ने परियोजना की दक्षता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए लगातार उच्च नैतिक मानकों को कायम रखा।
- **सत्ता का दुरुपयोग रोकना:** अनुचित राजनीतिक या सामाजिक दबाव का विरोध करना यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन निष्पक्ष और जन-केंद्रित बना रहे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उदाहरण:** IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने निलंबन झेलने के बावजूद अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

निष्कर्ष:

नैतिक साहस जवाबदेही के सर्वोच्च रूप के रूप में कार्य करता है, जो लोक कल्याण सुनिश्चित करते हुए जटिल नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये लोक सेवकों का मार्गदर्शन करता है। ईमानदारी, पारदर्शिता और लचीलेपन को बढ़ावा देकर, नैतिक साहस लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ करता है तथा सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को प्रेरित करता है।

प्रश्न : सार्वजनिक संस्थानों में गैर-पक्षपातपूर्णता के क्षरण के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। यह लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता और नागरिकों के संस्थागत विश्वास को कैसे प्रभावित करता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सार्वजनिक संस्थाओं में गैर-पक्षपात के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- गैर-पक्षपातपूर्ण भावना के क्षरण के परिणामों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक विश्वास पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सार्वजनिक संस्थाओं में गैर-पक्षपातपूर्ण रवैया राजनीतिक या वैचारिक झुकाव से ऊपर उठकर निष्पक्षता एवं संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और अखंडता बनाए रखने के लिये यह बहुत ज़रूरी है।

- इसका क्षरण शासन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जनता में अविश्वास को बढ़ा सकता है, तथा लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क को कमज़ोर कर सकता है।

मुख्य भाग:

गैर-पक्षपातपूर्ण भावना के क्षरण के परिणाम

- **संस्थागत अखंडता को कमज़ोर करना:** राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित होने पर सार्वजनिक संस्थाएँ निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपनी क्षमता खो देती हैं।
  - **उदाहरण:** राजनीतिक कारणों से लोक सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से निर्णय लेने में उनकी स्वायत्तता और प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है।
- **कानून के शासन को कमज़ोर करना:** पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से कानूनों का चयनात्मक अनुप्रयोग हो सकता है, जिससे कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत कमज़ोर हो सकता है।
  - **उदाहरण:** विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ प्रतिशोध की धारणा उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे न्याय में विश्वास कमज़ोर हो सकता है।
- **नियंत्रण और संतुलन का क्षरण:** न्यायपालिका, चुनाव आयोग और CAG जैसी संस्थाएँ सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- राजनीतिकरण से स्वतंत्र निगरानीकर्त्ताओं के रूप में उनकी भूमिका कमज़ोर हो सकती है।
  - **उदाहरण:** चुनावी सुधारों या न्यायिक नियुक्तियों में पक्षपात के आरोप उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाते हैं।
- **व्यावसायिकता में गिरावट:** पात्रता और सामर्थ्य राजनीतिक निष्ठा के आगे कम पड़ जाती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता एवं नवाचार में कमी आती है।
  - **उदाहरण:** नियामक निकायों या विश्वविद्यालयों जैसे सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्तियों में प्रतिस्पर्द्धात्मक पक्षपात, अकुशलता और सामान्यता को जन्म दे सकता है।
- **भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार की जड़ें मज़बूत होना:** राजनीतिक संस्थाएँ लोक कल्याण को कायम रखने के बजाय राजनीतिक निष्ठा को पुरस्कृत करने का साधन बन जाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।
  - **उदाहरण:** राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रदर्शन या जवाबदेही की तुलना में निहित स्वार्थों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक विश्वास पर प्रभाव

- **लोकतांत्रिक मानदंडों का कमज़ोर होना:** पक्षपातपूर्ण व्यवहार पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को कमज़ोर करता है।
- **समाज का ध्रुवीकरण:** गैर-पक्षपातपूर्ण संस्थाएँ मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। उनका क्षरण विभाजन को बढ़ाता है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ता है।
- **समझौतापूर्ण नीति निरंतरता:** राजनीतिकरण के परिणामस्वरूप नीति में बार-बार उलटफेर होता है, जिससे शासन में अनिश्चितता और अकुशलता उत्पन्न होती है।
- **नागरिक भागीदारी में कमी:** संस्थाओं में विश्वास की कमी से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी हतोत्साहित होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा:** कमज़ोर संस्थागत अखंडता भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जैसे सूचकांकों में देश की वैश्विक स्थिति को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक संस्थाओं में गैर-पक्षपातपूर्णता का क्षरण लोकतांत्रिक शासन और जनता के विश्वास के लिये एक बड़ा खतरा है। यह संस्थागत अखंडता से समझौता करता है, विधि के शासन को कमज़ोर करता है और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है, जिसका शासन की गुणवत्ता एवं राष्ट्रीय सामंजस्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न : ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पण के सिद्धांतों को कैसे प्रतिबिंबित करता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के संदर्भ में जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- डॉ. कलाम के जीवन में वैज्ञानिक सोच के प्रतिबिंब को प्रस्तुत कीजिये।
- राष्ट्रीय विकास के प्रति उनके समर्पण पर प्रकाश डालिये।
- उनके एक उद्धरण के साथ उत्तर समाप्त कीजिये।

परिचय:

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिन्हें 'भारत के मिसाइल मैन' के नाम से जाना जाता है, ने वैज्ञानिक सोच के आदर्शों और राष्ट्रीय विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत की अंतरिक्ष और रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका से लेकर समावेशी विकास के उनके दृष्टिकोण तक, डॉ. कलाम का जीवन सामाजिक प्रगति प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नैतिक नेतृत्व को लागू करने में अतुलनीय है।

मुख्य भाग:

डॉ. कलाम के जीवन में वैज्ञानिक सोच का प्रतिबिंब:

- **नवाचार और तर्कसंगत अन्वेषण के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-III) के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में, डॉ. कलाम ने व्यवस्थित प्रयोग और वैज्ञानिक दृढ़ता की शक्ति का प्रदर्शन किया।
  - ***अग्नि*** और ***पृथ्वी*** जैसे मिसाइल विकास कार्यक्रमों में उनका नेतृत्व भारत की सामरिक स्वायत्तता को मज़बूत करने के लिये वैज्ञानिक सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का प्रतीक है।
  - **उदाहरण:** ISRO में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने टीमवर्क और अंत:विषय सहयोग को प्राथमिकता दी तथा नवाचार के परिवेश को बढ़ावा दिया।
- **शिक्षा और सृजनात्मकता को बढ़ावा:** डॉ. कलाम ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव के रूप में शिक्षा का समर्थन किया तथा अधिगम में जिज्ञासा और सृजनात्मकता पर ज़ोर दिया।
  - शिक्षा में विज्ञान को एकीकृत करने का उनका दृष्टिकोण INSPIRE (प्रेरित अनुसंधान के लिये विज्ञान में नवाचार) कार्यक्रम जैसी पहलों में सन्निहित है, जो युवाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - उन्होंने इसे संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, ***"रचनात्मकता सोच की ओर ले जाती है, सोच ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान आपको महान बनाता है।"***
- **वैज्ञानिक साक्षरता और सार्वजनिक संवाद पर प्रभाव:** डॉ. कलाम ने जटिल वैज्ञानिक विचारों को आम नागरिकों के लिये सुलभ बनाया, जिससे विभिन्न समूहों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जागृत हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उदाहरण:** उनकी सर्वाधिक बिकने वाली आत्मकथा, ***'विंग्स ऑफ फायर'*** उनकी वैज्ञानिक यात्रा का वर्णन करती है तथा जिज्ञासा और समुत्थानशक्ति की भावना को प्रेरित करती है।

- **अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान:** वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, उन्होंने प्राय: वास्तविक संसार की समस्याओं को नवीन समाधानों के साथ समाधान किया।
  - SLV-III पर काम करते समय, डॉ. कलाम ने संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये अनुकूली सोच को प्रोत्साहित किया, जैसे कि प्रतिबंधों के कारण जब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उपलब्ध न हो तो घरेलू संसाधनों का उपयोग करना।

राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पण:

- **रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रणनीतिक योगदान:** DRDO और ISRO के निदेशक के रूप में डॉ. कलाम ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) जैसी परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हुई।
  - पोखरण-II परमाणु परीक्षण के दौरान उनके नेतृत्व ने भारत को एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दोनों सुनिश्चित हुई।
- **समावेशी विकास के लिये दूरदर्शी नेतृत्व:** डॉ. कलाम के ***विज़न 2020*** में पाँच प्रमुख क्षेत्रों- कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा और IT पर ध्यान केंद्रित करके भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की रूपरेखा तैयार की गई।
- **युवा सशक्तीकरण के लिये प्रतिबद्धता:** युवाओं के साथ अपने घनिष्ठ जुड़ाव के लिये सुप्रसिद्ध डॉ. कलाम ने अनगिनत छात्रों को व्यक्तिगत सफलता से आगे सोचने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिये प्रेरित किया।
  - छात्रों के साथ उनका नियमित संवाद, जैसे कि IIT और हाई स्कूलों में उनके प्रसिद्ध संबोधन, उन्हें बड़े सपने देखने तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिये प्रोत्साहित करने के इर्द-गिर्द घूमती थी।
- **नैतिक और समावेशी नेतृत्व:** राष्ट्रपति (वर्ष 2002-2007) के रूप में, डॉ. कलाम ने पारदर्शिता और समावेशिता के मूल्यों को मूर्त रूप दिया। जन-सेवा में ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक स्पेक्ट्रम में एक एकीकृत व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया।
  - उन्होंने वर्ष 2006 में 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल' पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिससे यह पता चलता है कि वे नैतिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
- **सामाजिक चुनौतियों के लिये तकनीकी समाधान:** डॉ. कलाम की परियोजनाएँ रक्षा से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों से भी निपटती थीं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएँ प्रदान करना (PURA) के माध्यम से, उन्होंने ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने का प्रयास किया तथा यह सुनिश्चित किया कि प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना वंचित क्षेत्रों तक पहुँचे।

निष्कर्ष:

उनके शब्द, ***"उत्कृष्टता एक सतत् प्रक्रिया है, न कि कोई दुर्घटना !"*** प्रगति के लिये उनके अथक प्रयास को दर्शाते हैं। डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन वैज्ञानिक सोच की परिवर्तनकारी शक्ति और राष्ट्रीय विकास के प्रति निस्वार्थ समर्पण का एक स्थायी उदाहरण है।

प्रश्न : तकनीकी प्रगति के संदर्भ में प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही की पारंपरिक अवधारणाओं को किन दार्शनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- तकनीकी प्रगति किस प्रकार प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही की पारंपरिक अवधारणाओं के लिये चुनौती खड़ी कर रही है, यह बताते हुए उत्तर दीजिये।
- तकनीकी प्रगति किस प्रकार पारंपरिक प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही है, इस पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही के साथ प्रौद्योगिकी के समन्वय के लिये उपाय बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

परिचय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन जैसी तकनीकी प्रगति ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी है। दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ, ये नवाचार नैतिकता तथा जवाबदेही की पारंपरिक अवधारणाओं के लिये महत्त्वपूर्ण दार्शनिक चुनौतियाँ पेश करते हैं, जो मानव अभियांत्रिकता, पारदर्शिता एवं सार्वजनिक कल्याण में निहित हैं।

मुख्य भाग:

तकनीकी उन्नति के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं:

- **पारंपरिक प्रशासनिक नैतिकता:**
  - **मानवीय उत्तरदायित्व का ह्रास:** निर्णय अब एल्गोरिदम द्वारा लिये जा रहे हैं, जिससे जवाबदेही पर प्रश्न उठ रहे हैं।
    - उदाहरण के लिये, जब कानून प्रवर्तन में AI प्रणालियाँ व्यक्तियों की गलत पहचान करती हैं, तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि जवाबदेही डेवलपर्स, प्रशासकों या स्वयं सिस्टम की है।
    - पारंपरिक नैतिकता मानवीय निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें सहानुभूति और नैतिक तर्क शामिल होते हैं। AI में इन क्षमताओं का अभाव है, जिसके कारण नैतिक रूप से अस्पष्ट निर्णय लिये जाते हैं।
  - **प्रौद्योगिकी में पूर्वाग्रह:** एल्गोरिदम प्राय: अपने ट्रेनिंग डेटा में पूर्वाग्रहों को अंतर्निहित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं, जैसा कि क्रेडिट स्कोरिंग या भर्ती प्रणालियों में देखा जाता है।
    - प्रशासनिक नैतिकता के लिये केंद्रीय निष्पक्षता का सिद्धांत तब कमज़ोर हो जाता है जब मानवीय निगरानी के बिना प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को कायम रखा जाता है।
  - **गोपनीयता का हनन:** शासन में बड़े डेटा और AI का प्रयोग (जैसे- पूर्वानुमानित पुलिसिंग, कल्याण निगरानी) व्यक्तिगत गोपनीयता में दखल देता है।
    - गोपनीयता एक मौलिक नैतिक मूल्य है। अत्यधिक निगरानी से नागरिकों को हितधारकों के बजाय विषयों के रूप में मान्यता का जोखिम है, जो मानव गरिमा और स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
- **प्रशासनिक जवाबदेही**
  - **प्रौद्योगिकी की अस्पष्टता**
    - **ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम:** AI प्रणालियाँ प्राय: 'ब्लैक बॉक्स' के रूप में काम करती हैं, जहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया उनके डेवलपर्स के लिये भी अपारदर्शी होती है।
    - इससे प्रशासकों को जवाबदेह ठहराने के लिये ज़रूरी पारदर्शिता धुँधली पड़ जाती है। नागरिक उन निर्णयों का विरोध नहीं कर सकते जिनके औचित्य को वे समझ नहीं पाते।
  - **नैतिक निर्णयों का स्वचालन:** स्वायत्त वाहनों जैसी प्रौद्योगिकियों को नैतिक निर्णय (जैसे- अपरिहार्य दुर्घटना में किसे बचाना है) लेने की आवश्यकता है।
    - नैतिक दुविधाओं में निर्णय लेने की ज़िम्मेदारी मशीनों को सौंपने से यह प्रश्न उठता है कि क्या नैतिकता को मानवीय विवेक के बिना संहिताबद्ध और क्रियान्वित किया जा सकता है।

प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही के साथ प्रौद्योगिकी का सामंजस्य:

- **प्रौद्योगिकी में नैतिकता को शामिल करना:** AI नैतिकता और मूल्य-संवेदनशील डिज़ाइन जैसे नैतिक ढाँचे को प्रौद्योगिकियों के विकास का मार्गदर्शन करना चाहिये।
- **जवाबदेही ढाँचे को पुनर्परिभाषित करना:** जवाबदेही को मज़बूत विनियमन के माध्यम से तकनीकी प्रणालियों की वितरित प्रकृति के अनुकूल होना चाहिये, जैसे कि यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR), जो संगठनों को AI निर्णयों के लिये जवाबदेह बनाता है।
- **गोपनीयता और दक्षता में संतुलन:** प्रशासन को डेटा विश्लेषण में विभेदक गोपनीयता या गुमनामीकरण जैसे उपकरणों का प्रयोग करके निगरानी और गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **मानवीय निगरानी:** महत्त्वपूर्ण निर्णयों में मानवीय निगरानी बनाए रखने से यह सुनिश्चित होता है कि नैतिक और आचार-विचार पूरी तरह से मशीनों को आउटसोर्स नहीं किये जाते।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष:

जबकि प्रौद्योगिकी में शासन को अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाने की क्षमता है, यह अस्पष्टता, ज़िम्मेदारी को कम करने तथा गोपनीयता को नष्ट करके नैतिकता एवं जवाबदेही की मूलभूत अवधारणाओं को चुनौती देती है। प्रशासकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ये प्रगति सक्रिय विनियमन, डिज़ाइन में मूल्यों को एम्बेड करने और मानवीय निगरानी बनाए रखने के माध्यम से नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।

प्रश्न : सच्ची करुणा केवल सहिष्णुता तक सीमित नहीं हो सकती; यह हाशिये पर पड़े समुदायों के सक्रिय सशक्तीकरण की मांग करती है। इस संदर्भ में, लोक सेवा वितरण की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर प्रस्तुत करते हुए बताइये कि किस प्रकार सच्ची करुणा को लोक सेवाओं के प्रावधान में और साथ ही सशक्तीकरण में भी लागू किया जाता है।
- प्रासंगिक उदाहरणों के साथ "लोक सेवा वितरण में सहिष्णुता से आगे बढ़कर सशक्तीकरण की ओर बढ़ना" कथन की पुष्टि कीजिये।
- लोक सेवा में सक्रिय सशक्तीकरण के प्रमुख पहलू बताइये।
- लोक सेवा वितरण में चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक सेवा वितरण में करुणा का अर्थ केवल सहिष्णुता ही नहीं है, बल्कि सीमांत समुदायों के उत्थान के लिये सक्रिय कदम उठाना भी है। सक्रिय सशक्तीकरण के लिये प्रणालीगत असमानताओं को दूर करना, संसाधनों की एकसमान सुलभता सुनिश्चित करना और आत्मनिर्भरता एवं सम्मान के लिये सक्षम परिवेश बनाना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

लोक सेवा वितरण में सहिष्णुता से आगे बढ़कर सशक्तीकरण की ओर बढ़ना:

- सहिष्णुता में सक्रिय हस्तक्षेप के बिना स्वीकृति शामिल है।
  - उदाहरण: गरीबी के मूल कारणों का समाधान किये बिना सब्सिडी प्रदान करना।
- सशक्तीकरण सक्रिय रूप से क्षमता निर्माण और बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।
  - उदाहरण: PM गरीब कल्याण योजना जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम लक्षित वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

लोक सेवा में सक्रिय सशक्तीकरण के प्रमुख पहलू

- **क्षमता निर्माण:** सशक्तीकरण में व्यक्तियों और समुदायों को कौशल एवं ज्ञान से समृद्ध करना शामिल है।
  - उदाहरण: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) ग्रामीण युवाओं को स्थायी रोज़गार के लिये प्रशिक्षित करती है।
- **सहभागी शासन:** निर्णय लेने में सीमांत समुदायों की सक्रिय भागीदारी से सशक्तीकरण बढ़ता है।
  - उदाहरण: पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभाएँ जनजातीय समुदायों को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करती हैं।
- **संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना:** सशक्तीकरण के लिये जातिगत व लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी प्रणालीगत असमानताओं को खत्म करना आवश्यक है।
  - उदाहरण: ***बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ*** पहल लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है।
    - आयुष्मान भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिये वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता सुनिश्चित करता है।
- **डिजिटल समावेशन:** PMGDISHA (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान) डिजिटल साक्षरता को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने में सशक्त बनाया जाता है।
- **जवाबदेही और सम्मानजनक सेवा:** लोक सेवा में सशक्तीकरण में नागरिकों के साथ समय पर और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारियों को आगंतुकों की सेवा के दौरान 20 मिनट तक खड़े रहने का निर्देश दिया, क्योंकि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को एक घंटे तक प्रतीक्षा करना पड़ा और उन्हें विभागों के बीच घुमाया गया, जिससे लोक सेवा में सहानुभूति एवं अनुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

लोक सेवा वितरण में चुनौतियाँ

- **बुनियादी अवसंरचना का अभाव:** मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे पहाड़ी राज्यों में दूरस्थ क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी की अपर्याप्त पहुँच जैसी समस्या के कारण सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न होती है।
- **संसाधन की कमी:** वित्तपोषण और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी। (दिसंबर 2023 में, सरकार ने प्राथमिक स्तर पर 7 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी की सूचना दी थी)।
- **भ्रष्टाचार और लीकेज:** धन और संसाधनों के कुप्रबंधन से अकुशलता उत्पन्न होती है। (वर्ष 2023 की CAG रिपोर्ट में MGNREGA योजना में अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है।)
- **प्रशासनिक अक्षमताएँ:** बोझिल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सेवा वितरण में विलंब या बाधा उत्पन्न करती हैं। (अधूरी दस्तावेज़ प्रक्रियाओं के कारण किसानों को PM-किसान के तहत सब्सिडी वितरण में विलंब का सामना करना पड़ता है।)

सक्रिय सशक्तीकरण के लिये रूपरेखा:

- **स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:** स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि।
- **एकीकृत दृष्टिकोण:** वित्तीय समावेशन के लिये जन धन, आधार और मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना।
- **नवीन वितरण मॉडल:** अभिगम और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये UMANG ऐप जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म।
- **सहभागी नियोजन:** नियोजन और कार्यान्वयन के लिये ग्राम सभाओं और नागरिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सहभागिता (पुणे मॉडल)
- **लास्ट माइल कनेक्टिविटी:** सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी योजनाओं के तहत दूर-दराज़ के क्षेत्रों में वैक्सीन वितरण के लिये ड्रोन का प्रयोग करना।

निष्कर्ष

लोक सेवा वितरण में सच्ची करुणा सहिष्णुता से परे है, जो गरिमा, समानता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये सशक्तीकरण पर केंद्रित है। एक दूरदर्शी दृष्टिकोण जो प्रणालीगत सुधारों, सहभागी शासन और अभिनव वितरण तंत्रों को जोड़ता है, उद्देश्य एवं प्रभाव के बीच के अंतराल को समाप्त कर सकता है।

प्रश्न : वे देश जो उन्नत आयुध अनुसंधान के माध्यम से सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखते हैं और साथ ही वैश्विक शांति का समर्थन करते हैं, एक गंभीर नैतिक विरोधाभास का सामना करते हैं। इस विरोधाभास को दूर करने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सैन्य श्रेष्ठता और वैश्विक शांति समर्थन के विरोधाभास के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- नैतिक विरोधाभास और विरोधाभास में योगदान देने वाले कारकों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- विरोधाभास को सुलझाने में आने वाली चुनौतियों को बताइये।
- विरोधाभास को हल करने के लिये कदम सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

उन्नत आयुधों के माध्यम से सैन्य श्रेष्ठता की खोज के साथ-साथ वैश्विक शांति का समर्थन एक विरोधाभास को उजागर करती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नैतिक सिद्धांतों को चुनौती देती है।

- यह विरोधाभास राष्ट्रों के बीच विश्वास को कम करता है, आयुधों की होड़ को बढ़ाता है जो शांति स्थापना के सार के विपरीत है।
- इसके समाधान के लिये नैतिकता, कूटनीति और निरस्त्रीकरण पहल पर आधारित बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

नैतिक विरोधाभास और विरोधाभास में योगदान देने वाले कारक:

- **नैतिक विरोधाभास**
  - **वैश्विक शांति का समर्थन बनाम प्रभुत्व की कार्रवाई:** आयुधों में निवेश करते हुए शांति को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र, अप्रत्यक्ष रूप से अविश्वास और प्रतिरोध का संकेत देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उदाहरण: परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता में अमेरिका के प्रयास, हाइपरसोनिक आयुधों में उसके पर्याप्त निवेश के विपरीत हैं।

- **नैतिक अधिकार का क्षरण:** ऐसे राष्ट्र वैश्विक शांति प्रयासों का नेतृत्व करने में अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं।
  - उदाहरण: दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य निर्माण के साथ-साथ शांति वार्ता में इसकी भागीदारी के विपरीत है।

- **विरोधाभास में योगदान देने वाले कारक**
  - **कथित सुरक्षा दुविधाएँ:** राष्ट्र आत्मरक्षा के लिये सैन्य श्रेष्ठता को आवश्यक मानते हैं।
    - उदाहरण: भारत द्वारा अग्नि-V मिसाइल प्रणाली के विकास को चीन की सैन्य प्रगति के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जाता है।
- **तकनीकी उन्नति और शक्ति प्रक्षेपण:** उन्नत आयुध रक्षा से परे भू-राजनीतिक रणनीतियों में भी सहायक होते हैं।
  - उदाहरण: रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति का समर्थन करने के बावजूद प्रभुत्व कायम करना है।

विरोधाभास को सुलझाने में चुनौतियाँ:

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच लगातार अविश्वास निरस्त्रीकरण प्रयासों को कमज़ोर करता है।
- **प्रवर्तन तंत्र का अभाव:** कमज़ोर अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों को आयुध निर्माण के लिये उत्तरदायी ठहराने में विफल रहते हैं।
  - रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अपने अनुसमर्थन को रद्द कर दिया।
- **आर्थिक निर्भरता:** रक्षा उद्योग अमेरिका और फ्राँस सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे निरस्त्रीकरण राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

विरोधाभास को हल करने के लिये कदम:

- **पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा देना**
  - **शस्त्र नियंत्रण समझौते:** START (रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि) जैसी मौजूदा संधियों को दृढ और विस्तारित करना।
  - **विश्वास-निर्माण उपाय (CBM):** रक्षा बजट, सैन्य गतिविधियों और आयुध विकास पर जानकारी साझा करना।
    - उदाहरण: भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ परमाणु स्थापना संबंधी आँकड़ों को वार्षिक रूप से साझा करना।
- **बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण फ्रेमवर्क में निवेश**
  - प्रवर्तनीय प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिये निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों को सशक्त बनाना।
  - रासायनिक आयुध सम्मेलन (CWC) जैसे मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुपालन को प्रोत्साहित करना।
- **रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना**
  - आक्रामक क्षमताओं के बजाय रक्षात्मक प्रणालियों (जैसे- मिसाइल शील्ड्स) पर अनुसंधान से आक्रमण की आशंका कम हो सकती है।
    - उदाहरण: इज़रायल का आयरन डोम मुख्य रूप से रक्षात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है, साथ ही शांति की बात को भी समर्थन देता है।
- **सार्वजनिक उत्तरदायित्व और नागरिक समाज की भागीदारी:** शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने और आयुधों की होड़ के लिये सरकारों को जवाबदेह ठहराने में नागरिक समाज की अधिक भागीदारी।
  - उदाहरण: वर्ष 2017 में वैश्विक अभियान इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार, परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिये किये गए वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

सैन्य श्रेष्ठता बनाए रखते हुए वैश्विक शांति-समर्थन के विरोधाभास को हल करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है। राष्ट्रों को पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, निरस्त्रीकरण फ्रेमवर्क का पालन करके और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए अपने कार्यों को वैश्विक शांति हेतु अपने शब्दों के साथ संरेखित करना चाहिये। केवल निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही सैन्य वर्चस्व के खतरे से मुक्त विश्व शांति स्थापित की जा सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रश्न : "अधि-नैतिकता की प्रकृति के संदर्भ में आध्यात्मिक विश्लेषण किस प्रकार व्यावहारिक शासन निर्णयों को प्रभावित करता है?" इस संदर्भ में, नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- मेटा-एथिक्स या अधि-नैतिकता को संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- शासन पर अधि-नैतिकता प्रश्नों का प्रभाव बताइये।
- नीति कार्यान्वयन में चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- नीतिगत चुनौतियों से निपटने के लिये अधि-नैतिक अंतर्दृष्टि के साथ उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अधि-नैतिकता नैतिकता की आधारभूत प्रकृति का विवेचनात्मक अध्ययन है, जिसमें यह अन्वेषण किया जाता है कि 'सही' या 'गलत' क्या है और क्या नैतिक सत्य सार्वभौमिक या व्यक्तिपरक हैं। यह दार्शनिक अध्ययन व्यावहारिक शासन को प्रभावित करता है, क्योंकि नीतिगत निर्णयों के लिये प्राय: नैतिक सिद्धांतों एवं व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है।

मुख्य भाग:

शासन पर अधि-नैतिक प्रश्नों का प्रभाव:

- **नैतिक वस्तुवाद बनाम सापेक्षवाद:**
  - **नैतिक वस्तुवाद:** सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पक्षधर है जो विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में लागू होते हैं।
    - ***उदाहरण:*** मानवाकारों की सार्वभौमिक घोषणा भौगोलिक स्थिति या संस्कृति के बावजूद सम्मान, शिक्षा और स्वतंत्रता के अधिकारों पर बल देती है।
  - **नैतिक सापेक्षवाद:** नैतिकता में सापेक्षवाद का मानना है कि नैतिकता परिस्थिति-विशिष्ट होती है और रीति-रिवाज़ों, सांस्कृतिक मानदंडों और अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होती है।
    - ***उदाहरण:*** भारत में समान नागरिक संहिता पर बहस सार्वभौमिक अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता के बीच संघर्ष को उजागर करती है।
- **नैतिक संज्ञानवाद बनाम गैर-संज्ञानवाद:**
  - **संज्ञानात्मकवाद:** संज्ञानात्मकवादियों का तर्क है कि नैतिक कथनों को अनुभवजन्य या तर्कसंगत रूप से मान्य किया जा सकता है, जो डेटा-संचालित नीतियों को प्रभावित करते हैं।
    - ***उदाहरण:*** असमानताओं को दूर करने के लिये गरीबी सूचकांक या साक्षरता दर के आधार पर नीति-निर्माण।
  - **गैर-संज्ञानवाद:** नैतिकता को व्यक्तिपरक, भावनाओं से प्रेरित, कल्याण-संचालित कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाला मानते हैं।
    - ***उदाहरण:*** मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाएँ प्राय: सीमांत वर्गों के प्रति सहानुभूति से प्रभावित होती हैं।

नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- **नैतिक सिद्धांतों और व्यावहारिक आवश्यकताओं के बीच संघर्ष:** उपयोगितावादी नैतिकता (अधिकतम संख्या के लिये अधिकतम भलाई) को कर्त्तव्यवादी नैतिकता (व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा) के साथ संतुलित करना।
  - ***उदाहरण:*** पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नीतियों को विकास परियोजनाओं और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच तनाव का सामना करना पड़ता है।
- **संसाधन आवंटन में नैतिक दुविधाएँ:** दुर्लभ संसाधनों के कारण प्राय: प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक हो जाता है, जिससे निष्पक्षता और समानता के संबंध में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं।
  - ***उदाहरण:*** कोविड-19 टीकाकरण नीतियों के तहत प्रारंभ में कमज़ोर आबादी को प्राथमिकता दी गई, जिससे अभिगम असमानता की चिंताएँ बढ़ गईं।
- **बहुसांस्कृतिक समाजों में सापेक्षवाद:** नीतियों में विविध सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताओं को समायोजित करना आवश्यक होता है, जिसके कारण प्राय: संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
  - ***उदाहरण:*** गोमांस जैसे आहार संबंधी प्रतिबंधों को विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं और नैतिक विचारों के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नैतिक सत्यों में अस्पष्टता:** नैतिक सत्यों पर आम सहमति के अभाव के परिणामस्वरूप नीतिगत पक्षाघात या विवादास्पद कार्यान्वयन होता है।
  - ***उदाहरण:*** इच्छामृत्यु को वैध बनाने से व्यक्तिगत स्वायत्तता बनाम जीवन की पवित्रता के सामाजिक नैतिक मानदंडों पर बहस होती है।
- **सार्वजनिक धारणा और राजनीतिक जोखिम:** अधि-नैतिक विचार प्राय: लोकलुभावन भावनाओं या राजनीतिक उद्देश्यों के साथ असंगत होते हैं।
  - ***उदाहरण:*** सामाजिक रूप से रूढ़िवादी क्षेत्रों में LGBTQIA+ अधिकारों पर नीतियों को समानता के नैतिक तर्कों के बावजूद प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।

अधि-नैतिक अंतर्दृष्टि के साथ नीतिगत चुनौतियों का समाधान:

- **सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण:** रॉल्सियन सिद्धांत जैसे न्याय-आधारित सिद्धांत शासन में निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **हितधारक समावेशिता:** नीति-निर्माण में संघर्षों को हल करने के लिये विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सकता है।
- **नौकरशाहों के लिये नैतिक प्रशिक्षण:** मिशन कर्मयोगी के माध्यम से नीति-निर्माताओं और प्रशासकों को नैतिक बारीकियों के प्रति संवेदनशील बनाने से दुविधाओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद मिल सकती है।
- **अनुकूलनीय एवं प्रासंगिक शासन:** नीतियों को बदलते संदर्भों और चुनौतियों के अनुरूप नैतिक संरचना को संशोधित किया जाना चाहिये।
- **डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग:** डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि नैतिक अस्पष्टताओं का समाधान कर सकती है तथा नीति-निर्माण में तर्कसंगतता सुनिश्चित कर सकती है।

निष्कर्ष:

अधि-नैतिक प्रश्न शासन में नैतिकता को समझने के लिये आधारभूत संरचना प्रदान करते हैं। ये नीति-निर्माताओं द्वारा न्याय, समानता और कल्याण की अवधारणा को प्रभावित करते हैं, नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन को आयाम देते हैं। समावेशिता, हितधारक जुड़ाव और नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देकर, सरकारें स्थायी एवं नैतिक रूप से सुदृढ़ शासन जो तत्काल आवश्यकताओं तथा दीर्घकालिक सामाजिक प्रगति दोनों के साथ संरेखित हो, को सुनिश्चित कर सकती हैं।

प्रश्न : "कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नैतिक व्यावहारिकता और नैतिक शासन के विचार समकालीन लोक प्रशासन में किस प्रकार प्रासंगिक हैं?" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अर्थशास्त्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर दीजिये।
- कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और लोक प्रशासन में प्रासंगिकता बताइये।
- आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आधुनिक प्रशासन में कौटिल्य की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने के लिये रणनीति सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अर्थशास्त्र, कौटिल्य (जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा लिखित, राजव्यवस्था, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। यह नैतिक व्यावहारिकता और नैतिक शासन के व्यावहारिक मिश्रण का प्रतीक है, जो भौतिक सफलता (*अर्थ*) के विश्लेषण को सामाजिक कल्याण के साथ संतुलित करता है।

मुख्य भाग:

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और लोक प्रशासन में प्रासंगिकता:

- **नैतिक शासन:** कौटिल्य के अनुसार, लोगों का कल्याण राजा की प्राथमिक चिंता होनी चाहिये, और उसे उनकी भलाई के लिये कार्य करने चाहिये।
  - यह एक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख करता है जहाँ नीतियाँ समानता और न्याय सुनिश्चित करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ***समकालीन प्रासंगिकता:*** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण के लिये संसाधन वितरण सुनिश्चित करना।

- **व्यावहारिक नेतृत्व:** नेतृत्व में निर्णय लेने में लचीला, व्यावहारिक और सक्रिय होने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - राज्य में स्थिरता बनाए रखने के लिये खुफिया जानकारी, कूटनीति और गठबंधन पर ज़ोर दिया जाता है।
  - ***समकालीन प्रासंगिकता:*** भारत की जनता के हित को प्राथमिकता मानते हुए मुद्दा आधारित भारत की रणनीतिक कूटनीति इन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है।
- **विधि का शासन:** एक न्यायसंगत और पारदर्शी कानूनी संरचना का समर्थन करता है जहाँ दंड अपराध के अनुपात में हो।
  - ***समकालीन प्रासंगिकता:*** भारतीय संविधान अनुच्छेद 14-21 के माध्यम से समानता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है तथा मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन या हनन पर कार्रवाई करने के लिये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का प्रावधान करता है।
- **आर्थिक विकास:** आर्थिक स्थायित्व के स्तंभों के रूप में कृषि, निष्पक्ष कराधान और सुदृढ़ व्यापार प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाती है।
  - ***समकालीन प्रासंगिकता:*** PM-किसान, GST और भारतमाला जैसी योजनाओं के तहत कृषि सुधार एवं बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना।
- शक्ति संतुलन और सैन्य तैयारी: संप्रभुता की रक्षा के लिये एक सुदृढ़ रक्षा तंत्र और रणनीतिक युद्ध के महत्त्व पर बल दिया गया है।
  - ***समकालीन प्रासंगिकता: मेक इन इंडिया*** के माध्यम से MCA तेजस जैसे स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर भारत का ध्यान इन आदर्शों के अनुरूप है।

आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **व्यावहारिकता में नैतिक दुविधाएँ:** नैतिक सिद्धांतों को व्यावहारिक राजनीति के साथ संतुलित करना, उदाहरण के लिये, गुटनिरपेक्षता बनाम रणनीतिक गठबंधन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दुविधाएँ।
- **शासन में समावेशिता:** ***अर्थशास्त्र*** में पदानुक्रमित जाति-आधारित संरचना सामाजिक न्याय और समावेशिता के आधुनिक आदर्शों का खंडन कर सकती है।
- **वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद:** कौटिल्य द्वारा केंद्रीकृत राज्य शक्ति पर दिया गया ज़ोर आज की परस्पर जुड़ी वैश्विक व्यवस्था में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

आधुनिक प्रशासन में कौटिल्य की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की रणनीतियाँ:

- **जन-केंद्रित शासन:** ऐसी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है जो कल्याण और समावेशिता को प्राथमिकता देती हैं, अर्थशास्त्र के ***लोक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने सिद्धांत*** के अनुरूप है।
- **संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना:** राज्य की क्षमता बढ़ाने के लिये आर्थिक, कानूनी और सैन्य क्षेत्रों के लिये सुदृढ़ संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिये, जैसे- NITI आयोग का सहकारी संघवाद पर बल, कौटिल्य के समावेशी शासन के विचारों को प्रतिध्वनित करता है।
- **नौकरशाहों के लिये नैतिक प्रशिक्षण:** व्यावहारिकता और नैतिक शासन के बीच संतुलन बनाने के लिये सिविल सेवा प्रशिक्षण में *अर्थशास्त्र* से प्राप्त शिक्षाओं को शामिल किया जाना चाहिये, जैसे- मिशन कर्मयोगी, लोक सेवकों में नैतिक एवं व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष:

कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के लिये एक कालातीत मार्गदर्शिका है, जिसमें नैतिक व्यावहारिकता, रणनीतिक विचार और नैतिक प्रशासन पर बल दिया गया है। इसके सिद्धांतों को संदर्भ के अनुरूप स्थापित करने पर भ्रष्टाचार, संसाधन प्रबंधन और कूटनीतिक संबंधों जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निबंध

प्रश्न : रचनात्मकता वहीं शुरू होती है जहां दिनचर्या समाप्त होती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "सृजनात्मकता बुद्धिमत्ता का आनंद लेना है।"
- **स्टीव जॉब्स:** "नवाचार एक नेता और अनुयायी के बीच अंतर करता है।"
- **जिद्दू कृष्णमूर्ति:** "समझने का अर्थ है, जो है उसे बदलना।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम:** रचनात्मकता आत्म-साक्षात्कार के चरम पर स्थित होती है, जिसे आधारभूत स्तरों पर दिनचर्या और एकरसता पर काबू पाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **पूर्वी दर्शन:** "शुरुआती मन" की ज़ेन अवधारणा एक तरह से सच्ची रचनात्मकता का अनुभव करने के लिए आदतन पैटर्न को तोड़ने को प्रोत्साहित करती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारत में हरित क्रांति:** पारंपरिक कृषि तकनीकों से आगे बढ़ने से नवाचार और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिला।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** सिलिकॉन वैली प्रौद्योगिकी और डिजाइन में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए दिनचर्या में बदलाव लाने पर आधारित है।

समकालीन उदाहरण:

- **कोविड के बाद दूरस्थ कार्य संस्कृति:** नियमित कार्यालय सेटिंग्स से दूर जाने से सहयोग उपकरणों और कार्य पद्धतियों में नवाचार हुए।
- **शासन में रचनात्मक सुधार:** जन धन योजना के कार्यान्वयन ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए पारंपरिक बैंकिंग पद्धतियों को बाधित किया।

प्रश्न : न्याय में देरी न्याय से इनकार है, लेकिन न्याय में जल्दबाजी करना दोषपूर्ण न्याय है

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- **विलियम ई. ग्लैडस्टोन:** "विलंबित न्याय, न्याय से इनकार के समान है।"
- **महात्मा गांधी:** "प्रेम द्वारा दिया जाने वाला न्याय एक समर्पण है; कानून द्वारा दिया जाने वाला न्याय एक दंड है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत:** समय पर और निष्पक्ष सुनवाई न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है।
- **उपयोगितावाद (जॉन स्टुअर्ट मिल):** न्याय प्रणालियों का लक्ष्य अधिकतम भलाई होना चाहिए, समयबद्धता और सटीकता के बीच संतुलन होना चाहिए।
- **अरस्तू का स्वर्णिम मध्यमार्ग:** न्याय को जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों और दीर्घकालीन अनिर्णय के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

नीति और न्यायिक उदाहरण:

- **भारतीय न्यायपालिका की चुनौतियाँ:**
  - लंबित मामलों की संख्या (नवंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 82,347 मामले लंबित थे)
  - फास्ट-ट्रैक न्यायालय
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:**
  - **नूर्नबर्ग परीक्षण:** उचित विचार-विमर्श के साथ न्याय के लिए एक मॉडल।

समकालीन उदाहरण:

- **विलंबित न्याय:**
  - **निर्भया केस:** दोषियों को फांसी देने में 7 साल से अधिक का समय लग गया, जिससे देरी को लेकर जनता में आक्रोश फैल गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जल्दबाजी में न्याय:**
  - **भारत में मुठभेड़ हत्याएं:** अक्सर इसे उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने, दोषपूर्ण न्याय और सार्वजनिक विश्वास को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है।

प्रश्न : मानवता केवल प्रतिस्पर्द्धा तक सीमित नहीं है; यह सह-अस्तित्व का समान रूप से प्रतीक है।

प्रश्न : पर्यावरण संरक्षण: विचारधारा से परे, अस्तित्व की अनिवार्यता है।

प्रश्न : व्यक्तिगत या राष्ट्र दोनों ही स्तर पर प्रगति की राह हमारे सहजता के दायरे से परे है।

प्रश्न : प्रगति वह कला है, जो नवाचार और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है।

प्रश्न : समानता की ओर यात्रा अक्सर विविधता और भिन्नता की स्वीकृति से आरंभ होती है।

प्रश्न : उदासीनता के रेगिस्तान में, करुणा की एक छोटी-सी किरण भी आशा का द्वीप है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :